



Annual Report

F.Y. 2018-19



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.







INDEX

S No.	Particulars	Page No.
1	Board of Directors	3
2	Chairman's Speech	5
3	Message from the Managing Director	7
4	Major Events in 2018-19	8
5	Director's Report	13
6	Report on Corporate Governance	28
7	Secretarial Audit Report	34
8	Extract of Annual Return	40
9	Independent Auditor's Report	47
10	Financial Statements for the year 2018-19	57
11	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	76
12	Comptroller and Auditor General Report	103

REGISTERED OFFICE:

Administrative Building, Vipin Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010, Ph-0522- 2304011
Email. cslmrc@gmail.com, Website: www.lmrc.com

STATUTORY AUDITORS

M/s. D S Shukla & Co. Chartered Accountants,
G F - 2 Ekta Apartment,
125, Chandralok, Aliganj
Lucknow- 226024

INTERNAL AUDITORS

M/s. S.N. Kapur & Associates
Chartered Accountants

SECRETARIAL AUDITOR

M/s Dileep Dixit & Company
Company Secretaries

COMPANY SECRETARY

Pushpa Bellani


OUR BANKS

State Bank of India
HDFC Bank Ltd.



BOARD OF DIRECTORS

Name	Designation
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC
Shri K Sanjay Murthy	Nominee Director of GoI Additional Secretary (D) MoHUA
Smt. Jhanja Tripathy	Nominee Director, GOI Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Pradeep Madhumangal Sikdar	Nominee Director of GoI ED/Sig.(Dev), Railway Board
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GOI Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Rajesh Kumar Singh`	Nominee Director of GoUP Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department
Shri Anil Garg	Nominee Director, GoUP Commissioner, Lucknow
Shri Mahendra Kumar	Whole-time Director (RS & S), LMRC
Shri Ajai Kant Rastogi	Whole-time Director (Finance), LMRC
Shri Sanjay Mishra	Whole-time Director (W & I), LMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-time Director (Operations), LMRC





CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It is my proud privilege to welcome you all to the 6th Annual General Meeting of your Company. The Director's Report and the Audited Accounts for the Financial Year 2018-19, the Statutory Auditor's Report along with comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, have already been circulated to all of you and with your permission, I take them as read.



2. The entire stretch of North South Corridor Phase -1 of Lucknow Metro Rail Project having a route length of 22.878 Kms became fully operational during the year under review comprising of 4 underground stations and 17 elevated stations for public use with effect from 9th March 2019. You will be happy to know that the project has been successfully commissioned much before its schedule target date of 01.04.2019. The commuters of Lucknow have given overwhelming response to the Metro Services and is being appreciated by all. As a result, the average daily ridership in Phase- I has shown a quantum jump.
3. The North-South corridor was flagged off by our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi on 8th March, 2019 in the august presence of Shri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Housing & Urban Affairs, GoI; Shri Ram Naik, Hon'ble Governor, Uttar Pradesh; Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh.
4. You will be happy to know that GoI on 28 February 2019 has approved Kanpur and Agra Metro Rail Projects which will connect major public nodes and city cluster areas of both the cities.
5. During the year under review the company has been awarded with the International Organisation for Standardization (ISO) 14001:2015 certification for Environment Management System and the Occupational Health & Safety Assessment Series (OHSAS) 18001: 2007 for Health & Safety Management System for designing and construction of Metro Rail corridor from Chaudhary Charan Singh Airport Metro station to Munshipulia Metro station, consisting 21 stations & one Depot of the Lucknow Metro Rail Project Phase-I A.
6. In line for implementation of common mobility card company has signed MoU with Lucknow Nagar Nigam for facilitation of payment of house/property taxes through 'GoSmart' card of Lucknow Metro at Metro Stations and with BSNL for payment of bills.
7. On behalf of the Board of Directors, I express my sincere thanks for the goodwill and cooperation extended to the Company by GoI & GoUP, Contractors, General Consultants, European Investment Bank (EIB), in implementation of this project and lastly, I would like to compliment entire team of LMRC for their dedication and hard work without which it would have not been possible to commence the revenue operation of the entire North-South Corridor before stipulated time period along with maintaining high standards of safety and quality.

Thanking you,


Sd/-

(Durga Shanker Mishra)

Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, GOI
& Chairman, LMRC

Date : 06.09.2019

Place : New Delhi





MESSAGE FROM THE MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

I take this privilege to welcome you all to the 6th Annual General Meeting of the Company.

It has been a landmark achievement by Lucknow Metro to complete the work of entire North-South Corridor of Phase –1 having a route length of 22.878 Kms from CCS Airport to Munshipulia before stipulated time. The entire North-South Corridor comprising of 4 underground stations and 17 elevated stations has been opened for public usage with effect from 9th March 2019. Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India flagged off the commercial run of North South Corridor on 08.03.2019.



I am happy to announce that during the year under review Lucknow Metro has achieved various milestones some of which includes inauguration of the Centre of Excellence for training (CoET). It is the only one of its type in Uttar Pradesh – with specialized training on Metro technology for imparting training to fresh recruits. This training institute will also cater the requirements of all upcoming metro projects in various cities of Uttar Pradesh.

Lucknow Metro celebrated 5th September 2018 as 'LUCKNOW METRO DIWAS' and on this occasion Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh inaugurated an exhibition at the Transport Nagar Metro Depot to commemorate the successful completion of one year of Metro operations. He also unveiled Lucknow Metro 'Mascot' and the Lucknow Metro 'Mobile App' on the occasion. This was the day i.e. on 5th September, 2017 when LMRC opened the commercial services on the priority section of North south corridor for the public of Lucknow.

I would also like to inform that Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) & Lucknow Nagar Nigam (LNN) have now joined hands by signing a Memorandum of Understanding (MoU) for facilitation of payment of house/property taxes through 'GoSmart' card of Lucknow Metro at Metro Stations.

Apart from all these development, Lucknow Metro has one more feather in its cap by winning the International 'Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA)- Silver Award' for entire North-South corridor (Phase-1A) in the Project/Infrastructure category in recognition of its safe practices and achievements in helping its staff /customers/clients and contractors during the execution of this Project. The British Safety Council also bestowed Lucknow Metro with "International Safety Award, 2019" in the category of the Project/Infrastructure for demonstrating a strong commitment towards good health & safety management during the construction of the project.

I deeply appreciate and acknowledge the sincere efforts and dedication of all the Employees, Stakeholders including the Central and State Governments and various Government Agencies, our Suppliers, Contractors and Customers. I would like to take this opportunity to thank all those who have supported and guided us during the year. I also thank all my colleagues on the Board for their continued support and guidance. The transformation of a Company is continuous process. We have made tremendous progress, but we still have a long way to go. Together, I am confident we will complete the transformation of LMRCL into a company that creates significant value for all of its stakeholders

Thanking You

Sd/
(Kumar Keshav)
Managing Director

MAJOR EVENTS IN 2018-19

19TH MAY, 2018

LMRC UNDERTAKES SPECIAL DRIVE TO CREATE AWARENESS ON THE BENEFITS OF 'GOSMART' CARD AMONG ITS COMMUTERS



Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) undertook a special drive at its Metro stations to create awareness on the benefits and advantages of using a 'GoSmart' card among its daily commuters.



23TH MAY, 2018

LUCKNOW METRO FELICITATES STUDENTS OF AMITY UNIVERSITY, LUCKNOW FOR DESIGNING ART WORK FOR METRO STATIONS



Shri Kumar Keshav, Managing Director, Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) felicitated 60 students of the Amity University, Lucknow by giving them 'Certificate of Appreciation' who outstandingly designed marvellous art work.



2ND JUNE, 2018

LMRC STARTS "CLEANLINESS DRIVE"; OBSERVING 'WORLD ENVIRONMENT WEEK, 2018' FROM 2ND JUNE TO 8TH JUNE



Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) started a "cleanliness drive" around all its eight operational Metro stations between Transport Nagar & Charbagh and the Transport Nagar Metro Depot.

21ST JUNE, 2018

LUCKNOW METRO CELEBRATES INTERNATIONAL YOGA DAY, 2018



Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) celebrated the International Yoga Day, 2018 with its top Management, officials and staff at the Transport Nagar Metro Depot.



28TH JULY, 2018

LUCKNOW METRO COMPLETES THE WORK OF TRACK LAYING BETWEEN HUSSAINGANJ AND SACHIVALAYA METRO STATION



Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) has completed the work of track laying for the UPLINE Metro tunnel between the Hussainganj and the Sachivalaya Metro Stations.



30TH JULY, 2018

LMRC & BSNL SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) FOR FACILITATION OF CUSTOMER SERVICES AT METRO STATIONS

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) and Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) signed a Memorandum of Understanding (MoU) for facilitation of customer services for the benefit and convenience of all 'GoSmart' Metro travellers.



13TH AUGUST, 2018

LMRC MD INAUGURATES CoET LIBRARY AT TRANSPORT NAGAR METRO DEPOT

Shri Kumar Keshav, Managing Director, Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) inaugurated the CoET Library at the Centre of Excellence for Training, Transport Nagar Metro Depot.



15TH AUGUST, 2018

LMRC CELEBRATES 72ND INDEPENDENCE DAY; MD MOTIVATES EMPLOYEES TO MARCH AHEAD ON THE IDEALS OF 'MAHATMA GANDHI'

Shri Kumar Keshav, Managing Director, LMRC, hoisted the National Flag to mark the 72nd Independence Day of the Nation and celebrated this occasion with the officers and staff of the company.



5TH SEPTEMBER, 2018

HON'BLE CHIEF MINISTER INAUGURATES EXHIBITION ON THE OCCASION OF 'LUCKNOW METRO DIWAS', 2018; UNVEILS LUCKNOW METRO MASCOT' & 'MOBILE APP'; LAUDS LUCKNOW METRO FOR BEING EXCELLENT IN QUALITY & SERVICE

Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh inaugurated an exhibition on the occasion of 'Lucknow Metro Diwas', 2018 at the Transport Nagar Metro Depot to commemorate the completion of one year of Metro operations. He also unveiled Lucknow Metro 'Mascot' and the Lucknow Metro 'Mobile App' on the occasion.



8TH SEPTEMBER, 2018

LUCKNOW METRO WINS ICI (LUCKNOW) - ULTRATECH AWARD FOR OUTSTANDING CONCRETE STRUCTURE, 2018

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) won the prestigious Indian Concrete Institute (ICI) (Lucknow) - Ultratech award for outstanding concrete structure, 2018 in the category of Infrastructure Project.



29TH SEPTEMBER, 2018



LMRC REPEATS HISTORIC FEAT; SUCCESSFULLY COMPLETES THE ERECTION OF 60 METRE SPECIAL STEEL SPAN NEAR NISHATGANJ

Lucknow Metro today repeated its historic feat by successfully completing the erection of a 60 Meter Special Steel Span near Nishatganj over the main line Railway operational track at the location.

22ND OCTOBER, 2018

20TH & THE LAST METRO TRAIN SET DESPATCHED FROM SRI CITY; MD FLAGS OFF IT IN GRAND STYLE

Lucknow Metro's 20th & the last train set has today been despatched for Lucknow from M/s Alstom's train manufacturing plant at Sri City by Shri Kumar Keshav, Managing Director/LMRC, in a grand style in the presence of Mr. Henri Poupart Lafarge, CEO, Alstom (France) and other officials.



5TH NOVEMBER, 2018



LMRC & LUCKNOW NAGAR NIGAM JOIN HANDS FOR FACILITATION OF HOUSE/PROPERTY TAXES THROUGH GOSMART

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) & Lucknow Nagar Nigam (LNN) joined hands by signing a Memorandum of Understanding (MoU) for facilitation of payment of house/property taxes through 'GoSmart' card of Lucknow Metro at Metro Stations.

16TH NOVEMBER, 2018

INTEGRAL UNIVERSITY CONFERS SHRI KUMAR KESHAV WITH HONORARY D.LITT (DOCTOR OF LETTERS); ADDS A NEW FEATHER IN HIS CAP

Shri Kumar Keshav, Managing Director, Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) was honored with one of the prestigious award-Doctor of Letters (Honoris Causa) by the Integral University, Lucknow for his extraordinary leadership quality, talent and capability displayed during successful execution of different 'Metro' Rail Projects & 'Railway' Projects in the Country throughout his professional career.



19TH DECEMBER, 2018



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED OBSERVES 'NIRBHAYA CHETNA WEEK'

Lucknow Metro Rail Corporation in association with 'Red Brigade' an NGO observed "Nirbhaya Chetna Week" to emphasize woman safety particularly in Public Transport. On this occasion, Nirbhaya's parents addressed newly recruited trainees at Transport Nagar Metro Depot for creating awareness about safety of women, women rights and their empowerment in all spheres of life.



21ST DECEMBER, 2018

LMRC ORGANISES WORKSHOP ON INCLUSIVE PUBLIC TRANSPORT FOR DIFFERENTLY ABLE; A DRIVE TO SENSITISE SECURITY AND STAFF DEPLOYED AT THE METRO STATIONS



Lucknow Metro Rail Corporation organized a workshop on 'Inclusive Public Transport' in association with Handicare Foundation at Transport Nagar Metro depot today. An interactive session was conducted in the auditorium of Centre of Excellence for Training (CoET) with the frontline staff of Lucknow Metro to cater sensitise about the needs of differently able passengers.



9TH JANUARY, 2019

LUCKNOW METRO COMMENCES SIGNALLING & INTEGRATED TESTING TRIALS FOR THE WHOLE NORTH-SOUTH CORRIDOR (PHASE-1A)



Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) successfully commenced the signalling & integrated testing trials by moving the Metro train in the balance section upto Munshipulia. The integrated testing of different systems, signalling, track and traction was performed at different speeds on the elevated viaduct and inside the tunnel under different operating scenario.



10TH JANUARY, 2019

LMRC AWARDED WITH ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 AND OHSAS 18001: 2007 CERTIFICATES FOR ITS OPERATIONAL METRO STATIONS AND METRO DEPOT



Lucknow Metro Rail Corporation, awarded with the International Organisation for Standardization (ISO) 9001:2015, ISO 14001:2015 & the Occupational Health & Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 certificates in recognition of the operation and maintenance of its priority Corridor (from Transport Nagar to Charbagh) and Metro Depot.

18TH FEBRUARY, 2019

LUCKNOW METRO OBTAINS FIRE SAFETY CLEARANCE FOR ALL THE 13 METRO STATIONS OF THE BALANCE SECTION OF THE NORTH-SOUTH CORRIDOR (PHASE-1A)

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) has yet again achieved another accomplishment by obtaining Fire Non Objection Certificate (NOC) for all the 13 Metro stations of the balance section of North-South corridor (phase 1-A). Lucknow Metro has got fire safety clearances from the Uttar Pradesh Fire Services before the commencement of commercial run from CCS Airport to Munshipulia.

23RD FEBRUARY, 2019

CMRS GIVES CERTIFICATION TO LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION AFTER 3 DAY SUCCESSFUL INSPECTION FROM CCS AIRPORT TO MUNSHIPULIA

Shri AK Jain, Commissioner Metro Railway Safety (CMRS) gave his certification to Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) for commencing the revenue/ commercial operations of its Metro services for public ridership on entire corridor from CCS Airport to Munshipulia.

5TH MARCH, 2019

LMRC OBSERVES NATIONAL SAFETY WEEK, 2019; LMRC OFFICERS AND STAFF TAKE PLEDGE TO TAKE SAFETY AS 'FIRST PRIORITY'

Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC) is observing the National Safety Week, 2019 from 4th March, 2018 to 10th March, 2019. In this connection, all LMRC officers and staff today participated in a safety 'pledge' at administrative office (Gomti Nagar) and Metro depot in order to adopt and follow safety measures and practices at workplace i.e. both at the project site and during operations



8TH MARCH, 2019

LMRC STARTS METRO SERVICES ON ENTIRE NORTH-SOUTH CORRIDOR OF (PHASE- 1A) FROM CCS AIRPORT TO MUNSHIPULIA



Lucknow Metro Rail Corporation Ltd. started the Metro Services for the public of Lucknow on entire North-South corridor (Phase 1A) from Chaudhary Charan Singh Airport to Munshipulia. Shri Narendra Modi, Prime Minister, India inaugurated the project on 8th March, 2019 and flagged-off the Metro train via video conferencing from Kanpur in the auspicious presence of Shri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Housing & Urban Affairs; Shri Ram Naik, Hon'ble Governor, Uttar Pradesh; Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh; Prof. Rita Bahuguna Joshi, Minister, Women Welfare, Family Welfare, Government of Uttar Pradesh; Shri Brijesh Pathak, Minister of Law & Justice, Govt. of UP.; Shri. Ashutosh Tandan, Minister of Technical Education, Govt. of UP; Shri Suresh Pasi, Minister of Housing, Vocational Education & Skill Development, Govt. of UP and Shri Kaushal Kishor, MP, Mohanlalganj (Lucknow), UP.



DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

Your Directors have the pleasure in presenting the 6th Annual Report of the Company together with the Audited Accounts, Auditors' Report and comments of Comptroller and Auditor General of India thereon for the financial year ended on 31st March, 2019.

1. Financial Results and Performance

The financial position of the Company for the Financial Year ending on 31st March, 2019

(Rs. in Lacs)

Particulars	For FY 2018-2019	For FY 2017-2018
Total Income	10890.14	7487.35
Less: Operating Expenses	2818.53	1616.72
Less: Depreciation	8582.34	4430.84
Less: Financial Expenses	211.46	82.64
Less: Exceptional Items	344.82	(216.54)
Profit (Loss) Before Tax	(7211.16)	(2677.07)
Add / (Less): Tax Expense	-	355.33
Net Profit (Loss) After Tax	(7211.16)	(2538.28)
Transfer to General Reserves	-	-
Profit Carried Forward to the Balance Sheet	-	-

Transfer to General Reserves:

The Board has not recommended to transfer any amount to the General Reserve.

Dividend for the Financial Year 2018-19

During the year under review i.e. FY 2018-2019, company have incurred losses so the Board of Directors have not recommended any Dividend on the Equity Shares of the Company.

2. Status of the Lucknow Metro Rail Project

The Company is a Joint Venture of Government of India (GoI) & Government of Uttar Pradesh (GoUP) for implementation of Lucknow Metro Rail Project as an Integrated Rapid Mass Public Transport System in Lucknow. It is a 50:50 jointly owned Special Purpose Vehicle (SPV) of Government of India (GoI) and Government of Uttar Pradesh (GoUP) and incorporated under the Companies Act 1956.

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi flagged off the commercial run on North-South corridor on 8th March, 2019 in the august presence of Shri Hardeep Singh Puri, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Housing & Urban Affairs, GoI; Shri Ram Naik, Hon'ble Governor, Uttar Pradesh; Shri Yogi Adityanath, Hon'ble Chief Minister, Uttar Pradesh in addition to this other Hon'ble dignitaries were present. Hon'ble Prime Minister also laid the Foundation stone for Agra Metro Rail Project as an Integrated Rapid Mass Public Transport System.



Inauguration ceremony of North-South Corridor

The entire North-South Corridor (Phase 1A) has become fully operational for general public from 9th March 2019 before stipulated time, comprising of 21 stations (4 underground and 17 Elevated) from Chaudhary Charan Singh Airport to Munshipulia. All the 4 underground and 17 Elevated metro stations have been awarded the Platinum Certificate by Indian Green Building Council. The commuters of metro have given overwhelming response to the commencement of Metro Services in whole corridor of N-S and the service is being well appraised for its quality, punctuality, artwork and design which depicts the culture of Lucknow at various underground stations. As a result, the average daily ridership in Phase-1 has shown a quantum jump.

Lucknow Metro is the first Metro in the country which has tied up with Radio City 91.1 FM and launched its very own FM Radio. It is now providing specialized content, public announcements, jingles and melodious music at all Metro stations for the commuters of Lucknow Metro. In order to provide a push to government's 'Digital India' campaign and an extended benefit for the Metro commuters, Lucknow Metro started providing free Wi-Fi facility to its 'Go Smart' card users at all its operational Metro stations. Your Company has also taken up various initiatives to make its station facilities for differently able person.

3. Rolling Stock

As on 31st March 2019, the Company has a total of 80 coaches having designed speed of 90 kmph & schedule speed of 32 to 35km per hour including dwell time/stoppage of 30 seconds per station and design headway of 100 second.

LMRC trains are energy efficient, reliable and provide better comfort to passengers in terms of riding quality, lower- noise level and environment friendly. The body shell of cars made of stainless steel are lightweight. The highly energy efficient Trains are with regenerative braking to feed the energy back to overhead electrical energy system during braking. All systems in the train are monitored & selectively controlled by a microprocessor based Train Control & Management System (TCMS).



Rolling Stock at Depot

Metro trains have fast acceleration/deceleration and maximized energy efficiency with advance features such as Automatic Train Protection (ATP), Automatic Train Operation (ATO), Train Integrated



Management System (TIMS)/ Train Control Management System (TCMS) for continuous monitoring of critical sub-systems, secondary air suspension and microprocessor controlled regenerative braking that pumps back electricity in to the system during braking. Least reliance on friction braking, which is not only energy intensive but also reduces the life of wheels, has been a focus area while formulating specifications. The state-of-the-art lightweight, stainless steel, fully vestibule air-conditioned coaches are equipped with electronic Passenger Announcement and Information Display System for pre-informing passengers about the arrival of platforms, passenger alarms and communication system in case of emergency, Closed Circuit Television (CCTV) surveillance and the Automatic Electric door opening and closing operation. Further, the Phase III rolling stock is proposed with control system designed to ensure accurate energy measurements, so as to use the data for claiming carbon credits.

4. Signaling and Train Control

The state of art signaling system Based on “Communication Based Train Control” (CBTC) with Continuous Automatic Train Control System (CATS) has been applied. The main features of Train Control & Signaling system for Lucknow MRTS are Automatic Train Protection (ATP) with Cab Signalling with Track to train communication through Coded Audio Frequency Track Circuits, Automatic Train Operation System (ATO), Automatic Train Supervision System (ATS) with Automatic Route Setting and Automatic Train Regulation.



Signalling and train control system

CCTV system is based on the latest technology in the world. It consists of high-end resolution Cameras, IP based and Infra-Red enabled cameras. This help in accessing camera even from a remote location. CCTVs are enabled in surveillance even during the night. A large video wall has been installed at DCC building to monitor all the cameras at single point.

A help phone has been installed at middle of the platform to help passengers. If any passenger picks the help phone, a CCTV popup will appear in station controller CCTV screen and Controller will be able to see the person along with talking to passenger.

In case of any power failure, LMRC has installed a separate UPS (Uninterrupted Power Supply) with minimum two hours backup. This UPS will provide Regulated Power supply to Signal System, Telecom Sub System and Automatic Fare Collection System. Separate battery banks are installed in redundancy.

5. Automatic Fare Collection System

Automatic Fare Collection System (AFC) an innovative implementation model has been adopted. HDFC Bank has issued co-branded smart cards of EVM standards, which can be used as tickets for Lucknow Metro and assorted value cards at other Points of Sale (PoS). AFC equipment, both on site and on cloud has been installed and commissioned for all the stations from CCS Airport to Munshipulia.

6. Operations and Augmentation of Customer Facilities

The vision of the Company is to make commuting experience of customers delightful. In this direction, the following initiatives have been undertaken during the year:

- Modern entry/ exit gates, interior & exterior painting, construction of event corners for providing spaces for organizing campaign, development of parking area, etc.
- Addition of Customer Facilitation/ Equipment viz. Automatic Fare Collection Gates, Token Vending Machines, Point of Sale Machines, Lifts, Escalators, etc.
- Launching of High Speed Free Wi-Fi facility at various Metro Stations of the company
- Collaboration with Google maps to make commutation easier
- Introduction of discounted fares for smart card users
- Improvements at station surroundings
- Setting up of a dedicated help line for safety & security of women, children & specially abled passengers
- the company is collaborating with state transport authorities, various other Government authorities and private transport agencies to provide feeder services for first and last mile connectivity to and from metro stations.
- In addition to the above company has executed the MOU with Uber for providing cab services as feeder service at various metro stations.
- Supporting the GoI's efforts towards promoting a cashless digital economy, the Company continued its efforts for cashless transactions and smart cards. The Company has taken the following initiatives during the year:
 - To widen the digital payment options for commuters to recharge their metro cards directly from the LMRC App and website also
 - Implementation of cashless token sale/smart card recharge facility by using Credit/Debit Cards at the Token Vending Machines (TVMs) installed at the metro stations
 - Launching cashless token sale/smart card recharge facility by using the Bharat Quick Response (QR) Code displayed at the Token Counters & Customer Care Centres of Metro stations
 - In line to go for Common Mobility Card Company have tied up with Lucknow Municipal corporation for payment of various taxes with go smart card. In addition, Lucknow Metro and BSNL have also joined hands to provide additional mode of payment for various BSNL services with the help of Go Smart Card.
 - Lucknow Metro has introduced unattended Point of Sale (POS) terminals with Debit/Credit card facility. These state-of-the-art TVMs are also equipped with CCTV cameras to ensure safety & security at the unattended POS terminals



Facility for specially abled at Ticket Counters



Under Swachh Bharat Abhiyan of Prime Minister of India, the Company has provided toilet blocks at all stations of the company free of cost to all the commuters of Lucknow Metro. To keep the surroundings clean & hygienic; cleaning of the coaches at the terminal stations before trains start their next journey. Nukkad Nataks (Street Plays) were also performed at Metro stations to sensitize the commuters about the importance of cleanliness and hygiene

7. Alternate Revenue Initiatives

With a view to shore up its bottom line, your Company is exploring ways to leverage the indirect beneficiaries and other sources for alternate incomes. The avenues for non-fare box revenue have been identified and explored which includes the following:

- Advertisements
- Commercial Development & Rentals of spaces
- Property Development
- Leasing of Optic Fiber Cables
- Leasing of tower spaces
- Parking

Company is getting revenue from Advertisement, Commercial Development, Rental, parking and leasing of tower spaces.

8. Execution of Metro Projects in various cities of Uttar Pradesh

The Union Cabinet in its meeting on 28 February 2019, chaired by the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has approved Kanpur and Agra Metro Rail Projects having two corridors respectively which will connect major public nodes and city cluster areas of both the cities. Kanpur and Agra Metro Rail Projects will be implemented by Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC), existing 50:50 jointly owned company of GoI and GoUP which is being reconstituted as Uttar Pradesh Metro Rail Corporation Limited (UPMRC). Completion period of the projects is 05 years from the date of approval.

The Agra Metro project will have two corridors connecting to all key points. The 14-kilometre corridor between Sikandara to Taj East Gate will have 13 stations, six elevated and seven underground while another 15.40-km Agra Cantt to Kalindi Vihar corridor will have 14 stations, all of those elevated, with total estimated cost of Rs 8,379.62. In Agra Under Corridor-1, Priority Corridor of approx. 6 Km length from Taj East Gate to Jama Masjid including 03 elevated and 03 underground stations has been selected.

The Kanpur Metro will also be comprising of two corridors namely; IIT, Kanpur to Naubasta corridor (23.785km) is partly elevated and partly underground and comprises of 22 Stations and Agriculture University to Barra-8 corridor (8.60 km) comprises of 4 Elevated & 4 Underground stations. Estimated cost of the project is Rs 11,076.48 Cr. and both these projects are estimated to be completed in 5 years. In Kanpur -Under Corridor-1, Priority Section of approx. 9 Km length from IIT Kanpur to Moti Jheel with 09 elevated stations has been selected.

Tenders for System contracts like Track, Traction, Telecom, Rolling Stock and Signaling etc. can be floated after tying up funding from external funding institution/Banks. The proposal regarding funding agency has been forwarded to the Government.

9. Workshop cum Maintenance Depot

The Company Workshop cum Maintenance Depot of the North-South Metro corridor (Phase 1A) has been constructed at 32nd Battalion, P.A.C. campus, Transport Nagar Lucknow in approximately 52 acres of land. The Depot have world class modern state-of-the-art facilities at Workshop Cum Inspection Bay Lines, Stabling Yards, Automatic Train Wash Plant, Depot Control Centre, Receiving Sub-Station (RSS), Training Centre (Centre for Excellence for Training) and other facilities. This Depot is going to be Pioneering Depot of LMRC and is first of its kind in Uttar Pradesh.



Metro Train at the Stabling Yard Inside Green Depot

10. Centre of Excellence for Training (CoET) at the Transport Nagar Metro Depot



Metro Depot

The LMRC's Centre of Excellence for Training (CoET) has become functional. This building has been constructed inside the premises of the Transport Nagar Metro Depot and has been equipped with state-of-the-art Metro training facilities to train fresh recruits to LMRC. The center has capacity to cater the training needs of all upcoming metros in Uttar Pradesh. The main facilities include CBT Class rooms, Desktops Simulators, Motion Simulators and state of art library. CoET has seven state of art classrooms capable of imparting training to 300 plus trainees. Further adjoining to CoET there is a canteen equipped with most modern facilities to serve food to more than 300 persons.

It has played a crucial role in developing the staff capabilities and competence of the employees to improve soft-skills for excellent client service CoET conduct regular courses on communication and soft skill with reputed institutions like Amity Business School, Lucknow; Regional English Language Office US Embassy and other reputed free-lance trainers. It will be a role model for all other upcoming Metros in other important cities of the State like Kanpur, Varanasi, Meerut, Agra, Allahabad and Gorakhpur.

11. Safety

All stations of the N-S Corridor have installed the CCTVs, detectors, scanners, metal detectors etc. to monitor Metro Stations for 24 Hours. All the Metro Stations of the Priority Section are earthquake resistant and have been designed to sustain seismic force.



Safety Pledge by LMRC officials



All 21 Metro stations of the company and Depot at Transport Nagar have been certified as per ISO 14001 and OHSAS 18001.

LMRC is fully prepared with highest safety and security norms and for this the company has undertaken various safety awareness campaigns for its staff, commuters, general public and contractors' employees working with us. Project, safety training has been made mandatory for all contractors' workers and site staff. Competence Assessment based training has been organized on key trades like Lifting Engineers, Scaffolders, Drivers & Operators, Pick and Carry Crane Operators etc.

Celebration of National Safety Day

Lucknow Metro undertakes various safety awareness campaigns for its staff, commuters, general public and contractors' employees working with us. Safety Awareness Week was organised from 4th - 10th March, 2019 wherein the Company employees participated in the events like safety quiz, safety slogan competition, other safety promotional activities, etc. In addition, Nukkad Natak were also organized at our various sites wherein large number of contractors' staff as well as workmen participated.

Efforts have been made to ensure that all site staff and contractors' workers get mandatory minimum hours training on Safety and Health Environment (SHE) to create safe working environment at site. Competency Assessment based training has also been organized on key trades like Lifting Engineers, Scaffolders, Vehicle Drivers & Plant Operators, etc. for ensuring safety during critical works and incidence free operation of construction plant & machineries

Celebration of World Environment Day (5th June, 2018):

Lucknow Metro right from its inception has taken a number of measures to significantly arrest the process of climate change. It has taken the following to control the pollution.

Installation of low Green House Gas emitting rolling stock in metro system

- Metro Lucknow, India (Modal Shift)
- The MRTS Programme of Activities (PoA)
- Solar PV Project
- Energy Efficiency measures in MRTS in N-S Corridor

The Company has also undertaken a special plantation drive on World Environment Day, under which close to 1000 saplings were planted at various metro stations, depots and distributed to Commuters. Environment Awareness Training was imparted to LMRC Employees by Programme Director, Centre for Environment Education. Quiz competition among the LMRC employees were conducted to raise awareness about environmental issues at CoET. Slogan and Poster making competition was conducted to encourage participation in conservation of environment and Awards and Certificates were given to winner of various competitions.

12. Awards & Accolades for Lucknow Metro Rail Corporation Limited

- The British Safety Council bestowed Lucknow Metro with "International Safety Award, 2019" in the category of the Project/Infrastructure for demonstrating a strong commitment to good health & safety management during the construction of entire 23 km long North-South Corridor (Phase 1A).

- The Indian Green Building Council (IGBC) – one of the apex body in India to rate and certify a system as a ‘Green’ system – has certified LMRC a “Green Metro Rail System”, thereby, awarded platinum certificate to all its 21 Metro stations on the ‘North-South Corridor’ from CCS Airport to Munshipulia. All 8 stations of the priority section of North-South corridor from Transport Nagar to Charbagh had already been awarded with ‘Platinum Certificate’ in 2017.



LMRC Team with platinum certificate

- On 10th January, 2019 LMRC was awarded with the International Organisation for Standardization (ISO) 9001:2015 certificate in recognition of the organisation’s Environmental Management System, ISO 14001:2015 in recognition of the organisation’s Environmental Management System and Occupational Health & Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007 certificate for the operation and maintenance of its priority Corridor (from Transport Nagar to Charbagh) and Metro Depot.
- The International Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) has given Silver Award to Lucknow Metro for its Phase 1A (North-South Corridor) in the Project/Infrastructure category for year 2018. With this, Lucknow Metro has become the first ever Metro project from India to receive this award in recognition of its safe practices and achievements in helping its staff/customers/clients/contractors while they worked in the project during its execution.



ROSPA Award

13. Share Capital

Your Company has received Rs. 418.35 Crore towards equity during the year from the Government of India and Government of Uttar Pradesh. The total paid up Share Capital as on 31st March 2019 is Rs. 2000 Crore. As per the financing pattern approved from Government of India, Rs. 3502 crores are to be arranged through Foreign Funding Agency. EIB (European Investment Bank) has agreed to Finance EURO 450 Million. The Finance Contract for Tranche A of EURO 200 Million was signed on 30.03.2016 and Finance Contract for Tranche B of EURO 250 Million was signed on 31st March, 2017. Gol has disbursed Rs. 3502 Cr. to LMRC till FY 2018-19.

14. Human Resource Management

The Management of LMRC always feels that motivated, contented and satisfied workforce is the key for the successful achievement in its organizational goals. Keeping this objective in view, the Company is giving paramount importance for human resource development and realization of its potential. The employer-employee relationship continues to be cordial throughout the year and LMRC was able to meet the targets. The Company’s employment practices are aligned to attract and retain talent.



The recruitment process is completely online since 2016. As on 31st March 2019, the employees strength of the Company was 753 (156 in Project and 597 in Operations & Maintenance). Towards competency building of employees, the Company imparts trainings, conducts workshops, quiz competitions, excursions, yoga & mediation Courses, etc.

Observations of reservation guidelines in recruitment:

The recruitment guidelines regarding reservation of services for SCs/STs/PH/OBCs issued by the GoUP, from time to time, are being followed meticulously. Liaison officers have been appointed for SC/ST and PWD (Person with Disabilities) employees of the Company. A grievance register is being maintained by the company.

Prevention of sexual harassment at workplace:

Lucknow Metro is committed towards providing a safe working environment to its women employees. In this regard, a lecture on gender sensitization has been included in the induction training curriculum to inculcate the culture of righteous behavior among new recruits. Complaint Committees are in place for executive and non-executive women employees, with external member having adequate knowledge and experience in the field of law and women welfare.

The Company has a policy on prevention of Sexual Harassment at Workplace. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 consisting of the following members to look into the cases pertaining to sexual harassment of women and to facilitate a safe working environment free from sexual harassment.

Composition of the Internal Complaints Committee:

Ms. Pushpa Bellani	-	Presiding Officer
Ms. Deepti Agarwal	-	External Member (Practicing Company Secretary)
Mr. S.A. Raza	-	Member
Mr. Brajesh k. Chaturvedi	-	Member

15. Corporate Social Responsibility

CSR policy of LMRC is aimed at demonstrating care for the community through its focus on education and skill development, health & Wellness and environmental sustainability including bio diversity, energy and water conservation. Also embedded in this objective is support to the marginalized cross section of the society by providing opportunities to improve their quality of life. The projects undertaken will be within the broad frame work of schedule VII of the Company Act 2013.

The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the Board of Directors comprises of Shri Nitin Ramesh Gokarn, Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department, Shri Ajai Kant Rastogi, Director (Finance), Shri Mahendra Kumar (Director RS & S).

During the year under review Company does not have any CSR liability on account of the losses in previous three financial years. Accordingly, company has not undertaken any CSR activity during the current year.

16. Training

During the year under review O&M employees have been imparted various training matched to their position, group and department, at Training Institute. Training Institute also conducts various Management Development Programme and Training Programme on Signalling, Train Control System, Fare Collection System and Ballast less Track for O & M staff. The Training Institute has been imparting customized training programmes in the field of Construction, Operations, Maintenance and Customer Care.

17. Right to Information

The Company has implemented the provisions of the Right to Information Act, 2005. Total 106 RTI applications and appeals were processed during the year in time.

18. Vigilance

The Vigilance Department in the Company is headed by the Chief Vigilance Officer, who reports to Managing Director, Lucknow Metro. The Vigilance Unit follows the Central Vigilance Commission guidelines, internal guidelines concerning the business and affairs of the Company. Prevention rather than punitive action is the sole thrust in the preventive checks. Outcome of the checks is carefully drafted into system improvement circulars for plugging the loopholes.

19. Deposit from Public

The Company has neither invited any deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013 nor accepted or received any deposits from the public.

20. Particulars of Employees

Disclosures pertaining to remuneration and other details as required under Section 197(12) of the Act read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are not applicable.

21. Board of Directors

As on 31st March 2019, the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited comprises of 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 4 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh and 4 are Functional Directors. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director is a nominee of the Government of Uttar Pradesh. A detailed note on the Board of Directors is provided under the section 'Corporate Governance Report'.

22. Number of Meetings of the Board

During the financial year under review, the Board of Directors of the Company met 4 times i.e. on 6th June 2018, 23rd July 2018, 28th November 2018, and 27th March 2019.

Committees of the Board

The Board has constituted various committees of board commensurate with the size and nature of the operations of your Company and legal provisions. These are the Audit Committee & the Investment Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Nomination & Remuneration Committee. Each of these sub-Committees has clearly spelt out Terms of Reference which is duly approved by the Board. These committees meet according to the requirements of your company from time to time. The details of the committees of the Board are provided under the section 'Corporate Governance Report'.



23. Directors' Responsibility Statement

In compliance with section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors state that:

- In the preparation of the annual accounts applicable Indian Accounting Standards has been followed along with proper explanations for material departures;
- the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the Company for that period;
- the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- the Directors had prepared the annual accounts on a going-concern basis;
- the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and are operating effectively.

24. Declaration by Independent Directors

The Company has no Independent Directors on its Board presently, as a Joint-Venture Company is exempted from appointment of Independent Directors on the Board of the Company.

25. Extract of the Annual Return

The extract of the Annual Return as provided under sub-section (3) of section 92 of the Companies Act, 2013 is available on the website of the Company, link of which is given as under:
<http://Imrcl.com/resource/downloads/>

26. Particulars of loans, guarantees and investments

During the year under Report, the Company has not:-

- given any loan to any person or other body corporate;
- given any guarantee or provided security in connection with any loan to any other body corporate or person; and
- Acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act 2013.

27. Related Party Transactions

During the year under report, the Company has not entered into any contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act 2013.

28. Material changes and commitments

There have been no material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, that have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

a) Waste Management:

LMRC considers today's waste as tomorrow's raw material. The aim is to minimize waste generation and to recycle the waste. The following measures have been adopted to identify and recycle waste:

- a. 100% waste segregation is ensured at sites.
- b. Training and awareness on minimization of waste generation at source itself.

b) Water Management:

Lucknow Metro is very much concerned with water conservation in construction and operation & maintenance activities. Concerted efforts are being made to reduce water consumption. The following initiatives have been taken:

- a. Rain water harvesting structures have been installed at stations, depots, residential colonies, along viaduct, etc.
- b. Reuse of Effluent Treatment Plant /Sewage Treatment Plant treated water.
- c. Using sewagewater and Reverse Osmosis reject relaying of pipework and use of low flow plumbing
- d. Use of efficient dual flush toilets and use of lower capacity flushing tank for toilet, encouraging waterless urinals
- e. Encouraging mopping for station cleaning instead of washing

c) Conservation of Energy:

Lucknow Metro is taking several energy conservation measures, such as, the use of regenerative braking in the trains which will result in saving of 30 to 35 per cent traction energy, thereby resulting in reduction in emission of Green House Gases (GHG), using Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) drive for all lifts and escalators, provision of LED lights at stations, use of energy efficient equipment for Environmental Control System (ECS) and Tunnel Ventilation System (TVS) for the underground station etc.

Currently, 1MW capacity roof mounted photo voltaic cells installed on train stabling shed and inspection line sheds has been commissioned by Lucknow Metro under the RESCO model. Because of all these novel measures, society will be able to recover the entire investment cost of the project in 5 years, its Economic Internal Rate of Return (EIRR) of the Project being 19.46%.

d) Foreign exchange earnings and outgo

During the year details of foreign exchange outgo is given below:-

Amount in Rupees (in Lakhs)

S. No.	Particular	FY 2018-19	FY 2017-18
1.	Professional and consultancy fee	2157.48	3468
2.	Tours and Travels	28.26	15
3.	Contracts	22191.76	22190



29. Directors and Key Managerial Personnel

Directors appointed during the F.Y. 2018-19

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of appointment	Designation
1	Shri Sushil Kumar	08271108	24/10/2018	Whole time Director (Operation)
2	Shri Sanjay Mishra	08102041	02/04/2018	Whole time Director (Works & Infrastructure)
3	Shri Rajesh Kumar Singh	06459343	23/07/2018	Nominee Director, GoUP
4	Shri Ajay Kumar Shukla	08150406	23/05/2018	Nominee Director, GoUP
5	Shri K Sanjay Murthy	03532374	10/10/2018	Nominee Director, Gol
6	Shri Pradeep Madhumangal Sikdar	08178025	23/07/2018	Nominee Director, Gol

Directors ceased during the F.Y. 2018-19

Sr. No.	Name Of Director	DIN	Date Of Cessation	Designation
1	Dr. Anup Chandra Pandey	00267876	01.07.2018	Nominee Director, GoUP
2	Shri Manoj Kumar	00415180	10.10.2018	Nominee Director, GoUP
3	Shri Ajay K. Shukla	08150406	30.03.2019	Nominee Director, GoUP

30. Directors and Key Managerial Personnel

The Key Managerial Personnel of the Company are as follows:

- Shri Kumar Keshav, Managing Director
- Shri Mahendra Kumar, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- Shri Ajai Kant Rastogi, Whole Time Director (Finance) and CFO
- Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- Shri Sushil Kumar Whole Time Director (Operations)
- Smt. Pushpa Bellani, Company Secretar

Remuneration and other details of the Key Managerial Personnel for the financial year ended on 31st March, 2019 are mentioned in the extract of the Annual Return.

31. Significant and Material orders:

No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going-concern status of the Company and affecting its operations.

32. Risk Management Policy:

Your Company is committed to identify potential risks before they occur so that the risk management activities may be planned and invoked as and when needed across the life of the project and to mitigate its

adverse impacts on achieving the larger objectives for this your Company has identified the following specific areas for Risk Management:

1. to ensure that all the current and future material risk exposures of the Company are identified, assessed, quantified, appropriately mitigated, minimized and managed on time;
2. to ensure that high priority risks are aggressively managed and eliminated;
3. to ensure that all risks are cost-effectively managed throughout the project;
4. to promote information sharing at all levels of the management to make informed decisions on issues critical to the success of the project;
5. to ensure compliance with the appropriate regulations, wherever applicable.
6. Your Company has adopted the following measures to achieve and improve the specific objectives :-
 - Conducting quarterly internal audit by independent auditors; their observations are reviewed by the Audit Committee and corrective actions taken wherever found appropriate.
 - Physical verification of assets at regular intervals by a team constituted for the purpose and by the internal auditors.

33. Internal Financial Control

The Board has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

34. Corporate Governance

Your Company adheres to impeccable Corporate Governance standards and pursues transparency, integrity and accountability in all its activities. A separate section entitled 'Corporate Governance Report' has been annexed to this report.

35. Auditors

a. Statutory Auditor

Pursuant to Section 139 of the Companies Act, 2013 M/s D S Shukla & Co, Chartered Accountants were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) who shall continue in office till the conclusion of the next Annual General Meeting. Report of the Statutory Auditors forming a part here of has been annexed suitably.

b. Secretarial Auditor

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013, M/s Dileep Dixit & Co., Practicing Company Secretaries, was appointed to conduct the secretarial audit of the Company for the year 2018-19. The report from the secretarial auditor and the explanations or comments to every qualification made by the Company Secretary in practice in his Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

c. Internal Auditor

M/s. S N Kapoor & Associates, Chartered Accountants, Lucknow, were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct Internal Audit and their report is reviewed by the Audit Committee from time to time.



36. Acknowledgement

The Board of Directors places on record their appreciation for the advice, guidance and support given by the various Ministries, Departments and Agencies of Govt. of India. and Govt. of Uttar Pradesh. The Board of Directors expresses sincere thanks to European Investment Bank for providing loan to this project. The Board also acknowledges and extends sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors, various national and international contractors, consultants, technical experts and suppliers for their continued support and co-operation.

The Board of Directors wish to place on record appreciation for the hard work and commitment put in by the Company's employees at all levels due to which project targets are being achieved and train operations have started. The Board also look forward to their services with zeal and dedication in the years ahead to enable the Company to scale greater heights.

**For and on behalf of the Board of Directors of
Lucknow Metro Rail Corporation Limited**

**Place: Lucknow
Date: 27-07-2019**

Sd/-
Kumar Keshav
Managing Director
DIN-02908695

Sd/-
Ajai Kant Rastogi
Director Finance
DIN-07228424

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance policy of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRCL) is evolved from the philosophy of adherence to impeccable Corporate Governance practices by ensuring transparency, accountability and standards of fair dealing and ethics for attaining its corporate objective of providing a safe, reliable, efficient, viable and customer-friendly Metro system for the city of Lucknow. LMRCL pursues the highest standards of ethics and maintains core values of integrity and trust in the entire arena in which it operates.

In the performance of its functions, LMRCL is guided by the CVC guidelines, the Articles of Association (AoA) of the Company, the provisions of the Companies Act 2013, applicable accounting standards, regulations prescribed by authorities like the C&AG, provisions of the Right to Information Act 2005 and Rules made there under. In addition, all the applicable statutes governing the functioning of the organization in respect of safety, health, environment, welfare of the employees and those engaged through contractors, provision for fair compensation, rehabilitation and resettlement of project affected persons etc. are appropriately complied with.

A. BOARD OF DIRECTORS

1. Composition of the Board of Directors

As on 31st March 2019, the Board of Directors of Lucknow Metro Rail Corporation Limited comprises of 13 Directors, of whom 5 Directors are nominees of the Government of India, 4 Directors are nominees of the Government of Uttar Pradesh and 4 are Functional Directors. The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India is the Chairman while the Managing Director, is a nominee of the Government of Uttar Pradesh.

The Composition of the Board as on 31.03.2019 is as follows:

Name	Designation
Shri Durga Shanker Mishra	Chairman, Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs (MoHUA)
Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC
Smt. Jhanja Tripathy	Nominee Director, GOI Joint Secretary & FA, MoHUA
Shri Vinay Kumar Singh	Nominee Director, GOI Managing Director, National Capital Region Transport Corporation Limited
Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP
Shri Anil Garg	Nominee Director, GoUP Commissioner, Lucknow
Shri K. Sanjay Murthy	Nominee Director of GoI, Additional Secretary (D) MoHUA
Shri Pradeep Madhumangal Sikdar	Nominee Director of GoI ED/Sig. (Dev), Railway Board
Shri Rajesh Kumar Singh	Nominee Director of GoUP Principal Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department



Shri Sanjay Mishra	Whole-time Director (W & I), LMRC
Shri Sushil Kumar	Whole-time Director (Operations), LMRC
Shri Mahendra Kumar	Whole-time Director (RS & S), LMRC
Shri Ajai Kant Rastogi	Whole-time Director (Finance), LMRC

During the period under report, the following Directors were inducted based on nomination received from Government of India and Government of Uttar Pradesh are:-

1. Shri Pradeep Madhumangal Sikdar
2. Shri Ajay Kumar Shukla
3. Shri Rajesh Kumar Singh
4. Shri K Sanjay Murthy

2. Note of Appreciation

The Board places on record its appreciation for the valuable services rendered and the expert advice provided by following Directors whose tenure ceased during the year under review;

Sr. No.	Name Of Director	Date Of Cessation	Designation
1	Dr. Anup Chandra Pandey	01.07.2018	Nominee Director, GoUP
2	Shri Manoj Kumar	10.10.2018	Nominee Director, GoUP
3	Shri Ajay K. Shukla	30.03.2019	Nominee Director, GoUP

The Board of Directors of the Company comprises professionals with proven administrative and execution capabilities, committed to the objective of the company, who collectively direct the affairs of the Company.

3. Board Procedure

Board Meetings are conducted regularly for critical evaluation and review of the performance of the Company and for ensuring effective implementation of management decisions. The Company has streamlined a procedure for holding the Board and its Committee Meetings, as explained below: -

Scheduling and selection of Agenda items for Board/Committee Meetings:

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining approval of the Chairman of the Board. To address specific urgent needs, meetings are also called at short notice. The Board also passes Resolutions by Circulation, but only for such matters, which are of utmost urgency and which are permissible in terms of the provisions of the Companies Act 2013.

The agenda papers are prepared by the Heads of Departments concerned and submitted to the Managing Director. Duly approved detailed agenda notes, management reports and other explanatory statements, backed by comprehensive background information, are circulated in advance amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings.

In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s), not on the agenda are taken up for discussion with the permission of the Chair. The Board is also informed of major events/items of approvals taken whenever necessary. The Managing Director at the Board Meetings keeps the Board apprised of the overall performance of the Company. The Board are of the view that status of actions taken on the directives of the Board in earlier meetings also forms part of the agenda of next Board Meeting.

The members of the Board have complete access to all information of the Company. Also, the Board meetings are conducted in line with the Secretarial Standards-1.

Briefing by the Managing Director:

At the beginning of each meeting of the Board, the Managing Director briefs the Board members about the key developments including the status of the project and other important achievements/developments relating to the Company in various areas.

Recording Minutes of proceedings at the Board meeting:

Minutes of the proceedings of each Board meeting are recorded and are entered in the Minutes Book. The minutes of the Board Meetings are submitted for confirmation at its next meeting after these are signed by the Chairman. The minutes of the meetings of the Sub-committees of the Board are placed before the Board for its information.

Compliance:

The Heads of Departments, while preparing agenda notes ensure adherence to all the applicable statutory requirements including the provisions of the Companies Act 2013, the Articles of Association and the CVC guidelines.

The employees of the Company pursue the duties and responsibilities entrusted to them. They always maintain high moral standards and values in contributing towards corporate functioning, and the appropriate and timely guidance from the management, helps them to discharge their duties effectively.

4. Meeting of shareholders

The Fifth Annual General Meeting of the shareholders of the Company was held on 29th September 2018 at registered office of the company at Lucknow.

5. Board Meetings

During the year FY 2018-2019, Four Board meetings were convened and held. The attendance details of Directors at the Board meetings held during their tenure is as given below:

S. No	Name	No. of Meetings held in 2018-19 during the tenure of their Directorship No. of Board meetings attended	No. of Board meeting attended
1	Shri. Durga Shanker Mishra	4	4
2	Shri. Kumar Keshav	4	4
3	Smt. Jhanja Tripathy	4	3
4	Shri Vinay Kumar Singh	4	4
5	Shri K Sanjay Murthy	2	2
6	Shri Pradeep Madhumangal Sikdar	3	2
7	Shri Nitin Ramesh Gokarn	4	4



8	Shri Ajay Kumar Shukla	4	0
9	Shri. Anil Garg	4	0
10	Shri Rajesh Kumar Singh	3	0
11	Shri. Mahendra Kumar	4	4
12	Shri. Ajai Kant Rastogi	4	4
13	Shri. Sanjay Mishra	4	4
14	Shri Sushil Kumar	2	2

6. Committees of the Board

The Board has constituted Five Committees, commensurate with the size and nature of operation of the Company. These are Audit Committee & Investment Committee, Internal Complaint Committee, Corporate Social Responsibility Committee and Nomination & Remuneration Committee. Each of these committees has clearly spelt out Terms of Reference duly approved by the Board. These Committees meet according to the requirements of the Company from time to time.

a. Audit Committee

The composition of the Audit Committee of the Company as on date is:

S. No.	Name of the Director	Designation	Date of appointment at Member of the Committee
1	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Nominee Director, GoUP Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, GoUP	27.03.2018
2	Shri Ajay Kumar Shukla	Member, Secretary, Finance Department, GoUP	02.05.2018
3	Smt. Jhanja Tripathy	Member, Joint Secretary & FA, MoUD	24.08.2017
4	Shri Mahendra Kumar Director (RS&S) LMRC	Member, Director (RS &S), LMRC	24.08.2017

The Committee met four times during the year under review.

Meeting No.	Date of Meeting
14th	24.05.2018
15th	13.07.2018
16th	26.11.2018
17th	19.03.2019

General Manager (Finance), Internal Auditors and the Statutory Auditors of the Company were also invited to attend the meetings of the committee. The terms of reference of the Audit Committee are as approved by the Board in accordance with the provisions of Companies Act 2013 and rule made thereunder :-

S. No.	Name of the Member of the Audit Committee	Meetings held in 2018-19 during the tenure of their Membership	Meetings Attended
1.	Shri Nitin Ramesh Gokarn	4	4
2.	Shri Ajay Kumar Shukla	4	3
3.	Smt. Jhanja Tripathy	2	2
4	Shri Mahendra Kumar Director (RS&S) LMRC	4	4

b. Investment Committee:

The composition of the Investment Committee of the Company is as follows as on date.

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Kumar Keshav, Managing Director	Chairman
2.	Shri Mahendra Kumar, Director (RS&S)	Member
3.	Shri Ajai Kant Rastogi, Director (Finance)	Member

c. Corporate Social Responsibility Committee:

The Corporate Social Responsibility Committee of the Company was formed on 9-2-2018 and composition of the committee as on date as mentioned below:

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Mahendra Kumar	Director (Rolling Stock & System), LMRC
3.	Shri Ajai Kant Rastogi	Director (Finance), LMRC

d. Nomination & Remuneration Committee:

The composition of the Nomination & Remuneration Committee of the Company as on date is:-

S No	Name of the Member	Designation
1.	Shri Nitin Ramesh Gokarn	Principal Secretary, Housing & Urban Planning Department and Nominee Director, GoUP
2.	Shri Kumar Keshav	Managing Director, LMRC
3.	Shri Ajai Kant Rastogi	Director (Finance), LMRC

**B. DISCLOSURES**

- There have been no materially significant related party transactions i.e., transactions of the Company of a material nature with its promoters, the directors or the management, subsidiaries or relatives etc.
- That may have potential conflict of interest with the interest of the Company at large.
- There were no cases of any statutory non-compliances by the Company or any instances of penalties imposed or structures against the Company by any Statutory Authority.
- There were no items of expenditure debited in the books of accounts, which were not for the purpose of the business of the Company.

C. COMPANY'S WEBSITE

The Company's website is www.lmrcl.com. All major information pertaining to the Company, including the project, contracts, job recruitment processes etc are given on the website to disseminate timely information about all procurement of goods and services. The website also provides information on all important events, activities and progress of the Metro Rail project and other significant developments.

Address for correspondence:**Registered Office:**

**Administrative Building,
Vipin Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010
Ph-0522-2304011**

Email: cslmrcl@gmail.com Website: www.lmrcl.com

**For and on behalf of the Board of Directors of
Lucknow Metro Rail Corporation Limited**

Sd/-

Kumar Keshav
Managing Director
DIN-02908695

Sd/-

Ajai Kant Rastogi
Director Finance
DIN-07228424

Place : Lucknow
Date: 27.07.2019

Annexure-I

Dileep Dixit & Co.
Company Secretaries

Email ID : cs.dilipdixit@gmail.com
Contact Nos. : +91 8354980010

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2019

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule no. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,

Gomti Nagar, Near Dr. Ambedhkar Samajik,

Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrcl@gmail.com

1. We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Lucknow Metro Rail Corporation Limited** (hereinafter called "the company"). The Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.
2. We have examined the registers, records, books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st Day of March, 2019 according to the provisions of:
 - i. The Companies Act, 2013 and Rules made there under and various allied acts warranting compliance;
 - ii. The Metro Railways (Construction of works) Act, 1978 and Rules thereof;
 - iii. The Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 and Rules thereof; and
 - iv. The Memorandum and Articles of Association of the Company;
3. Based on our verification of books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st Day of March, 2019** complied with the statutory provisions listed hereunder:
 - i. maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
 - ii. forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies;
 - iii. service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;



- iv. notice of Board and various Committee meetings of Directors;
- v. meetings of Directors and all the Committees of Directors;
- vi. notice and convening of Annual General Meeting held on 29th September, 2018;
- vii. minutes of the proceedings of the Board Meetings, Committee and Members Meetings;
- viii. approvals of the Board of Directors, Committee of Directors, Members and Government authorities, wherever required;
- ix. constitution of the Board of Directors, Committees of Directors and appointment and reappointment of Directors;
- x. payment of remuneration to Directors and Managing Director and Key Managerial Personnel;
- xi. appointment and remuneration of Statutory Auditors, Secretarial Auditors and Internal Auditors;
- xii. transfer of Company's shares, issue and allotment shares;
- xiii. contracts, registered office and publication of name of the Company;
- xiv. report of the Board of Directors;
- xv. investment of Company's funds;
- xvi. generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules there under;
- xvii. The Company has, in our opinion, proper Board-processes and compliance mechanism and has complied with the applicable statutory provisions, Act(s), rules, regulations, guidelines, applicable secretarial standards, etc., mentioned above and as stipulated under the Memorandum and Articles of Association the Company.

4. We further report that:

- i. the Directors have complied with the requirements as to disclosure of interests and concerns in contracts and arrangements, shareholdings and directorships in other Companies and interest in other entities;
- ii. the Company has obtained all necessary approvals under various provisions of the Companies Act, 2013 wherever necessary;
- iii. there was no prosecution initiated or show cause notice received by the Company during the year under review the Companies Act, 2013 and rules, regulations and guidelines there under.

5. We further report that during the year:

The status of the Company remains as a Government Company with 50:50 Joint Venture of State (Government of Uttar Pradesh) and Central Government. Further, we are of the view that the Company is regular in complying with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (Being specific acts governing the Company).

- i. The compliance to that effect have been made, this fact has been examined from the perusal of various records maintained by the Company.
- ii. During the period under review, the Board of Directors of the Company was duly constituted and the appointment and cessation of Directors has been made in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013. The Company has complied with all the mandatory requirements.

We further report that the applicable financial laws, such as Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed under my audit in its entirety as same falls under review of the statutory audit and by other designated professionals and we relied upon the reports of such statutory auditor and other designated expert professionals.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

Para wise Report on specific observations / audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the applicable laws are provided in the "Annexure A" attached with this report (forming integral part of report).

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act and as per the orders issued by the concerned regulatory body and government in this regard.

Adequate notices were given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance in most of the meetings, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

As per the minutes of the meetings duly recorded and signed by the Chairman, the decisions of the Board were unanimous and no dissenting views have been recorded.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For M/s. Dileep Dixit & Co.

Sd/-

Dileep Kumar Dixit

FCS No. 6244

C P No. 6770

Place: Lucknow

Date: 24.07.2019



Annexure A

1. Observation of gap of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings particularly between 2nd and 3rd meeting of the Board of Directors for the Financial Year 2018-19 conducted during the audit period pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013

Place: Lucknow

Date: 24.07.2019

For M/s.Dileep Dixit & Co.

Dileep Kumar Dixit

FCS No. 6244

C P No. 6770



Dileep Dixit & Co.
Company Secretaries

Email ID : cs.dilipdixit@gmail.com
Contact Nos. : +91 8354980010

To,

The Members,

Lucknow Metro Rail Corporation Limited

CIN: U60300UP2013SGC060836

Reg. Office: Administrative Building Vipin Khand,

Gomti Nagar, Near DR Ambedhkar Samajik,

Parivartan Sthal Lucknow -226010 Uttar Pradesh

E-mail id: cslmrc@gmail.com

Our Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company so far it is not concerned with our audit related matters.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For M/s. Dileep Dixit & Co.

Sd/-
Dileep Kumar Dixit
FCS No. 6244
C P No. 6770

Place: Lucknow
Date: 24/07/2019



Comment by Secretarial Auditor	Reply
1. Observation of gap of more than 120 (one hundred and twenty) days between two consecutive Board meetings particularly between 2nd and 3rd meeting of the Board of Directors for the Financial Year 2018-19 conducted during the audit period pursuant to the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013	33rd Board Meeting was held on 23.07.2018 & 34th Board meeting was held on 27/11/2018. There was delay of 7 days due to pre-occupied & unavoidable reasons, the members of the Board were not available for the meeting hence the meeting could not be conducted within the stipulated days.

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the financial year ended 31.03.2019

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12 (1) of the Company
(Management and Administration) Rules, 2014

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1.	CIN	U60300UP2013SGC60836
2.	Registration Date	25th November, 2013
3.	Name of the Company	Lucknow Metro Rail Corporation Limited
4.	Category/Sub-category of the Company	Government Company
5.	Address of the Registered office & contact details	Administrative Building, Vipin Khand Gomti Nagar, Near Samajik Parivartan Sthal, Lucknow- 226010 Phone: 0522-2304010 Fax: 0522-2304013 Email: cslmrcl@gmail.com Website: www.lmrcl.com
6.	Whether listed company	Not Listed
7.	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NA

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

Sr. No.	Name and Description of Main Products/ Services	NIC Code of the Product/ Service	% to total turnover of the Company
1.	Land transport via Railways & Pipelines	H2	100

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/Subsidiary/ Associate	% of share held	Application section
1.	-----Not Applicable-----				



IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

a) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year [As on 1st April, 2018]				No. of shares held at the end of the year [As on 31-March, 2019]				%Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
(a) Individual/HUF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Central Govt.	-	65160000	65160000	41.20%	-	100300000	100300000	50.15%	8.95%
c) State Govt(s)	-	93005000	93005000	58.80%	-	99700000	99700000	49.85%	(8.95%)
d) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Banks/FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Any other	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A)		158165000	158165000	100%		200000000	200000000	100%	-
B. Public Shareholding									
1. Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Mutual Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Banks / FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Central Govt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) State Govt(s).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Insurance Companies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g) FII's	-	-	-	-	-	-	-	-	--
h) Foreign Venture Capital Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-



LUCKNOW METRO
RAIL CORPORATION

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.

i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non-Institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Bodies Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Indian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Individuals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) Non Resident Indians	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) Overseas Corporate Bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) Foreign Nationals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) Clearing Members	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) Trusts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) Foreign Bodies - D R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A + B + C)	-	158165000	158165000	100%	-	200000000	200000000	100%	-	-



b) Shareholding of Promoter-

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% Change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	% of Shares Pledged/encumbered to total shares	
1.	Govt. of India	65160000	41.20%	-	100300000	50.15%	-	8.95% Increased
2.	Govt. of UP	93005000	58.80%	-	99700000	49.85%	-	8.95% decreased
	Total	158165000	100%	-	200000000	100%	-	-

c) Change in Promoters' Shareholding :

Sl. No.	Name of Shareholder	Shareholding at the beginning of the year (i.e. 01/04/2018)		Date	Increase/Decrease Shareholding		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1	Govt. of U.P	93005000	58.80%	06.06.2018 Right Issue	6695000	8.95% decreased	99700000	49.85%
2.	Govt. of India	65160000	41.20 %	06.06.2018 Right Issue	35140000	8.95% Increased	100300000	50.15%
	TOTAL	158165000	100%	100%	41835000		20000000	100%

d) Shareholding Pattern of top ten Shareholders:

(Other than Directors, Promoters and Holders of GD Rs and AD Rs) :

For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	Not Applicable			
Date wise Increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc):				
At the end of the year				

e) SHAREHOLDING of Directors and Key Managerial Personnel:

Shareholding of each Directors and each key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
At the beginning of the year	-	-	-	-
Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc.):	-	-	-	-
At the end of the year	-	-	-	-

v) INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	275405000000	Nil	275405000000
ii) Interest due but not paid	Nil	22403688	Nil	22403688
iii) Interest accrued but not due	Nil	6849079	Nil	6849079
Total (i + ii + iii)	Nil	275434252767	Nil	275434252767
Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
Addition	Nil	18619972619.57	Nil	18619972619.57
Reduction	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Change	Nil	18619972619.57	Nil	18619972619.57
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	293985000000	Nil	293985000000
ii) Interest due but not paid	Nil	59066682.62	Nil	59066682.62
iii) Interest accrued but not due	Nil	10158703.95	Nil	10158703.95
Total (i + ii + iii)	Nil	294054225386.57	Nil	294054225386.57



VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager (Amt in Rs.)					Total Amount
		Managing Director	WTD (Finance)	WTD (W&I)	WTD (RS&S)	WTD (Operation)	
1.	Gross salary						
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	44,58,064	47,74,814	39,98,286	42,55,257	36,57,381	2,11,43,802,
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	5,49,980	2,16,373	87,496	3,64,193	2,62,054	14,80,096
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify...	-	-	-	-	-	-
5.	Others, please specify	3,78,930	5,83,830	3,39,070	3,55,233	1,88,190	1845253
	Total (A) Rs.	53,86,974	55,75,017	44,24,852	49,74,683	41,07,625	2,44,69,151
	Ceiling as per the Act						

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors				Total Amount
		---	---	---	---	
1.	Independent Directors	-	-	-	-	--
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-	--
	Commission	-	-	-	-	-
	Others, please specify	-	-	-	-	--
	Total (1)	-	-	-	-	--
2	Other Non-Executive Directors					
	Fee for attending board committee meetings	-	-	-	-	--
	Commission	-	-	-	-	--
	Others, please specify Retainer ship fee	-	-	-	-	--
	Total (2)	-	-	-	-	--
	Total (B) = (1 + 2)	-	-	-	-	--
	Total Managerial Remuneration	-	-	-	-	--
	Overall Ceiling as per the Act					

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CS			Total
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	21,36,634	-	-	21,36,634
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	3,04,580	-	-	3,04,580
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-
	- as % of profit	-	-	-	-
	others, specify...	-	-	-	-
5.	Others, please specify (Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance)	1,66,682	-	-	1,66,682
	Total	26,07,896	-	-	26,07,896

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Lucknow Metro Railway Corporation Limited (the 'Company'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 (the 'Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Act, of the state of affairs (financial position) of the Company as at 31 March 2019, and its profit (financial performance including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the following:

- 1) Note No.1 to the Ind AS financial statement, regarding non execution of title deed of Land in favor of the company.
- 2) Note No. 14 and 29.18 to the Ind AS financial statement, regarding recognition of Interest free subordinate Government loan at historical value presented as financial liability has not been measured in accordance with Ind AS 109 – Financial Instruments, due to uncertainty in period of repayment of the subordinate debt.
- 3) Note No. 29.9 to the Ind AS financial statement, European Investment Bank (EIB) loan outstanding INR 350200 lakhs & interest accrued of INR 692.25 Lakhs, Government of India arranged Pass Through Assistance (PTA) of these loan disbursements for execution of the metro rail project in lucknow (U.P) . Exchange rate fluctuations gain/loss has not been provided in the Ind AS financial statements as required by Ind AS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of Gol.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the state of affairs (financial position), profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Ind AS specified under Section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for explaining our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or



conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act, we give in "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. As required by section 143(5) of the Act, we give in "Annexure B" a statement based on the directions issued and matters specified by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books
 - c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account
 - d) In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act
 - e) Since, the company is a Government Company, section 164(2) of the Companies Act, 2013 regarding obtaining written representations from the directors of the Company, is not applicable to the company in terms of notification no. GSR-463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C".
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements which would impact its financial position in its Notes No. 30 (1) to Ind AS Financial Statement.

- ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses, if any.
 - iii. There is no amount which is, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
4. With respect to the matter to be included in the Auditors' Report under section 197(16):As per Notification No. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 of the Act is not applicable to the Government Companies. Accordingly, reporting in accordance with requirement of provisions of section 197(16) of the Act is not applicable on the Company.

For D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-

Shreeharsh Shukla
Partner

Membership number : 408990
UDIN: 19408990AAAAAA8402

Place : Lucknow
Date : 27/07/2019



Annexure A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independents Auditor's Report of even date)

- i. In respect of the Company's fixed assets:
 - a. The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.
 - b. The Company has a program of verification to cover all the items of fixed assets in a phased manner which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. Pursuant to the program, fixed assets were physically verified by the Management during the year. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.
 - c. As per the information and explanation given to us, title deeds of immovable properties are held in the name of the Company except for the cases as disclosed in Note No. 1 to the Ind AS Financial Statement.
- ii. The Company is engaged in the business of Metro Rail Infrastructure and Maintenance and does not have any physical inventories. Accordingly, reporting under Clause3 (ii) of the Order is not applicable to the Company.
- iii. The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
- iv. According to the information and explanations given to us, the company has not given loan or made Investment or given guarantee and security for the persons specified under provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013, and hence not commented upon.
- v. The Company has not accepted deposits during the year and does not have any unclaimed deposits as at March31,2019 and therefore, the provisions of the clause3 (v) of the Order are not applicable to the Company.
- vi. The Central Government has not prescribed the maintenance of Cost Records under section 148(1) of the Act for any of the services rendered by the company hence not commented upon.
- vii. According to the information and explanations given to us, in respect of statutory dues:
 - a. The Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.
 - b. There were no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, Value Added Tax, Goods and Service Tax, Customs Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues in arrears as at March31,2019 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - c. According to the information and explanation given to us, the dues of income tax, outstanding on account of any dispute are as under.

Nature of the Statute	Nature of Dues	Forum where Dispute is Pending	Period to which amount relates	Amount INR In Lacs
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2013-14	18.24
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2014-15	0.41
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2015-16	47.64
Income tax Act 1961	Tax Deducted at Source	CIT (Appeal)	2016-17	108.47

- viii. According to the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution and government during the year.
- ix. As per explanation provided to us, the company raised monies by way of further offer of shares to the existing shareholders or term Loans and the amount were used for the purpose for which they were raised.
- x. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or no material fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.
- xi. As per notification no. GSR 463(E) dated 5 June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Section 197 is not applicable to the Government Companies. Accordingly, provisions of clause 3 (xi) of the Order are not applicable to the Company.
- xii. The Company is not a nidhi company and hence, reporting under Clause3 (xii) of the Order is not applicable to the Company.
- xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 where applicable, for all transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the Ind AS financial statements as required by the applicable Indian accounting standards.
- xiv. During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly paid convertible debentures and hence, reporting under Clause3 (xiv) of the Order is not applicable to the Company.
- xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- xvi. The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

For **D. S. Shukla & Co.**
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-

Shreeharsh Shukla

Partner

Membership number : 408990
UDIN: 19408990AAAAAA8402

Place: Lucknow
Date: 27/07/2019



Annexure - B to the Independent Auditor's Report

[Referred to in paragraph 2, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

According to the information and explanations given to us we report as under:

- 1. Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity on the accounts along with the financial implications, if any, may be stated?**

The company has IT system in place to process accounting transaction; further the company has installed ERP System as well, which is pending implementation.

- 2. Whether there is any restructuring of any existing loans or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated?**

We generally observed no cases of waiver/write off of debts/loans/interest, etc. during the year under audit.

- 3. Whether funds received/receivable for specific schemes from central/State agencies were properly accounted for / utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviations?**

Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been generally properly accounted for/utilized. However As per MOU dated 23/March 2016 between GOI, GOUP and LMRC, the debt servicing liability of LMRC with regard to EIB, the loan portion shall be reckoned based on the repayment schedule of EIB in rupee terms along with exchange rate fluctuation of loan currency, which the company has not provided for the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of Gol.

- 4. Whether the system in vogue for identification of project to be taken up under Public Partnership is in line with the guideline/policies of the Government? Comment on deviation if any?**

As per information and explanation provided to us, during the year under audit, the company has selected HDFC Bank as Merchant Acquirer Bank for Lucknow Metro Rail Corporation (LMRC), Fare Collection system, agreement for six years and provision of Allied Banking Applications under PPP model, no deviation in compliances of Government guidelines/policies was reported.

5. **Whether system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in the agreement is in existence and the impact of cost escalation, if any revenues/losses from contracts, etc., have been properly accounted for in the books.**

The system for monitoring the execution of works vis-a-vis the milestones stipulated in the agreement is appropriate. The Technical Executives of Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC) along with General Consultants (GC) engaged by LMRC examines the claims and works in accordance with the milestones stipulated in the agreement and continuously monitor it. Any revenues/losses from contracts, etc. have been properly recorded in the books.

6. **Whether funds received/receivable for specific schemes from central/State agencies were properly accounted for/used? List the cases of deviations?**

Funds received by the company are as per the Finance Model in approved DPR which have been generally properly accounted for/used. However As per MOU dated 23 March 2016 between GOI, GOUP and LMRC, the debt servicing liability of LMRC with regard to EIB, the loan portion shall be reckoned based on the repayment schedule of EIB in rupee terms along with exchange rate fluctuation of loan currency, which the company has not provided for the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, and shall be provided on transaction basis on advice of GoI.

7. **Whether the bank guarantees have been revalidated in time?**

Bank guarantees have been generally validated in time.

8. **Comment on the confirmation of balances of trade receivables, trade payables, term deposits, bank accounts and cash obtained.**

The company has received balance confirmations for its banks balances and term deposit which are reconciled with books of accounts for any difference, further non confirmation of most of the balances of trade payable and the consequent effect on the book balances and the actual balance over the profitability/loss to the company is subject to reconciliation if any, the company has no trade receivables for which confirmation need be obtained.

For **D. S. Shukla & Co.**
Chartered Accountants
(FRN No. : 000773C)

Sd/-

Shreeharsh Shukla
Partner

Membership number : 408990
UDIN : 19408990AAAAAA8402

Place : Lucknow
Date : 27/07/2019



Annexure - C to the Independent Auditor's Report

[Referred to in paragraph 4, under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' in the Independent Auditor's Report of even date]

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ('the Act')

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Lucknow Metro Rail Corporation Limited ('the Company') as of 31 March 2019 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the 'Guidance Note') and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of the Management and directors of the Company; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2019, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **D. S. Shukla & Co.**
Chartered Accountants
(FRN No. 000773C)

Sd/-

(**Shreeharsh Shukla**)

Partner

Membership No. - 408990

UDIN: 19408990AAAAAA8402

Place : Lucknow

Date : 27.07.2019



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2019

(INR in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	1	5,92,709.05	2,02,612.25
(b) Capital work-in-progress	2	11,941.70	2,07,386.48
(c) Intangible assets	3	4,876.67	3,569.89
(d) Intangible Assets Under Development	4	-	565.45
(e) Financial Assets			
(i) Loans -			
(ii) Other Financial Assets	5	358.65	185.97
(f) Other non-current Assets	-	-	-
Current Assets			
(a) Inventories	6	7.78	8.23
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	7	202.95	-
(ii) Cash & Cash Equivalents	8	1,26,792.43	1,19,127.86
(iii) Others	9	1,389.79	464.41
(c) Current Tax Assets	10	17.00	2.72
(d) Other Current Assets	11	1,656.03	21,296.52
Total Assets		7,39,952.05	5,55,219.78
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity			
(a) Equity Share Capital	12	2,00,000.00	1,58,165.00
(b) Other Equity	13	(9,218.21)	43,536.56
Liabilities			
Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	14	4,61,205.00	2,75,405.00
(ii) Other Financial Liabilities	15	1,208.41	834.01
(c) Provisions	16	605.78	623.62
(d) Other Non Current Liabilities	17	47,232.55	47,927.61
Deferred Tax Liabilities (Net)	17(a)	-	-
Current liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Trade payables	18	823.85	361.57
(ii) Other Financial Liabilities	19	27,579.79	25,278.30
(b) Other current liabilities	20	8,958.55	1,814.50
(c) Provisions	21	1,556.33	1,273.61
Total Equity and Liabilities		7,39,952.05	5,55,219.78

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements

29 & 30

Audit Report of even date attached

For : D. S. Shukla & Co.

Chartered Accountants

FRN - 000773C

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

UDIN: 19408990AAAAA8402

Place: Lucknow

Date: 27.07.2019

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Kumar Keshav)

Managing Director

DIN: 02908695

Sd/-

(Pushpa Bellani)

Company Secretary

Sd/-

(Ajai Kant Rastogi)

Director Finance

DIN: 07228424

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT & LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(INR in lakhs)

Particulars	Note No.	For the Year Ending 31.03.2019	For the Year Ending 31.03.2018
Income			
i) Revenue From Operations	22	1,504.00	555.40
ii) Other Income	23	9,386.14	6,931.95
Total Income		10,890.14	7,487.35
Expenses			
i) Operating Expenses	24	2,818.53	1,616.72
ii) Employees' Benefit Expenses	25	4,917.12	2,778.27
iii) Finance Cost	26	211.46	82.64
iv) Depreciation & Amortization Expenses	27	8,582.34	4,430.84
v) Other Expenses	28	1,916.68	1,255.95
Total expenses		18,446.13	10,164.42
Profit/ (Loss) before tax		(7,555.98)	(2,677.07)
Profit Before Tax		(7,555.98)	(2,677.07)
Tax expense			
Current Tax			
Deferred Tax	17(a)	-	355.33
Profit/(Loss) for the year		(7,555.98)	(2,321.74)
I Profit for the year		(7,555.98)	(2,321.74)
Other Comprehensive Income			
i) Items that will not be reclassified to profit or loss			
- Remeasurements of the defined benefit plans		344.82	(216.54)
- Income Tax effect		-	-
Other Comprehensive Income/ (Loss) for the year		344.82	(216.54)
Total Comprehensive Income for the Period		(7,211.16)	(2,538.28)
(1) Basic (Rs.)		(3.75)	(1.70)
(2) Diluted (Rs.)		(3.57)	(1.60)
Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements	29 & 30		

For D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
FRN - 000773C

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Shreeharsh Shukla)
Partner
Membership No: 408990
UDIN: 19408990AAAAAA8402
Place: Lucknow
Date: 27.07.2019

Sd/-
(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

Sd/-
(Ajai Kant Rastogi)
Director Finance
DIN: 07228424

Sd/-
(Pushpa Bellani)
Company Secretary



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

(INR in Lakhs)

PARTICULARS	For the year ended 31st March, 2019	For the Year ended 31st March, 2018
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/Loss after Tax	(7,211.16)	(2,538.28)
Adjustment for :-		
Depreciation and Amortisation Expense	8,582.34	4,430.85
Deferred Tax Liability/ (Asset)	-	(355.33)
Grant Allocated from LDA	-	(418.37)
Interest Received From FDRs	(7,972.06)	(6,449.83)
Gain on Disposal of Mobile Handsets	-	(0.01)
Interest & Finance Charges	211.46	82.65
Deffered Government Grant	-	(4,436.88)
Income Tax Refund	-	8.85
Fair Value Adjustment	(1.40)	(3.47)
SOCIE	(3.47)	(163.86)
Operating Profit before Working Capital Changes	(6,394.30)	(9,843.68)
(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(202.95)	-
(Increase)/Decrease in Other Current Assets	19,640.49	20,237.35
(Increase)/Decrease in Current Tax Assets	(14.28)	(2.72)
(Increase)/Decrease in Other Financial Assets	(1,098.05)	(263.90)
(Increase)/Decrease in Inventories	0.45	(8.23)
Increase/(Decrease) in Provisions	264.88	(2,511.18)
Increase/(Decrease) in Other Current Liabilities	6,448.99	916.68
Increase/(Decrease) in Trade Payables	462.26	12,110.11
Increase/(Decrease) in Other Financial Liabilities	2,675.89	4,162.51
Increase/(Decrease) in Other Liabilities		
Cash Generated from Operations	21,783.37	24,796.94
Tax paid	-	-
Net Cash flow from operating activities	21,783.37	24,796.94
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Property, Plant & Equipment including Capital Work-in-Progress and Intangible Assets	(2,03,975.69)	(2,19,893.79)
Proceeds from Sale of Property, Plant and Equipment and Intangible Assets	-	0.77
Interest Income Received	7,972.06	6,449.83
Net Cash Flow from Investing Activities	(1,96,003.63)	(2,13,443.19)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital and share Application Money	14,308.00	59,127.00
Grants Received/(adjusted) during the year	(18,013.14)	19,034.84
Loans raised during the year	1,85,800.00	1,28,973.00
Loans repaid during the year	-	-

Interest & Finance Charges	(211.46)	(82.65)
Fair Value Adjustment	1.41	3.47
Net Cash Flow from Financing Activities	1,81,884.82	2,07,055.66
D. Net Changes in cash and Cash equivalents (A + B + C)	7,664.57	18,409.42
E. Cash and Cash Equivalents (Op. Balance)	1,19,127.86	1,00,718.46
F. Cash and Cash Equivalents (Cl. Balance)	1,26,792.43	1,19,127.86
EXPLANATORY NOTES TO CASH FLOW STATEMENT		
(a) Cash and Cash Equivalents include :		
(i) Cash on hand and balances with bank	1,424.12	15,090.81
(ii) Short Term Investments	1,25,368.31	1,04,037.05
	1,26,792.43	1,19,127.86

The accompanying notes are an integral part of Financial Statements

The above Statement of Cash Flows has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Ind AS 7 on Statement of Cash Flows

For : D. S. Shukla & Co.
Chartered Accountants
Membership No : 408990

Sd/-
(Shreeharsh Shukla)
Partner
Membership No: 408990
UDIN: 19408990AAAAAA8402

Place: Lucknow
Date: 27.07.2019

For and on behalf of the Board

Sd/-
(Kumar Keshav)
Managing Director
DIN: 02908695

Sd/-
(Pushpa Bellani)
Company Secretary

Sd/-
(Ajai Kant Rastogi)
Director Finance
DIN: 07228424



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment

(INR in Lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustment during the year	For the year 31.03.2019	Upto 31.03.2019	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
Computer & Accessories Equipment & Machinery	345.60	30.56	2.83	373.33	204.46	-	87.15	291.61	81.72	141.13
Mobile Sets	1,105.18	1,522.16	1.16	2,627.34	76.84	-	76.47	153.31	2,474.03	1,028.34
Furniture	502.08	120.59	-	622.67	15.49	-	7.83	23.32	12.88	11.61
Office Building	66.44	-	-	66.44	78.54	-	49.35	127.89	494.78	423.53
Vehicle	36.96	8.92	-	45.88	4.70	-	1.05	5.75	60.69	61.74
Office Equipment	206.06	40.38	-	246.44	13.82	-	4.71	18.53	27.35	23.14
Land Free Hold	9,283.83	1,817.01	-	11,100.84	106.58	-	42.04	148.62	97.82	99.49
Land Freehold (Barter)	19,445.51	2,330.24	-	21,775.75	-	-	-	-	11,100.84	9,283.83
Land (Grant from Goup)	0.0002	-	-	0.0002	-	-	-	-	21,775.75	19,445.51
Lease Hold Land (90 yrs)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	-	0.00002	0.00002
AFC System	2,966.93	3,294.34	-	6,261.27	163.50	-	308.47	471.97	5,789.30	2,803.43
Air Conditioning System (Ducted)	343.16	6,718.94	-	7,062.10	7.49	-	29.49	36.98	7,025.12	335.67
Depot Building	17,731.11	112.47	-	17,843.58	302.51	-	533.62	836.13	17,007.45	17,428.60
DG Set	94.28	1,260.05	-	1,354.33	1.96	-	6.35	8.31	1,346.02	92.33
Electrical Installation and Equipment	112.07	-	-	112.07	4.03	-	7.10	11.13	100.94	108.04
Elevators	1,215.72	1,676.84	-	2,892.56	27.96	-	53.58	81.54	2,811.02	1,187.76
E & M Work	1,537.66	12,115.89	-	13,653.55	42.39	-	111.85	154.24	13,499.31	1,495.27
Escalators	1,848.12	4,186.30	-	6,034.42	61.40	-	123.72	185.12	5,849.30	1,786.72
Fire Fighting Work	254.92	1,908.34	-	2,163.26	9.16	-	23.76	32.92	2,130.34	245.76
Rolling Stock	26,770.64	56,372.95	-	83,143.59	542.07	-	1,120.26	1,662.33	81,481.25	26,228.57
Security Equipments	211.65	330.93	-	542.58	7.60	-	14.78	22.38	520.20	204.05
Signages	736.18	1,638.84	-	2,375.02	198.32	-	398.74	597.06	1,777.96	537.87
Signalling Equipments	12,670.97	6,956.83	-	19,627.80	404.40	-	737.74	1,142.14	18,485.65	12,266.57
Station Buildings	36,172.14	2,10,019.13	-	2,46,191.27	737.31	-	1,775.74	2,513.05	2,43,678.21	35,434.83
Telecom Equipments	4,822.97	6,281.96	-	11,104.93	178.77	-	341.10	519.87	10,585.06	4,644.20
Track Work	11,578.54	14,138.69	-	25,717.23	207.94	-	394.87	602.81	25,114.42	11,370.60
Traction Equipments	16,508.32	27,521.00	-	44,029.32	294.05	-	572.97	867.02	43,162.30	16,214.27
Tubewells	39.60	-	-	39.60	1.42	-	2.51	3.93	35.67	38.17
UPS System	122.04	684.05	-	806.09	5.39	-	12.86	18.25	787.83	116.65
Viaduct	39,998.97	33,716.27	-	73,715.24	826.09	-	1,534.00	2,360.09	71,355.15	39,172.88
Plumbing, Pump And Panel	-	404.05	-	404.05	-	-	1.21	1.21	402.84	-
Spares A/C	-	228.09	-	228.09	-	-	0.68	0.68	227.41	-
Tunnel Ventillation & BMS SCADA	-	3,037.85	-	3,037.85	-	-	9.09	9.09	3,028.75	-
Total - Current Year	2,07,136.44	3,98,483.92	3.99	6,05,616.37	4,524.19	-	8,383.11	12,907.30	5,92,709.05	2,02,612.25
- Previous Year	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	249.51	2.16	4,276.84	4,524.19	2,02,612.25	9,682.51

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note No. 1 - Property, Plant and Equipment (INR in Lakhs)

Particulars	Gross Block			Depreciation			Net Block			
	As at 1.4.2017	Additions/ Adjustments	Sale/ Adjustments	As at 31.03.2018	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustment during the year	For the year 31.03.2018	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
Computer & Accessories	324.01	23.93	2.34	345.60	106.14	1.89	100.21	204.46	141.13	217.86
Equipment & Machinery	651.76	453.42	-	1,105.18	16.31	-	60.53	76.84	1,028.34	635.45
Mobile Sets	21.14	6.55	0.59	27.10	8.25	0.27	7.51	15.49	11.61	12.88
Furniture	385.50	116.58	-	502.08	37.23	-	41.31	78.54	423.53	348.26
Office Building	66.44	-	-	66.44	3.65	-	1.05	4.70	61.74	62.79
Vehicle	36.96	-	-	36.96	9.43	-	4.39	13.82	23.14	27.52
Office Equipment	186.81	19.25	-	206.06	68.50	-	38.08	106.58	99.49	118.31
Land Free Hold	7,877.74	1,406.09	-	9,283.83	-	-	-	-	9,283.83	7,877.74
Land Freehold (Barter)	-	19,445.51	-	19,445.51	-	-	-	-	19,445.51	-
Land (Grant from Goup)	0.00002	-	-	0.00002	-	-	-	-	0.00002	0.00002
Lease Hold Land (90 years)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	-	381.69	381.69
AFC System	-	2,966.93	-	2,966.93	-	-	163.50	163.50	2,803.43	-
Air Conditioning System (Ducted)	-	343.16	-	343.16	-	-	7.49	7.49	335.67	-
Depot Building	-	17,731.11	-	17,731.11	-	-	302.51	302.51	17,428.60	-
DG Set	-	94.28	-	94.28	-	-	1.96	1.96	92.33	-
Electrical Installation and Equipment	-	112.07	-	112.07	-	-	4.03	4.03	108.04	-
Elevators	-	1,215.72	-	1,215.72	-	-	27.96	27.96	1,187.76	-
E & M Work	-	1,537.66	-	1,537.66	-	-	42.39	42.39	1,495.27	-
Escalators	-	1,848.12	-	1,848.12	-	-	61.40	61.40	1,786.72	-
Fire Fighting Work	-	254.92	-	254.92	-	-	9.16	9.16	245.76	-
Rolling Stock	-	26,770.64	-	26,770.64	-	-	542.07	542.07	26,228.57	-
Security Equipments	-	211.65	-	211.65	-	-	7.60	7.60	204.05	-
Signages	-	736.18	-	736.18	-	-	198.32	198.32	537.87	-
Signalling Equipments	-	12,670.97	-	12,670.97	-	-	404.40	404.40	12,266.57	-
Station Buildings	-	36,172.14	-	36,172.14	-	-	737.31	737.31	35,434.83	-
Telecom Equipments	-	4,822.97	-	4,822.97	-	-	178.77	178.77	4,644.20	-
Track Work	-	11,578.54	-	11,578.54	-	-	207.94	207.94	11,370.60	-
Traction Equipments	-	16,508.32	-	16,508.32	-	-	294.05	294.05	16,214.27	-
Tubewells	-	39.60	-	39.60	-	-	1.42	1.42	38.17	-
UPS System	-	122.04	-	122.04	-	-	5.39	5.39	116.65	-



Viaduct	-	39,998.97	-	39,998.97	-	826.09	826.09	39,172.88	-
Total - Current Year	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	249.51	4,276.84	4,524.19	2,02,612.25	9,682.50
- Previous Year	6,542.29	3,390.97	1.23	9,932.03	93.63	156.35	249.52	9,682.51	6,448.66

Land Freehold (Barter) - Land has been received against construction of 41 Flats for Sampooranand Jail and Residential & Non - Residential Buildings of PAC Campus against which construction cost of INR 20812.38 Lakhs (PY INR 17400.00 Lakhs) out of which 6888.52 Lakhs is expected to be incurred in coming Financial Year.

The land has been fair valued at the market price on the date of acquisition as adjusted for any changes in expected cost of construction of Staff Quarters.

The Land has been obtained from Ministry of Defence amounting to INR 476.39 Lakhs ad measuring to 866 Sq. Mt. for which the right to use the Land have been given on permanent basis. The Land, hence, has, been capitalized on the basis of payment discharged to the Defence Department.

During the FY 2018-19 Balance Section of North-South Corridor comprising of 14.378 Kms. (PY 8.50 Kms.) was opened for public for which assets costing INR 394095.80 Lakhs (PY INR 175700.00 Lakhs (approx.)) were capitalized from Capital Work in Progress

During the FY 2018-19 Borrowing Cost amounting to INR 304.57 Lakhs (PY INR 92.13 Lakhs) capitalised in PPE.

The total cost of freehold land of INR 11100.84 Lakhs (PY 9283.83 Lakhs) acquired and required execution of title, ad-measuring to 63,663.58.02 Square Metres (PY 48624.34 Square Meters), through different Private Parties for Lucknow Metro Rail Project up to 31st March 2018. The land admeasuring 38676.56 Square Meters (PY 25105.92 Square Meters) are under process of title execution.

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress#

(INR in Lakhs)

Particulars	As at 01-04-2018	Additions/Adjustment during the year	Total	Capitalised during the year	Closing Balance
Automatic Fare Collection	219.21	2,792.22	3,011.43	2,990.90	20.54
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	1,36,924.02	1,32,841.09	2,69,765.11	2,69,154.50	610.61
Electric Installation & Equipment	-	-	-	-	-
Escalators & Elevators	1,574.32	4,696.32	6,270.64	5,532.96	737.68
Furniture & Fixtures	25.59	11.61	37.20	37.20	(0.00)
LMRC Staff Quarters	8,562.55	3,452.38	12,014.93	8,542.58	3,472.35
Plant and Machinery	1,167.53	153.22	1,320.75	1,320.74	0.00
Rolling Stock & Signalling	22,756.18	41,185.55	63,941.73	60,019.15	3,922.59
Security Equipments	41.97	372.79	414.76	316.87	97.89
Signages	-	28.63	28.63	28.63	-
Telecom Equipments	1,153.08	3,975.92	5,129.01	5,129.01	0.00
Track Work (P-Way)	9,865.95	5,670.05	15,536.00	13,170.16	2,365.84
Traction Equipments	11,875.63	13,671.36	25,546.98	25,546.98	-
Total	1,94,166.02	2,08,851.13	4,03,017.16	3,91,789.67	11,227.49
Add: Expenses During Construction	13,220.47	12,322.00	25,542.47	24,828.26	714.21
Grand Total	2,07,386.48	2,21,173.13	4,28,559.63	4,16,617.93	11,941.70



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 2 - Capital work - in - Progress

Particulars	(INR in Lakhs)				
	As at 01-04-2017	Additions/Adjustment during the year	Total	Capitalised during the year	Closing Balance
Automatic Fare Collection	1,254.65	1,801.70	3,056.35	2,837.14	219.21
Buildings & Viaduct, Bridg Tunnels, Culverts Bunders	1,19,902.18	1,14,160.36	2,34,062.54	97,138.52	1,36,924.02
Electric Installation & Equipment	53.84	58.23	112.07	112.07	-
Escalators & Elevators	2,088.66	2,388.87	4,477.53	2,903.21	1,574.32
Furniture & Fixtures	86.23	25.59	111.82	86.23	25.59
LMRC Staff Quarters	692.48	7,870.07	8,562.55	-	8,562.55
Plant and Machinery	1,269.98	208.15	1,478.13	310.60	1,167.53
Rolling Stock & Signalling	16,118.28	43,094.94	59,213.22	36,457.04	22,756.18
Security Equipments	253.62	-	253.62	211.65	41.97
Signages	566.68	161.55	728.23	728.23	-
Telecom Equipments	3,614.79	2,182.32	5,797.11	4,644.03	1,153.08
Track Work (P-Way)	16,714.07	4,304.46	21,018.53	10,910.15	10,108.38
Traction Equipments	14,694.28	12,612.51	27,306.79	15,673.60	11,633.19
Total	1,77,309.74	1,88,868.75	3,66,178.49	1,72,012.47	1,94,166.02
Add: Expenses During Construction	7,662.72	14,726.78	22,389.50	9,169.04	13,220.46
Grand Total	1,84,972.46	2,03,595.53	3,88,567.99	1,81,181.51	2,07,386.48

Capital Work in Progress includes Assets / Equipment's and Infrastructure of North – South Corridor (pending certifications) and Staff Quarters of LMRC Capital Work in Progress includes INR 4.95 Lakhs (PY. INR 119.00 Lakhs) on account of Interest on EIB Loan.

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 3 - Intangible Assets

Particulars	Gross Block			Amortization			Net Block			
	As at 1.04.2018	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2019	As at 01.04.2018	Additions/ Adjustment	For the year	Upto 31.03.2019	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
	Software & Licenses	174.54	594.45	-	768.99	97.88	-	89.45	187.33	581.67
Rights for using Land#	3,737.89	911.56	-	4,649.45	244.65	-	109.79	354.44	4,295.01	3,493.24
Total - Current Year	3,912.43	1,506.01	-	5,418.44	342.53	-	199.23	541.76	4,876.67	3,569.89
- Previous Year	3,911.60	0.82	-	3,912.43	188.50	-	154.03	342.53	3,569.89	3,723.09

Note 3 - Intangible Assets

Particulars	Gross Block			Amortization			Net Block			
	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustments	Deduction/ Adjustments	As at 31.03.2018	As at 1.04.2017	Additions/ Adjustment	For the year	Upto 31.03.2018	As at 31.03.2018	As at 31.03.2017
	Software & Licenses	173.71	0.82	-	174.54	50.65	-	47.23	97.88	76.65
Rights for using Land	3,737.89	-	-	3,737.89	137.85	-	106.80	244.65	3,493.24	3,600.03
Total - Current Year	3,911.60	0.82	-	3,912.43	188.50	-	154.03	342.53	3,569.89	3,723.09
- Previous Year	3,810.88	100.72	-	3,911.60	42.03	0.65	147.13	188.51	3,723.09	27.33

The right to use of Land amounting to INR 131.65 Lakhs has been capitalised pending final decision over price and formal agreement there upon. In the absence of year of rights amortisation has not been accounted.

Note 4 - Intangible Assets Under Development

Particulars	As on 1st April 2018			As on 31st March 2019	
	As on 1st April 2018	Additions/ Adjustment during the year	Total	Capitalized during the year	As on 31st March 2019
ERP Software	554.31	(554.31)	-	-	-
Website	11.14	(11.14)	-	-	-
TOTAL (CURRENT YEAR)	565.45	(565.45)	-	-	-
(PREVIOUS YEAR)	293.82	271.63	565.45	-	565.45

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS



Note No. 5 - Other Financial Assets (INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Long Term		
Electricity Security Deposit	339.47	177.80
Security to DFO	8.17	8.17
Security with Jal Kal Vibhag	11.00	-
Total	358.65	185.97

Note 6 - Inventories (INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Loose Tools, Spares and Stationery	7.78	8.23
Total	7.78	8.23

Note 7 - Trade Receivables (INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Trade Receivables		
- Unsecured-Considered Good	202.95	-
- Unsecured-Considered Doubtful	-	-
Less: Provision for bad & doubtful receivables	-	-
Total	202.95	-

Note 8 - Cash & Cash Equivalents (INR in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2019	As on 31st March 2018
i) Balance with Banks in Current Accounts	1,424.12	15,026.52
ii) Balance with Banks in other Account	1,25,368.31	1,04,037.05
iii) Cheques/Drafts on Hand	-	64.29
Grand Total	1,26,792.43	1,19,127.86

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 9 - Other Financial Assets

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Short Term		
Interest accrued	1,374.32	448.76
Lease Rent Security	15.46	15.65
Total	1,389.79	464.41

Note 10 - Current tax Assets

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Tax Deducted at Source	17.00	2.72
Total	17.00	2.72

Note 11 - Other Current Assets

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Current		
Advances to Contractors		
- Mobilisation Advances	609.90	14,841.40
- Material Advance	-	2,094.79
- Plant and Machinery Advance	-	2,152.55
- Other Advances*	886.04	821.86
- Input GST	84.65	27.62
- Other Current Assets **	75.45	204.33
- Receivable from State Govt. for State Taxes	-	1,153.97
Total	1,656.03	21,296.52

* Other Advances includes INR 886.04 (PY INR 820.10 Lakhs) amount incurred for Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Kanpur Metro, Meerut Metro, Varanasi Metro which will be recovered from them on their incorporation

** Other Current Assets includes PI Advance, Prepaid Expenses, Advances to Electricity Department, Temporary Imprest, Tax paid under Appeal (PY - Prepaid Expenses, Staff Temporary Advances, Station Imprest, Cheques with ADM (LA) LKO for Land Acquisition etc).

Input GST constitutes balance in Cash ledger & Electronic Credit Ledger with GST

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 12 - Share Capital

(INR in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2019		As on 31st March 2018	
	No. of Shares (in Lakh)	Amount	No. of Shares (in Lakh)	Amount
Authorized Capital				
Equity Shares of Rs 100 each	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
Issued, Subscribed and Paid-up				
Equity Shares of Rs 100 each fully paid up	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
Total	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
(A) Reconciliation of the number of shares and amount outstanding at the beginning and at the end of the reporting period:				
Particulars	No. of Shares (in Lakh)	Amount	No. of Shares (in Lakh)	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	1,581.65	1,58,165.00	942.65	94,265.00
Shares Issued during the year- Fresh Issue	418.35	41,835.00	639.00	63,900.00
Shares outstanding at the end of the year	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
(B) Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares:				
Name Of Shareholder	No Of Shares (in Lakh)	% Holding	No Of Shares (in Lakh)	% Holding
Governor of Uttar Pradesh	996.95	49.85%	930.00	58.80%
President of India	1,003.00	50.15%	651.60	41.20%



LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED
REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

Note 13 - Other Equity (INR in Lakhs)

Particulars	Share application money pending allotment	Reserve and Surplus		Capital Grants		Monetary Grant		Total
		Retained Earnings	Non Monetary Grants	Non Monetary Grants	Deferred Grant			
Balance as on 31/03/2017	36,400.00	(4,431.99)	-	-	52,782.86	84,750.87	(163.86)	(163.86)
Changes in accounting policy prior period errors		(163.86)				19,034.84		19,034.84
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant		-		19,034.84				(2,321.74)
Profit for the year		(2,321.74)						(216.54)
Other Comprehensive Income		(216.54)						8.85
Any other change (Income tax refund)		8.85						59,127.00
Share Application Money Received	59,127.00							(63,900.00)
Equity Share Capital Issued	(63,900.00)							(47,927.61)
Transferred to Non-Current Liability						(47,927.61)		(4,436.88)
Transferred to Capital Work in Progress						(4,436.88)		(418.37)
Transferred to Income						(418.37)		
Balance as on 31/03/2018	31,627.00	(7,125.28)	19,034.84	-	-	43,536.56	-	-
Changes in accounting policy prior period errors		-						1,021.70
Fair Value Adjustment - Non Monetary Grant		-		1,021.70				(7,555.98)
Profit for the year		(7,555.98)						344.82
Other Comprehensive Income		344.82						(3.47)
Fair Value Adjustment		(3.47)						14,308.00
Share Application Money Received	14,308.00							(41,835.00)
Equity Share Capital Issued	(41,835.00)							(4,264.80)
Transferred to Non-Current Liability						(4,264.80)		(14,770.04)
Transferred to Current Liability						(14,770.04)		
Transferred to Capital Work in Progress								
Transferred to Income								
Balance as on 31/03/2019	4,100.00	(14,339.91)	1,021.70	-	-	(9,218.21)	-	-

Explanatory Notes in respect of Share Application Money Pending Allotment

- No. of Shares to be issued is 41.00 Lakh Shares (PY 316,27.00 Lakhs Shares) of INR 100 Each
- The Share application money pending allotment above includes INR 3500 Lakhs received from UPSIDC in FY 2014-15 and FY 2015-16 out of which INR 1000 Lakhs is allotted in the name of Governor of UP and Balance INR 2500 Lakhs is still pending for allotment since as per DPR funding pattern shares can't be all allotted to UPSIDC.

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE: ADMINISTRATIVE BUILDING, VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

Note 14 - Borrowings

(INR in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2019		As on 31st March 2018	
	Subordinate Debts From Government of UP (GoUP) (Interest Free & Unsecured)			
For Central Taxes	44,900.00		39,505.00	
For Land	36,405.00	81,305.00	29,000.00	68,505.00
Subordinate Debts From Government of India (GoI) (Interest Free and Unsecured)				
For Central Taxes	29,700.00	29,700.00	24,700.00	24,700.00
Interest Bearing Loans From Government of India against European Investment Bank	3,50,200.00	3,50,200.00	1,82,200.00	1,82,200.00
Total		4,61,205.00		2,75,405.00

Explanatory Notes

1. Loan/Subordinate Debt provided by GoI/GoUP are at the same terms and conditions at which such loans is provided to other metro project and are therefore considered to be at fair value.
2. Interest bearing loan from EIB through GoI is repayable in 16 Years (Half Yearly Equal Installments) after the expiry of moratorium period of 4 Years from the Disbursement Date.
3. Interest Free Subordinate Debts from GoI, GoUP are repayable in 10 equal installments after the repayment of Interest Bearing Loan from EIB.
4. European Investment Bank has sanctioned EURO 450 Million on reimbursement basis for the Lucknow Metro Rail Project in two Tranche (EURO 200 million of Tranche A & EURO 250 Million of Tranche B). EURO 300 million (EURO 200 million of Tranche A and EURO 100 million of Tranche B) has been disbursed at Interest Rate of 0.287 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st part of Tranche A), 0.161 % EURIBOR for 100 Million Euros (2nd Part of Tranche A) and at Interest Rate of 0.195 % EURIBOR for 100 Million Euros (1st Part of Tranche B) with a repayment period of 20 Years (including a moratorium period of 4 Years) as per Finance Agreement dated 30-03-2016 and 31-03-2017. External Loan from EIB are made available to LMRC through gross budgetary resources in the form of Pass Through Assistance (PTA) from Govt. of India. Government of India has released INR 3,50,200.00 Lakhs (PY INR 1,82,200 Lakhs) up to 31-03-2019 to the company out of EIB Loan as Pass Through Assistance. EIB Loans are Sovereign Loans and therefore GoI is arranging Pass Through Assistance for execution of the works. The said PTA of INR 350200.00 Lakhs received upto March 31st 2019, has been shown under Long Term Borrowings as Unsecured Loans. The Company has provided for Interest of INR 399.73 Lakhs (PY 259.04 Lakhs) as per repayment schedule.



Note - 15 Other Financial Liabilities

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at April 1, 2018
Long Term		
Performance Guarantee Received	516.15	541.48
Interest on EIB Loan	692.25	292.53
Total	1,208.41	834.01

Note 16 - Provisions

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Long Term FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	605.78	623.62
Total	605.78	623.62

Note 17 - Other Non Current Liabilities

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Non-Current		
Government Grant	47,232.55	47,927.61
Total	47,232.55	47,927.61

Note 17(a) - Deferred Tax Liabilities/Assets

(INR in Lakhs)

Particulars	As on 31st March 2019	As on 31st March 2018
i) Deferred Tax Assets		
a) Unabsorbed Depreciation as per Income Tax	-	-
b) Provision for employee benefits schemes & others	-	-
Sub Total (i)		
ii) Deferred Tax Liabilities		
a) Depreciation/ Amortisation	-	-
b) Preliminary Expenses W/ Off	-	-
Sub Total (ii)		
Add/ Less: Opening Balance	-	355.33
Deferred Tax Liability / (Asset) (Net)	-	-

The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. Thus deferred tax asset has not been recognised.

**Note 18 - Trade Payables**

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31st, 2019	As at March 31st, 2018
Total outstanding dues of micro and small scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ₹ Nil/-)	-	-
Total outstanding dues of Medium scale Industrial Undertaking(s). (Due over 30 days ₹ Nil/-)	-	-
TA Payable	-	0.58
Professional & Other services Payable	20.46	20.33
Sundry Creditors for Expenses	803.39	340.66
Total	823.85	361.57

Note 19 - Other Financial Liabilities

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31st, 2019	As at March 31st, 2018
Short term		
Deposit/Retention Money From Contractors & Others	7,354.14	6,959.34
Creditors for CWIP & Capital Goods	20,225.65	18,318.96
Others* (Expenses Payable)	-	-
Total	27,579.79	25,278.30

Note 20 - Other Current Liabilities

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31st, 2019	As at March 31st, 2018
Current		
Duties & Taxes Payable	1,495.02	1,020.93
Payable for employees	252.68	146.04
Advance from Customers	285.00	87.60
Advance for Recruitment	-	541.34
Security Deposits from Customers	57.33	18.59
Payable against Land (Barter)#	6,868.52	-
Total	8,958.55	1,814.50

For Fair Valuation of Land under Barter the expected cost to be incurred over completion of the project (Staff Quarter).

Note 21 - Provisions

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2019	As at March 31, 2018
Short Term		
FOR EMPLOYEE BENEFITS		
Leave Encashment	21.91	0.64
Others*	1,534.41	1,272.97
Total	1,556.33	1,273.61

*Others include Provision for Custom Duty Reimbursement, Provision for Gratuity Contribution, Provision for Pension Contribution etc.

Note 22 - Revenue from Operations

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Fare Box Revenue	1,079.96	435.45
Non Fare Box Revenue	424.05	119.95
TOTAL	1,504.00	555.40

Note 23 - Other Incomes

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Other Income:-		
Miscellaneous Income	713.40	34.98
Interest Income :-		
Term Deposits / FDR	7,365.83	5,765.80
Flexi Deposits	129.01	396.03
Interest on E Net A/c	477.22	288.00
Deferred Revenue Grant	695.06	418.37
Fair Value Adjustment	5.62	28.77
TOTAL	9,386.14	6,931.95

Note 24 - Operating Expenses

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Security Expenses	702.95	666.13
Electricity Expenses	1,447.45	660.82
Equipment Running & Maintenance Expenses	57.36	15.13
Housekeeping Expenses	298.43	164.05
Depot Running & Maintenance Expenses	70.18	21.30
Station Running & Maintenance Expenses	218.34	70.62
Stores and Consumables	9.57	5.18
Insurance expenses	14.24	13.49
Total	2,818.53	1,616.72

Note 25 - Employees' Benefit Expenses

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Salaries, Wages & Other Benefits	4,008.12	2,042.37
Contribution to Provident & Other Funds	452.27	287.38
Leave Encashment Expenses	346.93	314.96
Contribution Towards Gratuity	109.79	133.56
Total	4,917.12	2,778.27

**Note 26 - Finance Cost**

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Bank Charges	2.25	1.25
Interest on EIB Loan	209.21	81.39
Total	211.46	82.64

Note 27 - Depreciation and Amortisation Expenses

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Depreciation / Amortization for the year		
a) Tangible Assets	8,383.11	4,276.82
b) Intangible Assets	199.23	154.02
Total	8,582.34	4,430.84

Note 28 - Other Expenses

(INR in Lakhs)

Particulars	For the year ending 31.03.2019	For the year ending 31.03.2018
Printing & Stationery Expenses	161.15	115.98
Telephone , Internet & Communication Expenses	57.95	88.36
Books,Periodicals,Newspapers & Magazines Expenses	0.73	0.71
Auditors Remuneration	3.79	3.79
Advertisement & Publicity Expenses	144.09	123.18
Office Running & Maintenance Expenses	52.41	95.08
Postage & Courier Expenses	0.85	0.81
Miscellaneous Expenses	0.85	50.93
Travelling & Conveyance Expenses	186.93	130.36
Training & Recruitment Expenses	692.10	11.16
Hospitality & Refreshment Expenses	94.32	74.10
Outsourcing & Job Work Expenses	156.14	142.52
Statutory Expenses	0.19	0.05
Seminar, Ceremony, Conference Expenses	151.97	233.55
Commission & Brokerage	0.49	0.14
Licence, Legal & Other Expenses	11.81	9.11
Professional & other services	151.39	107.19
Rent, Rates & Taxes	45.16	43.63
Fair Value Adjustments	4.22	25.29
Effect of Forex Fluctuations	0.13	0.01
Total	1,916.68	1,255.95

Notes to Accounts

Note No. 29 Company Information and Significant Accounting Policies

29.1. CORPORATE INFORMATION

Lucknow Metro Rail Corporation Limited (referred to as “the Company”) is domiciled and incorporated in India (CIN: U60300UP2013SGC060836) with 50:50% equity participation of the Government of India (GOI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP). The registered office of the company is located at Administrative Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh. It was formed as a special purpose vehicle (SPV) on 25th November 2013 to execute Mass Rapid Transit System (MRTS) in Lucknow city by providing Metro Rail. Government of India (GoI) –MoUD gave its approval for the implementation of Lucknow Metro Rail Project Phase -1A vide communique no. K-14011/27/2013-MRTS-IV dated 25th January 2016.

29.2. RECENT ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

Standards issued but not yet effective In March 2019, the Ministry of Corporate Affairs issued the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2019 via notification dated 30 March 2019 to further amend Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, notifying a new lease standard Ind AS 116, ‘Leases’. This amendment replaces Ind AS 17, ‘Leases’. An insertion of Appendix C, ‘Uncertainty over Income Tax Treatments’ to Ind AS 12, ‘Income taxes has also been notified. These amendments are applicable to the Company from April 1, 2019.

A. IND AS 116 “Leases”

This standard replaces Ind AS 17, Leases. Key changes include:

- a. Eliminates the requirement to classify a lease as either operating or finance lease in the books of lessee.
- b. Introduces a single lessee accounting model, whereby requires lessee to recognize assets and liabilities for all leases. Entity may elect not to apply this accounting requirement to short term leases and leases for which underlying asset is of low value.
- c. Requires lessee to classify cash payments for principal and interest portion of lease arrangement within financing activities and financing/operating activities respectively in the cash flow statements.
- d. Requires entities to determine whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset to assess whether that contract is, or contains, a lease.

B. IND AS 12 “Insertion of Appendix C to Income Taxes”

Ind AS 12 provides the recognition and measurement principles for current and deferred tax assets and liabilities. However, it does not provide guidance in relation to accounting of an uncertain tax treatment, pending decision by a relevant taxation authority or court, while measuring current and deferred taxes. The entities would now be required to assess the effect of uncertainties on income tax treatment of items or transactions and depending on the likelihood of the taxation authorities accepting the treatment in the tax return, the entity would either disclose the uncertainty in the financial statements or include an adjustment for the same in the tax provision for that year.



The insertion does not introduce any new disclosure requirements but strengthens the need to comply with the significant disclosure requirements under Ind AS 1, Presentation of Financial Statements, and Ind AS 12.

The insertion is to be applied to the determination of taxable profit, tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates, where there is uncertainty over income tax treatments under Ind AS 12.

Furthermore, if an entity considers a particular amount payable or receivable for interest and penalties, associated with uncertain tax treatment, to be an income tax, then that amount is within the scope of this Interpretation and where a company instead applies Ind AS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, to these amounts, then it does not apply this Interpretation. The Interpretation would also apply to uncertainty affecting deferred tax assets and liabilities arising out of business combinations.

The Company is evaluating the requirements of the amendments and its impact if any, on the financial statements.

29.3. BASIS OF ACCOUNTING AND PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared on accrual basis of accounting in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind. AS) as prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013, as notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended), and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR'), which is also the functional currency of the Company.

The financial statements for the year ended March 31, 2019 were authorised and approved for issue by the Board of Directors on July 27, 2019.

Basis of preparation and presentation

The financial statements have been prepared on accrual basis under the historical cost convention except for certain financial instruments that are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below..

Going Concern Assumption

The Financial Statements have been prepared on a going concern basis as it is considered by the board that the company will continue in operational existence for the foreseeable future and meet its liabilities as they fall due for payment.

Use of Estimates and Management Judgment

The preparation of the financial statements is in conformity with the Ind. ASs that also requires estimates and assumptions to be made by the management which affect the reported amounts of revenues and expenses during the reported period and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures of contingent liabilities / Assets on the date of financial statements. Actual results could differ from these estimates. The estimates are reviewed periodically and revisions to the accounting estimate are recognized in the period in which estimates are revised and future period is affected. Differences between actual results and estimates are recognized in the period in which the results are crystallized.

In order to enhance understanding of the financial statements, information about significant areas of estimation, uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements is as under:

A. Property, plant and equipment

Represent a significant proportion of asset base of the company. The charge in respect of periodic depreciation is derived after determining the estimate of an assets expected useful life, the expected residual value at the end of its life and depreciation method. The useful lives and residual values of company's assets are determined by the management at the time the asset is acquired and reviewed periodically, including at each financial year end along with depreciation method and adjusted prospectively if appropriate. The lives are based on historical experience with similar assets as well as anticipation of future events, which may impact their life, such as changes in technology.

B. Provisions: Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and the amount can be reliably estimated. Provisions are not recognized for future operating losses. Provisions are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

C. Contingent liabilities/Assets: Contingent Liabilities are disclosed in respect of possible obligations that arise from past events but their existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or where any present obligation cannot be measured in terms of future outflow of resources or where a reliable estimate of the obligation cannot be made. Contingent liabilities / assets are disclosed based on judgment of management/independent experts, wherever required. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate.

D. Defined Benefit obligation: The Company has a defined benefit gratuity plan. The Company funds the Plan through annual contributions to Life Insurance Corporation of India under its Employee Group Gratuity Scheme. Company's liability is actuarially determined (using the Projected Unit Credit Method) at the end of each year.

E. Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses: The effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

F. Impairment test of PPE: The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date to assess if there is any indication of impairment based on internal and external factors. An impairment loss on such assessment will be recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of the assets is net selling price or value in use, whichever is higher. While assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value by using weighted average cost of capital. A previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in the circumstances and to the extent that carrying amount of the assets does not exceed the carrying amount that will be determined if no impairment loss had previously been recognized. Impairment losses, if any are recognized in the Statement of Profit and Loss.



- G. Recognition of Deferred Tax Assets:** The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the Company's future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized. In addition, a significant judgment is required in assessing the impact of any legal or economic limits.

The carrying amount as at the end of the reporting period in respect of the above is referred in respective notes.

29.4. The principal accounting policies are set out below:

A. Functional and Presentation Currency

The Financial Statements have been presented in Indian Rupees - INR (₹), which is the Company's functional currency. Transactions in foreign currencies are recognized at the prevailing exchange rates in INR (₹) on the transaction dates. Realized gains and losses on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss or Capital Work in Progress to whichever the same may relate to.

B. Property, Plant & Equipment and Intangible Assets

Property, Plant & Equipment including intangible assets are shown at their acquisition cost /historical cost. Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Borrowing costs and other directly attributable costs relating to acquisition of fixed assets which takes substantial period to get ready for its intended use are also included to the extent they relate to the period till such assets are ready to be put to use. Fixed Assets are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use.

C. Assets & Systems common to more than one section of the project is capitalized based on technical estimates/ assessments.

D. All the costs directly attributable to bring the asset to intended use have been included in the cost of assets in accordance with the provisions of Ind AS 16.

E. Contracts are capitalized on completion based on statement of account received from executing agencies and in its absence based on technical assessment of the work executed.

F. Capitalization of the assets for new section to be opened for public carriage of passengers is done after ensuring its completeness in all respect as per Standard operating procedures as defined in the company, administrative formalities and compliance of requirements stipulated by Commissioner of Metro Railway Safety imperative for the opening of such section for public use.

In the case of assets put-to-use, where final settlement of bills with contractors is yet to be affected, capitalization is done on provisional basis subject to necessary adjustment in the year of final settlement.

G. Payments made towards permissions for construction of Station Entry and Exit from various land-owning agencies is capitalized as intangible asset and amortized over the useful life of the asset.

H. Expenditure on major inspection, overhauls and replacing part of an item of property, plant and equipment shall be capitalized, if it is probable that the future economic benefits embodied in it will flow to the company and its cost can be measured reliably.

- I. Gain and losses on disposal of an item of Property, plant and equipment are determined by comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of the item and are recognized net within miscellaneous/ other income and loss in the Statement of Profit & Loss.

29.5 Land

- A. Amount received for buying land for the company as part of interest-free Subordinate Loan for Land sanctioned to the Company, is treated as interest-free subordinate loan for land.
- B. Payments made provisionally / liability provided towards cost or compensation related to the land including lease-hold land in possession, are treated as cost of the land or Lease-hold land. Payment made provisionally / liability provided towards land acquired on temporary basis has been amortized over the possession period of the land.
- C. The pieces of land purchased by LMRC for which possession has been obtained pending registration have been accounted for based on payment made for them.
- D. LMRC has received few pieces of land free of cost from Government of Uttar Pradesh. These have been capitalized as freehold land at a token amount of INR 1/- per piece of land. As these parcels of land were received prior to implementation of Ind AS, the same have been continued at nominal value of INR 1/- in accordance with the exemptions permitted in Ind AS 101.
- E. Land received in exchange of assets is recognized at the Fair value of the land received. Difference between fair value of land received and cost of asset given is recognized as applicable govt. grant. These grants are accounted under the head of Deferred Income and the same are amortized as per the provisions of Ind AS 20.
- F. Compensation, replacement etc. relating to the cost of rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs) is booked to CWIP and on completion is added to the cost of related assets.
- G. Land if any received from Government at free of cost, ownership of which vests with LMRC is to be recognized at fair value of the land received. Fair Value is to be calculated based on circle rates of that area effective on the date of receipt of such land.

29.6. Capital Work-in-Progress

- A. Cost of capital assets which are under construction and not ready for intended use, include other direct and indirect expenditure directly attributable to the project / asset.
- B. Administrative, indirect and general overheads (net of income) directly attributable to the projects are allocated in the ratio of assets capitalized.
- C. Amounts pertaining to construction period such as Price Variation, Final Penalty (other than interest received from temporary deployment of funds received by way of equity, interest free subordinate-debt and grant), etc. have been adjusted against the expenditure during construction.
- D. Claims including price variation are accounted for on approval and acceptance. Liquidated Damages are accounted for on settlement of final bill.

29.7. Allocation of Interest during Construction

Interest During Construction (IDC) in respect of qualifying assets commissioned during the year, is allocated in the ratio which the value of commissioned assets bears to the qualifying CWIP as at the end of the month of commissioning. In other cases, IDC is allocated based on the date of capitalization of the last section.



29.8. Depreciation/Amortization

- A. Depreciation on Property, Plant & Equipment has been provided following the Straight-Line Method on the basis of useful life of assets as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013 except in respect of following assets/components of assets, where useful life is determined based on technical assessment by the company:

S.No.	Asset	Useful life (In years)
A.	Rolling Stock	30
A1	Components of Rolling Stock- Power supplies, Auxiliaries, Brakes, Air-conditioning system, Interiors, On board controls, Announcement and CCTV system	18
B	Escalators	30
B1	Components of Escalators- Handrail	7
B2	Components of Escalators-Step and Chain Roller, Relay, Timers and Control Gear	8
B3	Components of Escalators- Remaining Components	15
C	Elevators	30
C1	Components of Elevators-Traction Machine /Motor, Governor, Anti Creep Device	20
C2	Components of Elevators-Safety Gear Rope, Hoisting Chain/Rope	8
C3	Components of Elevators-Contactors, Relays	10
C4	Components of Elevators-Remaining Components	30
D	Components of AFC	
D1	CSC(Contactless Smart Card)	7
D2	CST(Contactless Smart Token)	5
D3	Remaining Components	10
E	Mobile Handset	3
F	Signages	2
G	Tubewells	15

Parameters considered for identification of components of assets:

- Assets having value of INR 10 Lakhs & above and components of value more than 10 % in relation to the main asset have only been considered for componentization.
- The maximum life of component has been restricted to the life of principal asset.
- Significant components of assets having same useful life have been clubbed together irrespective of the percentage in relation to principal asset. Remaining components or insignificant items have combined with the principal asset.

- Land, Track Work (Permanent Way) and Intangible Assets are not componentised as identification of separate components is not possible.
- Vehicles, Temporary Structures, Survey/ Safety Equipment, IT System, Office equipment, Furniture and Fixture and related assets have not been componentized as their value in relation to the total assets of the company is quite insignificant.
- Property, Plant & Equipment and Intangible Assets costing INR 5000/-or less have been depreciated/amortized fully in the year of purchase considering the materially aspect.
- The residual value of 5% of the original cost of the asset has been considered and deducted for charging depreciation as per Schedule II of Companies Act, 2013.
- Depreciation has been provided on pro-rata basis from the day on which assets were ready for use. Depreciation on addition to / deduction from an existing asset which forms integral part of main assets is charged over the remaining useful life of that assets.
- Major overhaul and inspection costs, which have been capitalized, are depreciated over the period until the next scheduled outage or actual major inspection/ overhaul, whichever is earlier.
- Considering the future economic benefits from software, they have been capitalized as Intangible Assets and amortized over a period of 5 years on Straight Line Method.
- Expenditure on the items, ownership of which is not with the Company is charged off to revenue in the year of incurrence of such expenditure.

29.9. Foreign Currency

- A. Transactions denominated in foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the date of transaction.
- B. Monetary items denominated in foreign currencies are translated in functional currency at closing exchange rates as at the reporting date.
- C. Exchange differences arising on settlement or translation of monetary items are recognized in profit or loss/ CWIP in the year in which it arises.
- D. The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from GoI.

29.10. Impairment of Assets

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date to assess if there is any indication of impairment based on internal and external factors. An impairment loss on such assessment will be recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of the assets is net selling price or value in use, whichever is higher. While assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value by using weighted average cost of capital. A previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in the circumstances and to the extent that carrying amount of the assets does not exceed the carrying amount that will be determined if no impairment loss had previously been recognized. Impairment losses, if any are recognized in the Statement of Profit and Loss.

**29.11. Revenue Recognition (Ind AS 115)**

Effective April 1, 2018, the Company adopted Ind AS 115 “Revenue from Contracts with Customers” which establishes a comprehensive framework for determining whether, how much and when revenue is to be recognized. Ind AS 115 replaces Ind AS 18 Revenue and Ind AS 11 Construction Contracts. The company has adopted Ind AS 115 using the cumulative catch-up transition method, applied to contracts that were not completed as of April 1, 2018. In accordance with the cumulative catch-up transition method, the comparatives have not been retrospectively adjusted. Revenue from fixed-price, fixed-time frame contracts, where the performance obligations are satisfied over time and where there is no uncertainty as to measurement or collectability of consideration, is recognized as per the percentage - of - completion method. When there is uncertainty as to measurement or ultimate collectability, revenue recognition is postponed until such uncertainty is resolved. Efforts or costs expended have been used to measure progress towards completion as there is a direct relationship between input and productivity. Maintenance revenue is recognized ratably over the term of the underlying maintenance arrangement. The adoption of the standard did not have any material impact to the financial statements of the Company.

- A. Revenue from tickets/tokens are recognized on the date of its purchase and in case of smart cards based on money value of the actual usage.
- B. Income from sale of scrap is accounted on realization basis.
- C. The interest income on Flexi Deposits and TDRs / FDRs has been recognized on time proportion basis, considering the amount invested, rates applicable and interest accrued as per the interest certificates issued by the banks. The interest earned on FDRs has been recognized in the Statement of Profit and Loss.
- D. Rental Income in case of property and space let out has been recognized based on terms and conditions of the contract agreement with licensee/lessee/concessionaire, etc.
- E. Revenue accrued from advertisement for the space utilized is accounted for on accrual basis based on the contract terms.

29.12. Inventories

Raw Materials, Packing Materials, Stores and Spares are valued at lower of cost and net realizable value. The costs of inventories comprise all costs of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The costs of purchase consist of the purchase price including duties and taxes (other than those subsequently recoverable from the taxing authorities), freight inward and other expenditure directly attributable to the acquisition. Trade discounts, rebates and other similar items are deducted in determining the costs of purchase.

29.13. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and shortterm deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to insignificant risk of changes in value.

29.14. Employee Benefits

Contribution towards provident fund and employee state insurance is made to the regulatory authorities, where the Company has no further obligations. Such benefits are classified as Defined Contribution Plans as the company does not carry any further obligations, apart from the contributions made on a monthly basis. Such contributions are charged to the Statement of Profit and Loss for the period of service rendered by the employees.

The Company has a defined benefit gratuity plan. The Company funds the Plan through annual contributions to Life Insurance Corporation of India. Company's liability is actuarially determined at the end of each year.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of asset ceiling, excluding amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability), are recognized immediately in the balance sheet with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed within twelve months from the end of the year are treated as short term employee benefits. The obligation towards the same is measured at the expected cost of accumulating leaves as the additional amount expected to be paid as a result of the unused entitlement as at the year end.

Accumulated leaves, which are expected to be availed or en-cashed beyond twelve months from the end of the year are treated as other long-term employee benefits. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year.

29.15. Insurance Claims

Insurance claims are accounted for bases on acceptance of claims.

29.16. Grants in Aid

Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards Capital Expenditure for creation of assets are initially shown as 'Deferred Revenue'. These are subsequently recognized as income each year over the life of the relevant assets in proportion to depreciation on those assets.

Grants from the Government/Non-Government or other authorities towards revenue has been recognized in the Statement of Profit & Loss under the head 'other income'.

Where the Company receives non-monetary grants, the asset and the grant are recorded gross at fair amounts and released to the income statement over the expected useful life and pattern of consumption of the benefit of the underlying asset.

The Financial Assistance received from Government of Uttar Pradesh for State Taxes has been adjusted/ deducted from Capital work in Progress (CWIP).



29.17. Borrowing Cost

Borrowing cost includes interest and ancillary costs incurred in connection with the arrangement of borrowings and charged to Statement of Profit and Loss on the basis of effective interest rate.

Borrowing cost includes exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent they are regarded as an adjustment to the interest cost.

The loan from European Investment Bank (EIB) has been received as Pass through assistance (PTA) from Government of India (GoI) in INR. The Pass-Through Assistance (PTA) provided by Government of India is based on the finance contract signed between EIB and Government of India (GoI) for Euro 450 Million (equivalent to INR 3,50,200 Lakh) as the borrower. The loan is secured by sovereign guarantee by the GoI. The loan shall be disbursed in through tranches as per budgetary provisions of Government of India. GoI gave the loan from their Plan Budget of Ministry of Urban Development (MoUD) in INR. Any forex fluctuation on repayment will be recognized on transaction basis on advice from GoI. During the year, the company has received an amount of INR 1,68,000 Lakh (PY 98100 Lakhs) as Pass through assistance from GoI. The company has provided for interest of INR 399.72 Lakhs (PY 259 Lakh) during the year.

Borrowing cost that are attributable to the acquisition or construction of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of such asset till such time the asset is ready for its intended use. A qualifying asset is an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur.

29.18. Subordinate Debt

Interest free subordinate debts received from GoI & GoUP are repayable after the repayment of all Non-Government Debts (i.e. Senior Debts). These debts have been recognized as long-term borrowings. The subordinate debts are interest free. As per Government Order, Company is required to make repayment of subordinate debt only after repayment of entire Senior Term Debt availed for the project. In view of the uncertainty of repayment period, the company has not considered necessary for fair valuation of Government subordinate debt.

29.19. Taxation

Income Tax is determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Deferred tax is calculated using the balance sheet method. Deferred tax liabilities are generally recognized in full for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that the underlying tax loss, unused tax credits (MAT Credit entitlement) or deductible temporary difference will be utilized against future taxable income. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Income tax expense, comprising current tax and deferred tax, is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in Other Comprehensive Income (OCI) or equity, in which cases it is recognized in OCI or equity.

29.20. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognized when the company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are determined based on management best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date and are not discounted to present value. Contingent liabilities are disclosed on the basis of judgment of the management/independent experts. These are reviewed at each balance sheet date and are adjusted to reflect the current management estimate. Contingent Assets are not recognized but disclosed in the financial statement.

29.21. Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed in Indian Accounting Standard (Ind AS) – 7 on 'Statement of Cash Flows'.

29.22. Financial Instruments

A. Recognition, Initial Measurement and De-Recognition:

Financial assets and Financial liabilities are recognized when company becomes party to the contractual provision of the instrument and are measured initially at fair value adjusted by transaction costs, except for those financial assets which are classified at Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL) at inception.

Financial assets are De-Recognized when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire, or when the financial asset and all substantial risks and rewards are transferred. A financial liability is derecognized when it is extinguished, discharged, cancelled or expires.

B. Classification and Subsequent Measurement of Financial assets

For the purpose of subsequent measurement, financial assets are classified into the following categories upon initial recognition:

- Financial assets at amortized cost using effective interest method (EIR)
- Financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL)
- Financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI)

All the financial assets except for those at FVTPL are subject to review for impairment at least at each reporting date. There are no Financial Assets, which are designated at FVTPL in the company.

C. Classification and Subsequent measurement of financial liabilities

Financial liabilities are measured subsequently at amortized cost using the effective interest method, except for financial liabilities held for trading or designated at FVTPL, that are carried subsequently at fair value with gains or losses recognized in profit or loss. All derivative financial instruments are accounted for FVTPL. There are no financial liabilities, which are designated at FVTPL in the company.



D. Effective Interest Rate (EIR) is calculated as follows:

- Financial Assets & Financial Liabilities, which are, interest bearing at market rates: EIR in these cases are equivalent to instrument's interest rate.
- For other financial assets or financial liabilities: SBI-MCLR/ Base rate at beginning of financial year for highest available period.

29.23. Segment Reporting:

Operating segments are reported in the manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision maker (CODM). The Managing Director of the Company has been identified as CODM and he is responsible for allocating the resources, assess the financial performance and position of the Company and makes strategic decision. The Company has identified one reportable segment "running and maintenance of metro rail facility in Lucknow" based on the information reviewed by the CODM.

29.24 Current versus non-current classification:

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities.

30. Notes to Financial Statements

1. Contingent Liabilities:

(INR in Lakhs)

S. No.	Particulars	As at 31.03.19	As at 31.03.18
1.	Crossing Charges demanded by Northern Railway	124.00	124.00
2.	Penalty Charges claimed by BSNL	21.00	21.00
3.	Land acquisition related court case by Dinesh Kumar Pathak (The court case has been dismissed)	NIL	4.00
4.	Additional compensation for Land @ 100% of circle rate and annual concession fees for 30 years. amounting to INR 2554.00 Lakhs being demanded by U.P. State Road Transport Corporation, Lucknow for the Land transferred to LMRC for Metro Rail Project.	2554.00	2554.00
5.	Additional compensation for Land @ 100% of circle rate being demanded by U.P. Cooperative Union Limited, Lucknow amounting to INR 108.00 Lakhs for the Land transferred to LMRC for Metro Rail project. The same is not payable vide UP Govt. Letter No. 692/ Eight -7 -2019 dated 14-6-2019.	NIL	108.00
6.	The rent of land for Casting Yard at Lucknow Airport amounting to INR 2440.00 Lakhs. (The amount of INR 228.62 Lakhs has been booked as confirmed liability vide Letter No. 3905/LMRC/CPM/1/ AAI/Land/2019 dated 16.07.2019. The difference of the same has been shown as contingent liability.)	2211.00	2440.00
7.	Letter of Credit(s) in USD as per LC arrangement with HDFC Bank	1220.85	2960.00
8.	Letter of Credit(s) in EURO as per LC arrangement with HDFC Bank	1894.33	2231.00
9.	M/s Delhi Metro Rail Corporation on a/c of Revision of DPR for E-W Corridor of Lucknow Metro Rail Project	9.00	9.00
10.	The charges payable to North Eastern Railway for temporary use of railway land during construction period was disclosed as Contingent Liability amounting to INR 14.00 Lakhs. The Amount was revised to INR 10.17 Lakhs by North Eastern Railways during the year. The amount of INR 8.50 Lakhs was paid against the demand of INR 10.17 Lakhs during the year. The difference between the demand and the amount paid has been disclosed as Contingent Liability.	1.67	14.00



11.	The charges payable to North Eastern Railway for permission to cross railway land was disclosed as Contingent Liability amounting to INR 895.00 Lakhs. The Amount was revised to INR 955.00 Lakhs by North Eastern Railways during the year. The amount of INR 780 Lakhs was paid during the year. The difference between the demand and the amount paid has been disclosed as Contingent Liability.	175.00	895.00
12.	The demand for additional compensation for Land @ 100% of circle rate amounting to INR 285.00 Lakhs by U.P. Cooperative Bank Limited, Lucknow for the Land transferred to LMRC for Hazratganj Ramp.	285.00	285.00
13.	Regarding the court case pending before Consumer forum.	5.00	5.00
14.	Regarding the pending Court Case - Prabhu Sahani v. Kumar Infrastructure Pvt. Ltd. & LMRC Ltd.	0.89	Nil
15.	The Contingent liability regarding the land use Hazratganj at DRM Office, Railway. The amount demanded by the Northern Railway amounts to INR 161.19 Lakhs. The amount of INR 131.65 Lakhs has been admitted as confirmed liability. The difference between the amount demanded and amount admitted has been recognised as contingent liability.	29.53	Nil
16.	Regarding the supervision charges demanded by North Eastern Railway. The Supervision Charges was demanded at 6.25% by North Eastern Railway and paid at 3.125%. The difference is due to the difference in land rates. The difference between the amount demanded and amount paid is disclosed as Contingent Liability.	26.00	Nil
17.	Income Tax Appeals (PY 2013-14 to 2016-17)	174.76	Nil

The issue regarding the rent payable to U.P. Co-operative Union Limited for temporary usage of Sahkarita Bhawan Land has been referred to the District Magistrate, Lucknow vide letter no. 3729/LMRC – L-6/2014 dated 21-6-2019 for decision. The same will be accounted for when the same is finalised.

Contingent Assets: There are no contingent assets as on date with the company.

2. **Commitments:** Estimated amounts of contracts including foreign currency contracts remaining to be executed on capital account and not provided for is 55,000.00 Lakhs (PY 169725.00 Lakhs) as on March 31st, 2019.

3. **Payment to the Statutory Auditors:-**

(INR in Lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
Audit Fees	2.00	2.00
Tax Audit Fees	0.80	0.80
Reimbursement:		
Total	2.80	2.80

4. The Company has accounted for State reimbursable taxes which has been adjusted in the carrying amount of PPE including CWIP to the tune of INR 17100.00 Lakhs (INR 11053.00 Lakhs) based on details provided by the Contractors. Further the company has received reimbursable taxes from GoUP to the tune of INR 17100.00 Lakh till 31.03.2019.

5. **Information in respect of Micro, Small and Medium Enterprises as at 31st March 2019**

(INR in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1.	Amount remaining unpaid to any supplier: a) Principal Amount b) Interest due thereon	NIL NIL	NIL NIL
2.	Amount of interest paid in terms of section 16 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006, along with the amount paid to the supplier beyond the appointed day;	NIL	NIL
3.	Amount of interest due and payable for the Period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL
4.	Amount of interest accrued and remaining unpaid	NIL	NIL
5.	Amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding year, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and medium Enterprises Development Act,2006	NIL	NIL



Disclosure requirements of Indian Accounting Standards

6. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-1: Presentation of financial Statements: Capital Management.

The Primary Objective of the Company's capital management is to maximize the shareholder value. The company monitors capital using Debt: Equity ratio, which is Long Term debt divided by total owner's capital, The Debt equity ratio are as follow:

(INR in Lakhs)

Particulars	As at March 31,2019	As at March 31,2018
(a) Total Debt	4,61,205.00	2,75,405.00
(b) Total Capital	2,04,100.00	1,89,792.00
Debt: Equity Ratio (a/b)	2.259	1.451

For the purpose of the company's capital management, capital includes issued capital and share application money pending allotment. Debt includes long term loans and borrowings.

7. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-17 "Leases"

- a. The Company has taken on lease/rent premises for employees. These Lease arrangements are usually renewable on mutually agreed terms, during the year the company has paid lease rent amounting to INR 183.53 Lakh (P.Y INR 206.87 Lakh) and included under the head of Expenditure Lease rent for Staff Accommodations

(INR in Lakhs)

Operating Lease	Not Later than one Year	Later than one year and up to five years	Beyond five years
Current Year (2018-19)	51.86	12.00	66.00
Previous Year (2017-18)	120.49	78.10	69.00

- b. The company has leased out its various assets to parties on operating lease basis. Future minimum lease rent receivable under non-cancellable operating lease are given as under:

(INR in Lakhs)

Operating Lease	Not Later than one Year	Later than one year and up to five years	Beyond five years
Current Year (2018-19)	961.98	3531.49	3846.64
Previous Year (2017-18)	0.09	259.31	2605.93

- c. The project office of the company is in the premises of Lucknow Development Authority (LDA) situated at 1st Floor, Janpath Market, Hazratganj, Lucknow. The issue regarding the rent of the aforesaid premises is still under consideration by LDA. Under these circumstances, no rent has been charged and will be accounted for as and when the issue is finalized by them.
- d. Company has taken land on temporary lease / rent for implementation of the Project and during this Accounting period, INR 100.65 lacs (PY 113.92 Lacs) has been paid towards lease / rent in FY 2018-19.

8. Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS)-19” Employee Benefits”

General description of various defined employee’s benefits schemes is as under:

a) Provident Fund:

The company’s Provident Fund is managed by Regional Provident Fund Commissioner. The company pays fixed contribution to provident fund at pre-determined rate. The liability is recognized on accrual basis.

b) Gratuity:

The company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has rendered continues service of five years or more is entitled to get gratuity @ 15 days salary (15/26* last drawn basic pay plus dearness pay plus dearness allowance) for each completed year of service on superannuation, resignation, termination and disablement or on death. A policy has been formed for this purpose.

This scheme is being managed by the Life Insurance Corporation of India (LIC) for which the company has taken a Master Policy.

The scheme is funded by the company. The disclosure of information as required under Ind AS-19 have been made in accordance with the actuarial valuation and liability is recognized based on Actuarial valuation.

However, the company is making contribution to the fund as per the demand made by life Insurance Corporation of India.

Regarding the LMRC employees excluding those on deputation, the Company has procured gratuity plan through LIC wherein every employee is entitled to the benefit equivalent to fifteen days’ salary last drawn for each completed year of service. The same is payable on termination of service or retirement whichever is earlier. The benefit vests after five years of continuous service. The fund is managed by LIC. The total liability recognized based on contribution payable to the Insurer amounting to INR 133.73 Lakhs PY INR 188.93 Lakhs during FY 2018-19, details given as below:

Particulars	Amount (Lakh) FY 18-19	Amount (Lakhs) FY 17-18
Current Service Cost	126.76	185.16
LIC Premium	6.36	3.77
Total	133.12	188.93

c) Pension:

Employee’s National Pension Scheme is managed by Stockholding Corporation of India. This scheme is optional, and company’s obligation is limited to pay 2.5% of Basic pay of the enrolled employee.

The contribution to the scheme for the period is grouped under Employee Cost on accrual basis. In respect of deputationist employees, pension contribution is calculated as per lending organization/Govt. of the India Rules and is accounted for on accrual basis.

d) Leave:

The company provides for earned leave benefits (included compensated absence) and half-pay leave to the employees of the company, which accrue annually at 30 days & 20 days respectively. Only the leave in the encashable leave account is encashable once in a calendar



year while is service and a maximum of 300 days (including non-encashable portion and half pay leaves without commutation) on superannuation.

The liability on this account is recognized based on actuarial valuation. In respect of deputationist employees, leave salary contribution is payable to their parent departments @ 11% of pay drawn (Basic pay including Dearness Pay & Special Pay) and is accounted for on accrual basis.

In relation to LMRC employees excluding those on deputation, the actuarial valuation of leave encashment was carried out by an Actuary and appropriate provisions have been made in books of accounts and financial statements accordingly as following :-

The results of the calculations of Gratuity & Leave Encashment are as under:

Net Defined Benefit obligation

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non- (Funded) (in Lakh)
Present value of the defined benefit obligation	C.Y.	246.45	627.69
	P.Y.	265.98	624.26
Fair value of the plan assets	C.Y.	437.07	-
	P.Y.	286.01	-
Surplus or (deficit) in the plan	C.Y.	190.61	- 627.69
	P.Y.	20.03	-624.26
Experience adjustments on plan liabilities	C.Y.	-152.72	-343.50
	P.Y.	76.63	139.91
Total Net Defined Benefit obligation	C.Y.	-42.94	3.42
	P.Y.	210.19	442.56

Movement in Plan Assets

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non-Funded) (in Lakh)
Fair value of assets at beginning of year	C.Y.	286.01	-
	P.Y.	94.93	-
Adjustment to opening fair value of plan assets	C.Y.	0	-
	P.Y.	-1.63	-
Interest income (+)	C.Y.	21.45	-
	P.Y.	6.17	-
Return on plan assets, excluding amounts of interest (+/-)	C.Y.	1.96	-
	P.Y.	1.23	-

Change in asset ceiling, excluding amounts included in interest expense (+/-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
FX rate gains (+) and losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by the employer (+)	C.Y.	127.64	-
	P.Y.	185.32	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Fair value of assets at end of year	C.Y.	437.07	-
	P.Y.	286.01	-

Movement in Defined Benefit Obligations

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Defined benefit obligation at beginning of year	C.Y.	265.98	624.26
	P.Y.	48.38	181.71
Current service cost (+)	C.Y.	111.28	300.11
	P.Y.	136.59	290.84
Interest cost (+)	C.Y.	19.94	46.81
	P.Y.	3.15	11.81
Gain (-) / loss (+) from change in demographic assumptions	C.Y.	-116.36	-241.56
	P.Y.	60.87	129.83
Gain (-) / loss (+) from change in financial assumptions	C.Y.	-110.04	-263.60
	P.Y.	108.41	177.31
Experience adjustment (+/-)	C.Y.	75.64	161.66
	P.Y.	-91.41	-167.23



FX rate gains (-) and losses (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Contributions by plan participants (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Benefits paid (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Business combinations (+) and disposals (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlements (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Defined benefit obligation at end of year	C.Y.	246.45	627.69
	P.Y.	265.98	624.26

Benefit expense recognised in profit or loss

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Current service cost (+)	C.Y.	111.28	300.11
	P.Y.	136.59	290.84
Interest cost (+)	C.Y.	19.94	46.81
	P.Y.	3.15	11.81
Interest income (+)	C.Y.	21.45	-
	P.Y.	6.17	-
Net interest on net defined benefit liability	C.Y.	-1.50	46.81
	P.Y.	-3.03	11.81
Past service cost (+)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Settlement gains (+) or losses (-)	C.Y.	-	-
	P.Y.	-	-
Total expense recognised in profit or loss	C.Y.	109.78	346.93
	P.Y.	133.56	302.65

Amount recognised in Other Comprehensive Income

Particulars		Gratuity (Funded) (in Lakh)	Leave (Non - Funded) (in Lakh)
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	C.Y.	-152.72	-343.50
	P.Y.	76.63	139.91

Category of investment in Plan assets

Category of investment	% of fair value of plan assets
Total Amount recognised in Other Comprehensive Income	100%

Actuarial Assumptions

Particulars		Gratuity (Funded)	Leave (Non - Funded)
Method used	C.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
	P.Y.	Projected Unit Credit Method	Projected Unit Credit Method
Discount Rate	C.Y.	7.50% p.a.	7.50% p.a.
	P.Y.	7.50% p.a.	7.50% p.a.
Salary escalation rate	C.Y.	8% p.a.	8% p.a.
	P.Y.	10% p.a.	10% p.a.
Employee Attrition / withdrawal rate	C.Y.	3.5% p.a.	3.5% p.a.
	P.Y.	0% p.a.	0% p.a.
Mortality	C.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2006-08 Ult
	P.Y.	100% of IALM 2006-08 Ult	100% of IALM 2006-08 Ult

Sensitivity Analysis and Expected Benefit Payments:

1. Sensitivity Analysis

Assumption	Change in Assumption	Financial Year Ending 31st March 2019 (in Lakh) - Gratuity	Financial Year Ending 31st March 2018(in Lakh) - Leave Encashment
Discount Rate	0.50%	(20.91)	(49.06)
	-0.50%	23.69	55.50
Salary Growth Rate	1.00%	49.93	116.59
	-1.00%	(39.57)	(92.92)
Price Inflation Rate	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
Medical Inflation Rate	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
Mortality Rate	+ 3 years	(0.12)	(0.29)
	-3 years	0.08	0.21



2. Expected Benefit Payments

Sr. No.	Year of Payment	Leave Encashment	Gratuity
1	31-Mar-20	21.91	0.86
2	31-Mar-21	40.02	8.71
3	31-Mar-22	23.01	7.76
4	31-Mar-23	23.98	8.43
5	31-Mar-24	25.00	10.54
6	31-Mar-2025 to 31-Mar-2029	159.97	64.97

9 Disclosure in respect of Indian Accounting Standard (Ind AS 21) "The Effects of changes in Foreign Exchange Rates":

- The amount of exchange differences (net) credited to the statement of Profit & Loss is INR 0.13278 Lakhs (PY INR 0.01287 Lakhs).
- Adjustment in PPE/ CWIP includes INR 1010.46 Lakh (PY INR 824 Lakh) on account of exchange differences due to translation of Monetary Items

10 Disclosure in respect of Ind AS 24 "Related Party Disclosures"

(a) Key Management Persons:

- Shri Kumar Keshav, Managing Director
- Shri Sanjay Mishra, Whole Time Director (Works & Infrastructure)
- Shri Mahendra Kumar, Whole Time Director (Rolling Stock & Systems)
- Shri Ajai Kant Rastogi, Whole Time Director (Finance)
- Shri Sushil Kumar, Whole Time Director (Operations) (w.e.f. 25-10-2018)
- Smt. Pushpa Bellani, Company Secretary

(b) Disclosure of transactions of the company with related parties (Key Management Persons):

Particulars	2018-19 (in Lakh)	2017-18 (₹ in Lakhs)
Salaries & Allowances	232.80	123.16
Contribution to Provident Fund and other Funds, Gratuity & Group Insurance	20.12	18.11
Other Benefits	17.85	16.32
Total (included in Employees Cost)	270.77	157.58

C. In addition to the above remuneration,

- The whole time Directors have been allowed to use the Company owned car (including for private journeys) subject to recovery as per the Company's rules.
- No other transaction with any other related parties was carried out during the FY 2018-19

11 DISCLOSURE IN RESPECT OF (Ind. AS)- 33: EARNING PER SHARE:

- A. Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period should be adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

Particulars	2018-19 (in Lakhs)	2017-18 (in Lakhs)
Profit after taxation, prior period adjustments for the earlier years as per Statement of Profit & Loss (INR in Lakhs)	-7211.16	-2538.28
Weighted average number of equity shares outstanding:		
Basic	1923.21	997.45
Diluted	2021.79	1586.62
Basic Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	-3.75	-1.70
Diluted Earnings Per Share (INR) (Face value of INR 100/- per share)	-3.57	-1.60

12 Disclosure in respect of Indian Accounting Standard Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”:

(INR in Lakhs)

Particulars	Opening balance as at 01.04.18	Additions/Transfers During the Year	Utilization during the Year	Closing balance as at 31.03.2019
Retirement Benefits	696.97	85.71	74.19	708.49
Expenses	1259.20	1378.63	1139.42	1498.41
Total	1956.17	1464.34	1213.61	2206.90

Particulars	Opening balance as at 01.04.17	Additions/Transfers During the Year	Utilization during the Year	Closing balance as at 31.03.2018
Retirement Benefits	231.31	514.39	48.72	696.97
Expenses	4245.60	1147.80	4134.19	1259.20
Total	4476.90	662.18	4182.92	1956.17



13 Disclosures in respect of IND 107- "Financial Instruments: Disclosure" Financial Instruments

1. Financial Instruments by Categories

The carrying values of financial instruments by categories are as follows:

Particulars	As on 31st March, 2019			As on 31st March, 2018	
	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)	FV OCI (in Lakh)	Amortized cost (in Lakh)	FVT PL (in Lakh)
Loans	-	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5)	1748.43	-	-	650.38	-
Trade Receivables	-	-	-	-	-
Cash & Cash Equivalents (Refer Note-8)	126792.43	-	-	119127.86	-
TOTAL	-	-	-	-	-
Borrowing (Refer Note -14)	461205.00	-	-	275405.00	-
Other Financial Liabilities (Refer Note - 15 & 19)	28789.60	28788.20*	-	25905.39	25901.92*
Trade Payable (Refer Note - 18)	823.85	-	-	361.57	-
TOTAL	-	-	-	-	-

* The other financial comprises of security deposits from contractors and customers.

2. Fair Value Hierarchy:

Financial assets and liabilities measured at fair value in the statement of financial position are categorized into three levels of fair value hierarchy. The three levels are defined based on the observability of significant inputs to the measurement as follows:

Level 1: Quoted Prices (unadjusted) in active markets for identical financial instruments that the entity can access at the measurement date.

Level 2: The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques which maximise the use of relevant observable market input and minimise use of unobservable inputs.

Level 3: If one or more of the significant inputs is not based on the observables market inputs, the instrument is categorised in level 3 of fair value hierarchy.

3. Financial Assets/Liabilities measured at amortized cost for which Fair Value are disclosed:

(INR in Lakh)

Particulars	Level	As on 31st March, 2019		As on 31st March, 2018	
		Amortized Cost	Fair Value	Amortized cost	Fair Value
Financial Assets:					
Loans	Level 2	-	-	-	-
Other Financial Assets (Refer Note-5 & 9)	Level 2	1748.43	1748.43	650.38	650.38
TOTAL		-	-	-	-
Financial Liabilities:					
Other Financial Liabilities (Refer Note - 15 & 19)	Level 2	28789.60	28788.20	25905.39	25901.92

4. Valuation techniques and process used to determine fair values

1. The carrying value of financial assets and liabilities with the maturities less than 12 months are representative of their fair value.
2. Fair value of the other financial assets and liabilities carried at amortized cost is determined by discounting of cash flows using a discount rate which is defined as per Accounting Policy No. 29.22

13.2 Financial Risk Management

A. Financial risk factors

The Company is exposed to various risks in relation to financial instruments. The company's financial asset and liabilities by category are summarized above. The main types of risks are market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's Risk Management focus on actively securing the Company's short to medium term cash flows by minimizing the exposure to volatile financial markets. The most significant financial risks to which the company is exposed are described below:

B. Market Risk

The Company has foreign exchange risk as Market Risk. The Company does not have any interest rate risk since the loans to the company are at either NIL rate of interest or at fixed rate of interest as per disbursement notice of each tranche of loan received from EIB. Also, company does not have price risk since company is not having derivative financial asset.

The exchange fluctuation risk is due to import of Property Plant and Equipment from outside India. The company does not have any hedging instrument to cover the foreign exchange risk.

C. Credit Risk

Credit Risk refers to the risk of default on its obligation by the counterparty resulting in a financial loss. The company exposed to this risk for various financial instruments, for example



by granting advances to the employees, receivables from customers, security deposits etc. The maximum exposure to the credit risk at the reporting date is primarily from carrying amount of following types of financial assets.

- Cash and Cash equivalents
- Trade receivables
- Other financial assets measured at amortized cost.

The company continuously monitors defaults of customers and other counter parties, identifies either individually at reasonable cost, external credit ratings and/or reports on customers and the other counterparties are obtained and used.

Credit risk Management

Cash and cash equivalent

Credit risk related to cash and cash equivalent is managed by placing funds in schedule commercial banks which are subject to the regulatory oversight of the Reserve Bank of India, and these banking relationships are reviewed on an ongoing basis.

Other financial assets

Other financial assets are measured at amortized cost and there is no impairment.

Expected credit losses

Company provides expected credit losses based on the following:

Trade Receivables

Trade receivables are impaired when recoverability is considered doubtful based on the recovery analysis performed by the company for individual trade receivables. The company considers that all the above financial assets that are not impaired and past due for each reporting dates under review are of good credit quality.

Other financial assets measured at amortized loss

Credit risk related to employee loans are considered negligible since loan is secured against the property for which loan is granted to the employees. Credit risk related to these other financial assets is managed by monitoring the recoverability of such amounts continuously, while at the same time internal control system in place ensure that the amounts are within the defined limits. There are no impairment provisions as at each reporting date against these financial assets. We consider all the above financial asset as at the reporting dates to be of good credit quality.

D. Liquidity Risk

Our liquidity needs are monitored based on monthly and yearly projections. The Company's principal sources of liquidity are cash and cash equivalents, revenue generated from operations, Long term loan from EIB, Interest free subordinate debt, share capital and grant.

We manage our liquidity needs by continuously monitoring cash inflows and by monitoring cash and cash equivalents, Net cash requirements are compared to available cash in order to determine any shortfalls.

Short term liquidity requirement consists of mainly of sundry creditors, expense payable, employee dues, retention and deposits arising during the normal course of business as of each

reporting date. We maintain a sufficient balance in cash and cash equivalents to meet our short-term liquidity requirements.

We assess long term liquidity requirements on a periodical basis and manage them through internal accruals. Our non-current liabilities include EIB loan, Interest free subordinate debt, retention & deposits and liabilities for Employee benefit.

14. Segment Reporting (Ind AS 108)

The Company's operations comprise only one business segment – Running & Maintenance of Metro Rail Facility in the context of reporting business/geographical segment as required under Ind AS 108 - Operating Segments.

Based on the “management approach” as defined in Ind-AS 108 - Operating Segments, the Chief Operating Decision Maker evaluates the Company's performance and allocates resources based on an analysis of various performance indicators by business segment. Accordingly, information has been presented along these business segments which have been defined based on the Quantitative thresholds in paragraph 13 of Ind-AS 108-Operating Segments:

(INR in lakhs)

Particulars	2018-19	2017-18
Fare Box Revenue	1079.96	435.45
Non-Fare Box Revenue	424.05	119.95

Geographical Segment

The Company operates within India and does not have operations in economic environments with different risks and returns. Hence, it is considered operating in single geographical segment.

Information about major customers.

Revenue from one customer -Jagran Prakashan Limited contributed INR 221.47 lakhs 10% or more to the company's revenue for year ended on 31.03.2019

Previous year's figures have been regrouped/ rearranged/ reclassified, wherever necessary, to make them comparable to the current year's presentation.

As per our report of even date annexed

For D.S. Shukla & Co.

Chartered Accountants
FRN - 000773C

Sd/-

(Shreeharsh Shukla)

Partner

Membership No: 408990

UDIN: 19408990AAAAAA8402

Place: Lucknow

Date: 27.07.2019

For and on behalf of the Board

Sd/-

(Kumar Keshav)

Managing Director

DIN: 02908695

Sd/-

(Pushpa Bellani)

Company Secretary

Sd/-

(Ajai Kant Rastogi)

Director Finance

DIN: 07228424



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उ.प्र.
"आडिट भवन" टीसी-35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010



Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General
(Economic & Revenue Sector Audit), U.P.,
"Audit Bhawan" TC-35-V-1, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226010

संख्या : ई.एस-1/कम्पनी लेखा/LMRC/2018-19/188 दिनांक: 28 सितम्बर, 2019

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

महोदय,

एतत्सह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के निबन्धनों के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका-टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The Office of the Principal Accountant General (Economic and Revenue Sector Audit), Uttar Pradesh, disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

सहपत्र- यथोपरि।

भवदीया

व. उपमहालेखाकार

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE ACCOUNTS OF LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2019.

The preparation of financial statements of Lucknow Metro Rail Corporation Limited, Lucknow for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) or 139(7) of the Act are responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 27 July 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a Supplementary Audit of financial statements of Lucknow Metro Rail Corporation Limited, Lucknow for the year ended 31 March 2019 under Section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and, which in my view, are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Financial Position :

Balance Sheet

Liabilities

Other Current Liabilities: (Note No. 20 : ₹89.59 crore)

- (1) Northern Railway (NR) vide its letter dated 28 February 2018 demanded crossing charges of ₹ 34.30 crore from the Company for permission to cross Railway land at four locations. Out of that, the Company had deposited ₹ 33.06 crore to NR during 2015-16. The remaining pending balance of ₹ 1.24 crore has been shown as Contingent Liability. Since, the Company is bound to pay this amount to NR and the same has also been accorded by the Management in its records, showing the same as contingent liability in books of accounts is not appropriate. This has resulted in understatement of current Liabilities as well as Capital Work in Progress by ₹ 1.24 crore each.



Despite being commented on the accounts for the Year 2017-18, no corrective action has been taken by the Company

Equity and Liabilities

Current Liabilities

Other Financial Liabilities (Note No. 19 : ₹ 275.80 crore)

- (2) (i) Northern Railways demanded crossing charges for railway land between Badshahnagar and Daliganj Railway station amounting to ₹ 9.55 crore from the Company as per Railway Board's policy. However, the Company paid ₹ 7.80 crore during the year and accounted for the remaining ₹ 1.75 crore as Contingent Liability.

As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the Company should have booked the entire amount of ₹ 9.55 crore instead of ₹ 7.80 crore. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and Current Liabilities by ₹ 1.75 crore each.

Despite being commented on the accounts for the Year 2017-18. only partial corrective action has been taken by the Company.

- (ii) Northern Railways demanded the permission charges of ₹ 1.61 crore for use of land for Charbagh-Hazratganj underground stretch by the Company in Divisional Railway Manager Office Campus. Hazratganj as per the policy guidelines issued by Railway Board. The Company has unilaterally accepted a liability of ₹ 1.32 crore and capitalized the Right for using land as Intangible assets during the year. The remaining of ₹ 0.29 crore has been depicted as contingent liability.

As the company is bound to pay the charges to Northern Railways, the company should have booked the entire amount of ₹ 1.61 crore instead of ₹ 1.32 crore. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and current liabilities by ₹ 0.29 crore.

(3) Other Current Assets: (Note No. 11): ₹ 16.56 crore

The above includes ₹ 8.86 crore incurred by the Company on behalf of Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Kanpur Metro, Meerut Metro, Varanasi Metro which would be recovered by LMRC from these entities on their incorporation. Since, this amount is recoverable in cash or in form of another financial asset from another entity. hence, the same should have been shown under Other Financial Assets (Note-9) instead of Other Current Assets (Note-11) as required by Ind 32. This has resulted in overstatement of Other Current Assets and understatement of Other Financial Assets by ₹ 8.86 crore.

Despite being pointed out in the report of Comptroller and Auditor General of India for the Year 2017-18. no corrective action has been taken by the Company.

B Comments on Disclosure

Notes to Financial Statements (Note No. 30)

Contingent Liabilities

- (4) The Uttar Pradesh Awasth Evam Vikas Parishad (UPAEVP) has allotted land sector 9 and Sector 19 for casting yard of five hectares and 38, 268 sq. mtrs. respectively to the Company for four years. The land was allotted to the Company on monthly rental of ₹ 4.04 lakh and ₹ 6.18 lakh on 15.01.2016 and on 01.07.2016 respectively. The UPAEVP continuously demanded for execution of agreement and clearing of dues but the Company neither executed agreement nor paid any amount so far. The Company has taken the matter of fixation of rent through Additional District Magistrate who is the final authority for the same.

As the Company has a present obligation for payment of rent to UPAEVP, the same should have been depicted as Contingent Liability in terms of paragraph 10 of Ind AS 37.

Notes to Financial Statements

Other Equity (Note No. 13): ₹ 92 crore)

- (5) The above includes ₹ 16.00 crore received (February 2018) by the Company from Government of Uttar Pradesh (GoUP) towards Share Capital Contribution for allotment of Equity Shares of the Company. The authorized Capital is divided into 20 crore shares of ₹ 100 each which have already been allotted by the Company in entirety. Thus, the Company would not be able to issue the shares until the Authorized Capital of the Company is revised. The fact should have been disclosed by the Company in Notes to Accounts.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Place : Lucknow
Date : September 2019**

**(Jayant Sinha)
Principal Accountant General**



**Management Replies in reference to CAG report under
Section 143(6)(b) of the Companies Act 2013 vide letter No.
ES-1/Company Accounts/LMRC/2018-19/188 Dated : 28-9-2019**

Sr. No.	Audit Observation	LMRC Reply
1.	<p>(A) Comments on Financial Position</p> <p>Balance Sheet Equity & Liabilities Current Liability Other Current Liabilities : (Note no. 20: Rs. 89.59 Cr)</p> <p>Northern Railway (NR) vide its letter dated 28 February 2018 demanded crossing charges of Rs. 34.30 Cr from the Company for permission to cross Railway land at four locations. Out of that, the Company had deposited Rs. 33.06 Cr to NR during 2015-16. The remaining pending balance Rs. 1.24 Cr has been shown Contingent Liability. Since, the Company is bound to pay this amount to NR and the same has also been accorded by Management in records, showing the same as contingent liability in books of accounts is not appropriate. This has resulted in understatement of current liability as well as Capital Work in Progress (CWIP) by Rs. 1.24 Cr each.</p> <p>Despite being pointed out in the report of Comptroller and Auditor General of India for the Year 2017-18 no corrective action has been taken by the company.</p>	<p>Reference may kindly be drawn on the definition of Contingent Liabilities as mentioned in Ind. AS 37. A contingent liability is:</p> <p>(a) a possible obligation that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity; or</p> <p>(b) a present obligation that arises from past events but is not recognized because:</p> <p>(i) it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or</p> <p>(ii) the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability.</p> <p>LMRC is of the view that these obligations are more covered under the definition of the contingent liabilities as the substance reflects Contingent nature, the facts are not sure at this stage. The same are reflected as well. Northern Railway after considering the LMRC's request to charge LMRC for permission to cross Railway Land at different locations, for the land to be utilised by LMRC for operational purposes (not for Commercial use) at the rates as published in the D. M's list of land rates, reduced the charges for crossing Railway Land to INR 34.30 Cr. including GST charges. LMRC had paid INR 33.06 Cr. to NR for permission to cross Railway land during 2015-16 when service tax @ 15% was applicable. In the Meantime, GST came into force w.e.f. 01-07-2017 so the difference of amount of INR 1.24 Cr. pertains to GST which as per LMRC was not payable to railways since payment was made in 2015-16 itself. Management in LMRC is of the view that the matter be reviewed. The matter is still under consideration. The charges demanded by NR have so far not been accepted by LMRC. Hence, the amount of INR 1.24 Cr. demanded by Northern Railway, was shown as contingent liability and not as current liability as on 31.03.2018 pending final decision. As and when the issue is finalized the same shall be taken to confirmed liability.</p> <p>The same is disclosed as Contingent Liability in current Financial Year 2018-19. (Refer page no. 12 Note to Accounts)</p>

<p>2</p>	<p>Equity and Liabilities Current Liabilities Other Financial Liabilities (Note no. 19 Rs. 275.80 Cr)</p> <p>(i) Northern Railways demanded crossing charges for railway land between Badshahnagar and Daliganj Railway station amounting to Rs. 9.55 Cr from the Company as per Railway Board's policy. However, the Company paid Rs. 7.80 Cr during the year and accounted for the remaining Rs. 1.75 Cr as Contingent Liability.</p> <p>As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the Company should have booked the entire amount of Rs. 9.55 Cr instead of Rs. 7.80 Cr. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and Current liabilities by Rs. 1.75 Cr.</p> <p>Despite being commented upon in the report of Comptroller and Auditor General of India for the Year 2017-18 no corrective action has been taken by the company.</p> <p>(ii) Northern Railways demanded the permission charges of Rs. 1.61 Cr for use of land for Charbagh-Hazratganj underground stretch by the Company in DRM Office Campus, Hazratganj as per the policy guidelines issued by Railway Board. The Company has unilaterally accepted a liability of Rs. 1.32 Cr and capitalized the Right for using land as Intangible assets during the year. The remaining Rs.0.29 Cr has been depicted as contingent liability.</p> <p>As the Company is bound to pay these charges to Northern Railways, the Company should have booked the entire amount of Rs. 1.61 Cr instead of Rs. 1.32 Cr. This has resulted in understatement of Intangible Assets (Rights for using land) and Current liabilities by Rs 0.29 Cr.</p>	<p>Northern Railway is considering enhancement of 7% per annum on circle rate issued by DM/Lucknow in 12/2015 in view of Railway Boards Policy Letter No.2005/LML/18/8 dated 10.02.2005 on licensing of railway land para 5.2(Annexure-A).</p> <p>Railway Board above circular para 5.3 states that licence fee should be fixed after obtaining the current value of land. As per Sub Registrar letter no. 198/Sub Registrar(ii)/2019 dated 21.06.2019(Annexure B), the rate of land is still same as in 12/2015. Further it does not specify for any enhancement</p> <p>Therefore, while calculating the land cost, LMRC is not accounting the enhancement of increase in rate @7% per annum.</p> <p>But since Railway is not agreeing to the statement of LMRC, the amount has been shown as contingent Liability.</p> <p>It is brought to the notice of Audit that the company has accounted for INR 7.80 Cr. as Intangible Assets (Permissions). However, the claim by N.R is not in line with railway board letter date No.2005/LML/18/8 dated 10.02.2005 also elaborated in point above. The illegitimate demand of INR 1.75 Cr. by N.R rebutted by company and subject to settlement hence rightfully disclosed as Contingent liabilities. Therefore, the audit may kindly appreciate that correct position is taken by company as it was earlier commented upon by CAG also.</p>
<p>3</p>	<p>Other Current Assets: Note No. 11): Rs.16.56 Cr</p> <p>The above includes Rs. 8.86 Cr incurred by the Company on behalf of Agra Metro, Allahabad Metro, Gorakhpur Metro, Kanpur Metro, Meerut Metro, Varanasi Metro which would be recovered by LMRC from these entities on their incorporation. Since, this amounts are recoverable in cash or in form of another financial asset from another entity, hence, the same should have been shown under Other Financial Assets (Note-9) instead of Other Current Assets (Note-11) as required by Ind AS 32.</p> <p>This has resulted in overstatement of Other Current Assets and understatement of Other Financial Assets by Rs. 8.86 Cr. Despite being pointed out in the report of Comptroller and Auditor General of India for the year 2017 – 18, no corrective action has been taken by the company.</p>	<p>The amount of INR 8.86 Cr. incurred by company on behalf of other metros is not considered as financial asset as this is not recoverable as per current changes in structure of the agreement. As LMRC will now be converted to UP Metro this amount will form part of asset and is not recoverable. Since this amount is not recoverable in cash or another financial asset thus have been shown under Other Current Assets instead of Other Financial Assets.</p>



4	<p>(B) Comments on Disclosure Note to Financial Statement (Note no. 30) Contingent Liability</p> <p>The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Evam Parishad (UPAEVP) in compliance of the decision taken by GoUP/Parishad has allotted land in sector 9 and Sector 19 for casting yard of five hectare and 38.268 sq.mtr. respectively to the corporation for four years. The land was allotted to the corporation on monthly rental of Rs. 4.04 Lacs and Rs. 6.18 lacs on 15.01.2016 and 01.07.2016 respectively. The UPAEVP continuously demanded for execution of agreement and clearing of dues but the corporation neither executed agreement nor paid any amount so far. The company has taken the matter of fixation of rent through Additional District Magistrate who is the final authority for the same. As the company has a present obligation for payment of rent to UPAEVP, the same should have been depicted as contingent liability in terms of paragraph 10 of Ind AS 37</p>	<p>That the matter regarding non provision of rental payable to Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Evam Parishad to the tune of INR 2.52 Cr. as observed by the Audit.</p> <p>The audit may kindly appreciate that liability as defined by IND AS 37 on Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets</p> <p>A liability is a present obligation of the entity arising from past events, the settlement of which is expected to result in an outflow from the entity of resources embodying economic benefits.</p> <p>It is noteworthy that the rents demand raised by Uttar Pradesh AwasEvamVikasEvamParishad is without any formal rent agreement and was completely unilateral.</p> <p>On the contrary LMRC has escalated the fixation of rent through Additional District Magistrate (vide letter no. 377 / LMRC – L-6/2014 dated 07-03-2018 who being endorsed as the final authority for the same upon which rent payable by the company only crystallizes. Furthermore, the same is pending for any fixation of rent payable for land in sector 9 and Sector 19 from the proper authority.</p> <p>The company shall account for the same as and when the rent is being fixed by ADM.</p>
5	<p>Notes to Financial Statements Other Equity (Note No 13): Rs. 92 Cr.</p> <p>The above includes Rs. 16.00Cr received (February 2018) by the Company from Government of Uttar Pradesh (GoUP) towards share capital contribution for allotment of Equity shares of the Company. The authorized Capital of the Company is divided into 20 Cr shares of Rs.100 each which have already been allotted by the Company in entirety. Thus, the Company would not be able to issue the shares until the Authorised Capital of the Company is revised. The fact should have been disclosed by the company in notes to Accounts.</p>	<p>The Audit may kindly appreciate that the increasing the Authorised Share Capital shall entail compliance of section 61 and section 64 and other applicable rules which requires alteration/ amendment to MOA which is a business of EGM/AGM which the company has put forward as a business to be transacted in the upcoming AGM/EGM. Therefore, without obtaining consent of the members reflecting the same in the Financial Statements would defeat the provision of Companies Act, 2013. Since the BOD has agreed to the same subject to the approval of the same in general meeting of the company, the facts is disclosed in the Directors Report.</p> <p>Further Director's report forms an integral part of the Annual Account of the Company and it has been mandated by the section 134(7) of the Companies Act, 2013 that financial statement shall be issued, circulated or published along with the Board's report.</p>



LUCKNOW METRO
RAIL CORPORATION

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.

Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Note

A series of horizontal dotted lines for writing a note.




LUCKNOW METRO
RAIL CORPORATION

LUCKNOW METRO RAIL CORPORATION LTD.

Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





Lucknow Metro Rail Corporation Ltd.

Administrative Building

Near Dr. Bhimrao Ambedkar Samajik Parivartan Sthal

Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Tel.: 0522- 2304014, 2304015; Fax: 0522-2304012

Website : www.lmrc.com



वार्षिक विवरण

वि.व. 2018-19



लखनऊ मेट्रो रेल
कॉर्पोरेशन लिमिटेड







अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	निदेशक मंडल	3
2	अध्यक्ष महोदय का संबोधन	5
3	प्रबंध निदेशक का संदेश	7
4	2018-19 में प्रमुख घटनाक्रम	8
5	निदेशकों की रिपोर्ट	13
6	कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	28
7	सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट	34
8	वार्षिक रिटर्न का सारांश	40
9	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	47
10	वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण	57
11	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां	76
12	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	103

पंजीकृत कार्यालय:

प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010, फोन-0522- 2304011
ईमेल: cslmrcl@gmail.com, वेबसाइट: www.lmrcl.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
जी.एफ.2 एकता अपार्टमेंट,
125, चंद्रलोक, अलीगंज,
लखनऊ-226024

आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखापरीक्षक

मैसर्स दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव

पुष्पा बेलानी


हमारे बैंक

भारतीय स्टेट बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड



निदेशक मंडल

नाम	पदनाम
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड; सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री के. संजय मूर्ती	नामिती निदेशक, भारत सरकार अपर सचिव (डी), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
श्रीमती झंजा त्रिपाठी	नामिती निदेशक, भारत सरकार संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एमओएचयूए)
श्री प्रदीप मधुमंगल सिकंदर	नामिती निदेशक, भारत सरकार ईडी/सिग. (विकास), रेलवे बोर्ड
श्री विनय कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
श्री राजेश कुमार सिंह	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान सचिव, अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग, लखनऊ
श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त, लखनऊ
श्री महेन्द्र कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (रोलिंग स्टॉक और सिस्टम्स), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री अजय कांत रस्तोगी	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (वर्क्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड





अध्यक्ष महोदय का संदेश

प्रिय शेयरधारको

आपकी कंपनी की 6ठी वार्षिक आम बैठक में आप सबका स्वागत करना मेरा गौरवपूर्ण सौभाग्य है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाते, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ, आप सबको पहले ही प्रचारित कर दिए गए हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पठित मानता हूँ।



2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर फेज-1ए का 22.878 कि.मी. लंबे मार्ग का 4 भूमिगत स्टेशनों और 17 एलिवेटेड स्टेशनों वाला पूरा खंड दिनांक 9 मार्च 2019 से सार्वजनिक उपयोग के लिए पूरी तरह से चालू हो गया। आपको यह जानकर खुशी होगी कि परियोजना 01.04.2019 की अपनी निर्धारित लक्ष्य तारीख से काफी पहले ही सफलतापूर्वक चालू कर दी गई है। लखनऊ की जनता ने मेट्रो सेवाओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और सबने इसकी काफी सराहना की है। परिणामस्वरूप, फेज-1 में दैनिक यात्रियों में काफी वृद्धि दिखाई दी है।
3. उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च, 2019 को श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य, भारत सरकार; श्री राम नाईक, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश; श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गरिमामय उपस्थिति में चालू किया गया।
4. आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने 28 फरवरी 2019 को कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो दोनों शहरों के प्रमुख सार्वजनिक नोड्स और शहरी क्लस्टर क्षेत्रों को जोड़ेंगी।
5. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 14001:2015 से और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए के 21 स्टेशनों और एक डिपो सहित चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो रेल कॉरिडोर के डिजाइन और निर्माण में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन श्रृंखला (OHSAS) 18001: 2007 से सम्मानित किया गया है।
6. कॉमन मोबिलिटी कार्ड के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने मेट्रो स्टेशनों पर लखनऊ मेट्रो के गोस्मार्ट कार्ड के माध्यम से गृह/संपत्ति करों के भुगतान की सुविधा के लिए लखनऊ नगर निगम और बिलों के भुगतान के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
7. निदेशक मंडल की ओर से मैं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, ठेकेदारों, सामान्य परामर्शदाताओं, यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) के प्रति, इस परियोजना के कार्यान्वयन में कंपनी को दी गई सद्भावना और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और अंत में, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की पूरी टीम को उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जिसके बिना सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के साथ ही निर्धारित समयवधि से पहले पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का रेवेन्यू ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता।

धन्यवाद सहित,

हस्ता/—

(दुर्गा शंकर मिश्रा)

सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
और अध्यक्ष, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

दिनांक: 06.09.2019

स्थान: नई दिल्ली





प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

कंपनी की 6ठी वार्षिक आम बैठक में मुझे आप सबका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक 22.878 कि.मी. लंबे मार्ग वाले फेज-1 के पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के कार्य को निर्धारित समय से पहले पूरा करना लखनऊ मेट्रो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। 4 भूमिगत स्टेशनों और 17 एलिवेटेड स्टेशनों वाला पूरा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर 9 मार्च 2019 से सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 08.03.2019 को उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के वाणिज्यिक प्रचालन का शुभारंभ किया।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लखनऊ मेट्रो ने विभिन्न उपलब्धियां हासिल की हैं जिसमें उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र (CoET) का उद्घाटन भी शामिल है। यह नवनियुक्त कर्मचारियों को मेट्रो प्रौद्योगिकी पर विशेष प्रशिक्षण देने वाला उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान है। यह प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सभी आगामी मेट्रो परियोजनाओं की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा।

लखनऊ मेट्रो ने 5 सितंबर 2018 को 'लखनऊ मेट्रो दिवस' के रूप में मनाया और इस अवसर पर, श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने मेट्रो परिचालन के सफलतापूर्ण एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लखनऊ मेट्रो 'शुभंकर' और लखनऊ मेट्रो 'मोबाइल ऐप' का भी अनावरण किया। इसी दिन यानी 5 सितंबर, 2017 को लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ की जनता के लिए उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड पर वाणिज्यिक सेवाओं का शुभारंभ किया था।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) और लखनऊ नगर निगम (LNN) ने अब मेट्रो स्टेशनों पर लखनऊ मेट्रो के 'गोस्मार्ट' कार्ड के माध्यम से गृह/संपत्ति करों के भुगतान की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके सहयोग किया है।

इन सबके अलावा, लखनऊ मेट्रो ने इस परियोजना के निष्पादन के दौरान अपने कर्मचारियों/ग्राहकों/असीलों और ठेकेदारों की मदद करने में अपनी सुरक्षित कार्यप्रणाली और उपलब्धियों के लिए प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज-1ए) के लिए इंटरनेशनल 'रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स (RoSPA) – सिल्वर अवार्ड' जीतकर अपने सम्मान में वृद्धि की है। ब्रिटिश सेपटी काउंसिल ने लखनऊ मेट्रो को परियोजना के निर्माण के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के प्रति सशक्त प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोजेक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में 'अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, 2019' भी प्रदान किया।

मैं केंद्र और राज्य सरकारों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों, हमारे आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और ग्राहकों सहित सभी कर्मचारियों, हितधारकों के हार्दिक प्रयासों और समर्पण की सराहना करता हूं। इस अवसर पर मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे साल हमें सहयोग और मार्गदर्शन दिया। मैं निदेशक मंडल के अपने सभी सहयोगियों को भी उनके निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूं। किसी कंपनी का रूपांतरण एक निरंतर प्रक्रिया है। हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अब भी हमें एक लंबा सफर तय करना है। साथ में, मुझे विश्वास है कि हम लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक ऐसी कंपनी में रूपांतरण को पूरा करेंगे, जो अपने सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण मूल्यों का सृजन करती है।

धन्यवाद सहित,



हस्ता./—

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

2018-19 के प्रमुख घटनाक्रम

19 मई, 2018

एलएमआरसी द्वारा यात्रियों में 'गोस्मार्ट कार्ड' के फायदों पर जागरूकता पैदा करने का विशेष अभियान



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने अपने दैनिक यात्रियों के बीच 'गोस्मार्ट' कार्ड का उपयोग करने के फायदों और लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने मेट्रो स्टेशनों पर एक विशेष अभियान चलाया।



23 मई, 2018

लखनऊ मेट्रो ने मेट्रो स्टेशनों की कलाकृति डिजाइन करने के लिए ऐमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ के छात्रों को सम्मानित किया



श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने ऐमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ के 60 छात्रों को 'प्रशस्ति प्रमाणपत्र' देकर सम्मानित किया, जिन्होंने शानदार कलाकृतियाँ तैयार की थी।



02 जून, 2018

एलएमआरसी द्वारा विश्व पर्यावरण सप्ताह, 2018 में 2 जून से 8 जून तक 'सफाई अभियान' की शुरुआत



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच अपने सभी आठ कार्यरत मेट्रो स्टेशनों और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो के आसपास "स्वच्छता अभियान" शुरू किया।

21 जून, 2018

लखनऊ मेट्रो ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2018 मनाया



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में सुबह अपने प्रबंधन, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा योग का अभ्यास करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2018 मनाया।



28 जुलाई, 2018

लखनऊ मेट्रो द्वारा हुसैनगंज और सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया गया



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने हुसैनगंज और सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के बीच अपलाइन मेट्रो सुरंग के लिए ट्रैक बिछाने का काम पूरा कर लिया है।



30 जुलाई, 2018

मेट्रो स्टेशनों पर ग्राहक सेवाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु एलएमआरसी और बीएसएनएल द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 'गोस्मार्ट' कार्ड यूजर्स को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।



13 अगस्त, 2018

प्रबंध निदेशक, एलएमआरसी द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में सीओईटी लाइब्रेरी का उद्घाटन

श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में सीओईटी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया।



15 अगस्त, 2018



लखनऊ मेट्रो ने 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, प्रबंध निदेशक ने कर्मचारियों को 'महात्मा गांधी' के आदर्शों पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया

श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, एलएमआरसी ने राष्ट्र के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस उत्सव को मनाया।

05 सितम्बर, 2018



माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 'लखनऊ मेट्रो दिवस', 2018 के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन; लखनऊ मेट्रो 'शुभंकर' और 'मोबाइल ऐप' का अनावरण; गुणवत्ता और सेवा में उत्कृष्टता के लिए लखनऊ मेट्रो की प्रशंसा

श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने मेट्रो प्रचालनों का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में 'लखनऊ मेट्रो दिवस', 2018 के अवसर पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर लखनऊ मेट्रो 'मस्कट' और लखनऊ मेट्रो 'मोबाइल ऐप' का भी अनावरण किया।

08 सितम्बर, 2018

लखनऊ मेट्रो को उत्कृष्ट कंक्रीट संरचना के लिए आईसीआई (लखनऊ) – अल्ट्राटेक पुरस्कार, 2018



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट श्रेणी में उत्कृष्ट कंक्रीट संरचना के लिए प्रतिष्ठित भारतीय कंक्रीट संस्थान (ICI) (लखनऊ) – अल्ट्राटेक पुरस्कार, 2018 प्राप्त किया।



29 सितम्बर, 2018



लखनऊ मेट्रो की एक और ऐतिहासिक सफलता; निशातगंज के नजदीक तैयार किया 60 मीटर का विशेष स्टील स्पैन

लखनऊ मेट्रो ने मुख्य लाइन रेलवे प्रचालन ट्रैक पर निशातगंज के पास 60 मीटर स्पेशल स्टील स्पैन के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

22 अक्टूबर, 2018

श्री सिटी से 20वां और अंतिम मेट्रो ट्रेन सेट भेजा गया, प्रबंध निदेशक ने भव्य तरीके से इसे रवाना किया

लखनऊ मेट्रो का 20वां और अंतिम ट्रेन सेट मैसर्स एल्स्टॉम के श्री सिटी स्थित ट्रेन विनिर्माण संयंत्र से लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया है। श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक/एलएमआरसी ने श्री हेनरी पोपार्ट लाफार्ज, सीईओ, अलस्टॉम (फ्रांस) और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में भव्य तरीके से ट्रेन को रवाना किया।



05 नवम्बर, 2018

गोस्मार्ट के माध्यम से गृह/संपत्ति कर भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए एलएमआरसी और लखनऊ नगर निगम द्वारा सहयोग

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) और लखनऊ नगर निगम (LNN) ने मेट्रो स्टेशनों में लखनऊ मेट्रो के 'गोस्मार्ट' कार्ड के माध्यम से गृह/संपत्ति करों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करके हाथ मिलाया।



16 नवम्बर, 2018

इंटीग्रल यूनिवर्सिटी द्वारा श्री कुमार केशव को डी.लिट (डॉक्टर ऑफ लेटर्स) की मानद उपाधि, उनकी एक और उपलब्धि

श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) को उनके पेशेवर करियर में देश में विभिन्न 'मेट्रो' रेल परियोजनाओं और 'रेल' परियोजनाओं के सफल निष्पादन के दौरान प्रदर्शित किए गए असाधारण नेतृत्व गुणों के लिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ द्वारा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार—डॉक्टर ऑफ लेटर्स (मानद) से सम्मानित किया गया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया।



19 दिसम्बर, 2018

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 'निर्भया चेतना सप्ताह' का आयोजन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 'रेड ब्रिगेड' (एक एनजीओ) के साथ मिलकर विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन में महिला सुरक्षा पर जोर देने के लिए 'निर्भया चेतना सप्ताह' का आयोजन किया। इस अवसर पर, निर्भया के माता-पिता ने ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो में नए भर्ती हुए प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, महिला अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने का आह्वान किया।





21 दिसम्बर, 2018

एलएमआरसी द्वारा दिव्यांगों हेतु समावेशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर कार्यशाला का आयोजन; मेट्रो स्टेशनों पर नियुक्त कर्मचारियों और सुरक्षा कार्मिकों को संवेदनशील बनाने का अभियान



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा हैंडीकेयर फाउंडेशन के साथ 'समावेशी सार्वजनिक परिवहन' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लखनऊ मेट्रो के फ्रंटलाइन स्टाफ को दिव्यांग यात्रियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग (CoET) के सभागार में एक विमर्श सत्र आयोजित किया गया।



09 जनवरी, 2019

लखनऊ मेट्रो द्वारा पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज-1ए) के सिग्नलिंग और एकीकृत परीक्षण की शुरुआत



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने मुंशीपुरिया तक शेष खंड में मेट्रो ट्रेन चलाकर सिग्नलिंग और एकीकृत परीक्षणों की सफल शुरुआत की। एकीकृत परीक्षण और परीक्षण सिग्नलिंग, दूरसंचार, ट्रैक और कर्षण सहित इंटरफेस वाली ट्रेनों के सुचारु संचालन के लिए हैं। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिग्नलिंग, ट्रैक और ट्रैकशन का एकीकृत परीक्षण अलग-अलग ऑपरेटिंग परिदृश्य के तहत एलिवेटेड वायडवेट पर और सुरंग के अंदर अलग-अलग गति से किया गया।



10 जनवरी, 2019

एलएमआरसी को कार्यरत मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो डिपो के लिए ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और OHSAS 18001: 2007 प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अपने प्राथमिकता खंड (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक) और मेट्रो डिपो के प्रचालन और रखरखाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (OHSAS) 18001:2007 प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया।

18 फरवरी, 2019

लखनऊ मेट्रो के उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज-1ए) के बैलेंस सेक्शन के सभी 13 मेट्रो स्टेशनों को अग्नि सुरक्षा स्वीकृति

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज 1-ए) के बैलेंस सेक्शन के सभी 13 मेट्रो स्टेशनों के लिए अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुरिया तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने से पहले लखनऊ मेट्रो को उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा से अग्नि सुरक्षा मंजूरी मिल गई है।

23 फरवरी, 2019

संपूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के तीन दिवसीय निरीक्षण के बाद सीएमआरएस द्वारा लखनऊ मेट्रो को प्रमाणन

श्री एके जैन, कमिश्नर मेट्रो रेलवे सुरक्षा (CMRS) ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) को सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुरिया तक पूरे कॉरिडोर पर यात्रियों हेतु मेट्रो सेवाओं का राजस्व/वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।

05 मार्च, 2019

एलएमआरसी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, 2019 का आयोजन; एलएमआरसी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सुरक्षा को 'पहली प्राथमिकता' के तौर पर अपनाने की शपथ ली

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने 4 मार्च, 2019 से 10 मार्च, 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, 2019 का आयोजन किया। इस संबंध में, सभी एलएमआरसी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर यानी परियोजना स्थल पर और प्रचालनों के दौरान सुरक्षा उपायों और प्रथाओं को अपनाने और उनका पालन करने के लिए प्रशासनिक कार्यालय (गोमती नगर) और मेट्रो डिपो में एक 'सुरक्षा प्रतिज्ञा' में भाग लिया।



08 मार्च, 2019

एलएमआरसी द्वारा सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक संपूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज-1ए) पर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ की जनता के लिए चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक संपूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज 1 ए) पर मेट्रो सेवा शुरू की। श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री, भारत ने 8 मार्च, 2019 को कानपुर से इस परियोजना का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री समेत श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामले; श्री राम नाईक, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश; श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, मंत्री, महिला कल्याण, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार; श्री बृजेश पाठक, कानून और न्याय मंत्री, उ.प्र. सरकार; श्री आशुतोष टंडन, तकनीकी शिक्षा मंत्री, उ.प्र. सरकार; श्री सुरेश पासी, आवास, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री, उ.प्र. सरकार; और श्री कौशल किशोर, सांसद, मोहनलालगंज (लखनऊ), उ.प्र. की गरिमामय उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो ट्रेन को रवाना किया गया।



निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव होता है।

1. वित्तीय परिणाम और कार्यप्रदर्शन

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति

(लाख रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2018–2019	वित्त वर्ष 2017–2018
कुल आय	10890.14	7487.35
घटाएं: प्रचालन व्यय	2818.53	1616.72
घटाएं: मूल्यह्रास	8582.34	4430.84
घटाएं: वित्तीय व्यय	211.46	82.64
घटाएं: अपवाद स्वरूप मदें	344.82	(216.54)
कर से पूर्व लाभ (हानि)	(7211.16)	(2677.07)
जोड़ें / (घटाएं): कर व्यय	-	355.33
कर के पश्चात शुद्ध लाभ (हानि)	(7211.16)	(2538.28)
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	-	-
तुलन पत्र में अग्रणीत किया गया लाभ	-	-

सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण

बोर्ड ने सामान्य आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित करने की सिफारिश नहीं की है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिए लाभांश

समीक्षाधीन वर्ष यानी 2018–2019 के दौरान कंपनी को नुकसान हुआ है, इसलिए निदेशक मंडल ने कंपनी के इक्विटी शेयरों पर कोई लाभांश घोषित करने की सिफारिश नहीं की है।

2. लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की स्थिति

कंपनी लखनऊ में एक इंटीग्रेटेड रैपिड मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (GoI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) का एक संयुक्त उपक्रम है। यह भारत सरकार (GoI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) के 50:50 के संयुक्त स्वामित्व का विशेष प्रयोजन वाहक (SPV) है और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च, 2019 को श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार; श्री राम नाइक, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश; श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश और इनके अलावा अन्य माननीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपूर्ण उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर वाणिज्यिक प्रचालन का शुभारंभ किया। इसके अलावा, माननीय प्रधानमंत्री ने आगरा में एकीकृत रैपिड मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में मेट्रो रेल परियोजना का भी शिलान्यास किया।



उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का उद्घाटन समारोह

चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक 21 स्टेशनों (4 भूमिगत और 17 एलिवेटेड) सहित पूरा उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज 1ए) निर्धारित समय से पहले 9 मार्च 2019 से आम जनता के लिए पूरी तरह से चालू हो गया है। सभी 4 भूमिगत और 17 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है। मेट्रो यात्रियों ने पूरे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में मेट्रो सेवाओं के शुरू होने पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है और गुणवत्ता, समयबद्धता और विभिन्न भूमिगत स्टेशनों पर लखनऊ की संस्कृति को चित्रित करने वाली कलाकृतियों और डिजाइन के लिए इस सेवा की काफी सराहना की जा रही है। नतीजतन, फेज-1ए में औसत दैनिक यात्री संख्या में काफी वृद्धि दिखाई दी है।

लखनऊ मेट्रो देश की पहली मेट्रो है, जिसने रेडियो सिटी 91.1 एफएम के साथ समझौता किया है और खुद के एफएम रेडियो की शुरुआत की है। अब यह लखनऊ मेट्रो के यात्रियों के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर विशेष सामग्री, सार्वजनिक घोषणाएं, जिंगल और मधुर संगीत की सुविधा प्रदान कर रहा है। सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान और मेट्रो यात्रियों तक इसका लाभ विस्तारित करने के लिए, लखनऊ मेट्रो ने अपने सभी प्रचालित मेट्रो स्टेशनों पर अपने 'गो स्मार्ट' कार्ड उपयोगकर्ताओं को मुफ्त वाई-फाई सुविधा प्रदान करना शुरू किया है। आपकी कंपनी ने अपनी स्टेशन सुविधाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।

3. रोलिंग स्टॉक

31 मार्च 2019 को, कंपनी के पास कुल 80 कोच हैं जिनकी अधिकतम गति क्षमता 90 किमी/घंटा है और निर्धारित गति 32-35 किमी./घंटा है, जिसमें प्रति स्टेशन रुकने/ठहराव के लिए 30 सेकंड और 100 सेकंड का डिजाइन हेडवे शामिल है।

एलएमआरसी की ट्रेनें यात्री गुणवत्ता, कम शोर स्तर और पर्यावरण अनुकूलता के संबंध में ऊर्जा सक्षम, विश्वसनीय और यात्रियों के लिए सुविधाजनक हैं। स्टेनलेस स्टील से बनी कोचों की बॉडी हल्के वजन की है। अधिक ऊर्जा सक्षम ट्रेनों की रिजनेरेटिव ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के दौरान ओवरहेड विद्युत ऊर्जा प्रणाली को ऊर्जा वापस करती है। ट्रेन की सभी प्रणालियों की निगरानी और चुनिंदा तौर पर नियंत्रण एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS) द्वारा किया जाता है।



डिपो में रोलिंग स्टॉक

मेट्रो ट्रेनों में महत्वपूर्ण उप-प्रणाली की निरंतर निगरानी के लिए ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP), ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेशन (ATO), ट्रेन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (TIMS)/ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS), सेकेंडरी एयर सस्पेंशन और



माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल रीजनेरेटिव ब्रेकिंग, जो ब्रेकिंग के दौरान बिजली को प्रणाली में वापस पंप करता है, जैसी उन्नत सुविधाओं वाली तीव्रता से गतिवर्धन/कम करने की और अधिकतम ऊर्जा दक्षता है। फ्रिक्शन ब्रेकिंग जिसमें न केवल अधिक ऊर्जा लगती है बल्कि पहियों की जिंदगी भी घटती है, पर कम से कम निर्भरता, विनिर्देश बनाते समय एक फोकस क्षेत्र रहा है। अत्याधुनिक हल्के, स्टेनलेस स्टील, पूरी तरह से वेस्टिब्यूल वातानुकूलित कोच, यात्रियों के लिए प्लेटफार्म की आगमन पूर्व सूचना के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्री घोषणा और सूचना प्रदर्शन प्रणाली, आपात स्थिति में यात्री अलार्म और संचार प्रणाली, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (CCTV) निगरानी और इलेक्ट्रिक दरवाजे खुलने और बंद होने की स्वचालित प्रक्रिया से लैस हैं। इसके अलावा, फेज III के रोलिंग स्टॉक में सटीक ऊर्जा माप सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन कंट्रोल सिस्टम प्रस्तावित किया गया है, ताकि कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए डेटा का उपयोग किया जा सके।

4. सिग्नलिंग और ट्रेन नियंत्रण

निरंतर ऑटोमैटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (CATS) के साथ "कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल" (CBTC) पर आधारित अत्याधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। कोडेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रेक सर्किट, ऑटोमैटिक ट्रेन ऑपरेटिंग सिस्टम (ATO), ऑटोमैटिक रूट सेटिंग और ऑटोमैटिक ट्रेन रेगुलेशन सहित ऑटोमैटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम (ATS) के माध्यम से ट्रेक से ट्रेन संचार सहित कैंब सिग्नलिंग के साथ ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) लखनऊ एमआरटीएस के ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम की मुख्य खासियत हैं।



सिग्नलिंग एंड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम

सीसीटीवी प्रणाली दुनिया की नवीनतम तकनीक पर आधारित है। इसमें हाई-एंड रिजॉल्यूशन कैमरा, आईपी आधारित और इंफ्रा-रेड सक्षम कैमरे शामिल हैं। यह सूदूर स्थान से भी कैमरा एक्सेस करने में मदद करता है। सीसीटीवी रात में भी निगरानी करने में सक्षम हैं। सिंगल प्वाइंट पर सभी कैमरों की निगरानी के लिए डीसीसी बिल्डिंग में एक बड़ी वीडियो वॉल स्थापित की गई है।

यात्रियों की मदद के लिए प्लेटफॉर्म के बीच में एक हेल्प फोन लगाया गया है। यदि कोई भी यात्री हेल्प फोन उठाता है, तो स्टेशन कंट्रोलर की सीसीटीवी स्क्रीन में एक सीसीटीवी पॉपअप दिखाई देगा और कंट्रोलर उस यात्री से बात करने के साथ – साथ उसे देख भी सकेगा।

बिजली आपूर्ति बंद होने की स्थिति में, एलएमआरसी ने न्यूनतम दो घंटे के बैकअप सहित एक अलग यूपीएस (अबाधित विद्युत आपूर्ति) स्थापित किया है। यह यूपीएस बिजली आपूर्ति बंद होने की स्थिति में दो घंटे तक सिग्नल प्रणाली, टेलीकॉम सब सिस्टम और ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम को विनियमित बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा। अतिरिक्त व्यवस्था के लिए अलग बैटरी बैंक स्थापित किए गए हैं।

5. ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम

ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (AFC) के एक अभिनव कार्यान्वयन मॉडल को अपनाया गया है। एचडीएफसी बैंक ने ईवीएम मानकों के सह-ब्रांडेड स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं, जिनका उपयोग लखनऊ मेट्रो के टिकट और अन्य प्वाइंट ऑफ सेल्स (PoS) पर एसॉर्टेड वैल्यू कार्ड के रूप में किया जा सकता है। सीसीएस हवाई अड्डे से मुंशीपुरिया तक सभी स्टेशनों पर साइट और क्लाइड दोनों पर एएफसी उपकरण स्थापित और चालू किए गए हैं।

6. प्रचालन और ग्राहक सुविधाओं में वृद्धि

कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों के यात्रा अनुभव को आनंददायक बनाना है। इस हेतु, वर्ष के दौरान निम्न पहल की गई हैं:

- आधुनिक प्रवेश / निकास द्वार, आंतरिक और बाहरी पेंटिंग, अभियान के आयोजन हेतु स्थान प्रदान करने के लिए इवेंट कॉर्नरों का निर्माण, पार्किंग क्षेत्र का विकास, आदि
- ग्राहक सुविधाओं / उपकरणों में वृद्धि जैसे ऑटोमैटिक, फेयर कलेक्शन गेट्स, टोकन वेंडिंग मशीनें, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलर, आदि
- कंपनी के विभिन्न स्टेशनों पर हाई स्पीड फ्री वाई-फाई सुविधा की शुरुआत
- यात्रा को आसान बनाने के लिए गूगल मैप्स के साथ सहयोग
- स्मार्ट कार्ड यूजर्स के लिए रियायती किराए की शुरुआत
- स्टेशन के परिवेश में सुधार
- महिलाओं, बच्चों और विशेष रूप से दिव्यांग यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए एक समर्पित हेल्प लाइन की स्थापना
- कंपनी द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरणों, विभिन्न अन्य सरकारी प्राधिकरणों और निजी परिवहन एजेंसियों से मेट्रो स्टेशनों से और तक, पहली और लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक फीडर सेवा प्रदान करने के लिए सहयोग
- उपरोक्त के अलावा, कंपनी द्वारा विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर फीडर सेवा के रूप में कैब सेवाएं प्रदान करने के लिए ऊबर के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन
- कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयासों को सहयोग देते हुए, कंपनी ने कैशलेस लेनदेन और स्मार्ट कार्ड में अपने प्रयास जारी रखे। कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्न पहल की हैं:
 - यात्रियों द्वारा अपने मेट्रो कार्ड को वेबसाइट और एलएमआरसी ऐप से सीधे रिचार्ज करने के लिए डिजिटल भुगतान विकल्पों को व्यापक बनाना
 - मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित टोकन वेंडिंग मशीनों (TVMs) में क्रेडिट / डेबिट कार्ड का उपयोग करके कैशलेस टोकन बिक्री / स्मार्ट कार्ड रिचार्ज सुविधा का कार्यान्वयन
 - मेट्रो स्टेशनों के टोकन काउंटरों और ग्राहक सेवा केंद्रों पर प्रदर्शित भारत क्विक रिस्पांस (QR) कोड के इस्तेमाल से कैशलेस टोकन बिक्री / स्मार्ट कार्ड रिचार्ज सुविधा शुरू करना।
 - कॉमन मोबिलिटी कार्ड चालू करने के लिए कंपनी ने गो स्मार्ट कार्ड से विभिन्न करों के भुगतान के लिए लखनऊ नगर निगम के साथ करार किया है। इसके अलावा, लखनऊ मेट्रो और बीएसएनएल ने भी गो स्मार्ट कार्ड की मदद से विभिन्न बीएसएनएल सेवाओं के भुगतान का अतिरिक्त माध्यम बनाने के लिए सहयोग किया है।
 - लखनऊ मेट्रो ने डेबिट / क्रेडिट कार्ड सुविधा से अरक्षित पॉइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनलों की शुरुआत की है। अरक्षित पीओएस टर्मिनल पर संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन अत्याधुनिक टीवीएम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।



टिकट काउंटरों पर विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए सुविधा



स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कंपनी ने लखनऊ मेट्रो के सभी यात्रियों को कंपनी के सभी स्टेशनों पर मुफ्त में टॉयलेट ब्लॉक प्रदान किए हैं। आसपास में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए; ट्रेनों के अगली यात्रा शुरू करने से पहले टर्मिनल स्टेशनों पर कोचों की सफाई की जाती है। सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशनों पर नुककड़ नाटक (स्ट्रीट प्ले) का मंचन किया गया।

7. वैकल्पिक राजस्व हेतु पहल

अपने आधार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी वैकल्पिक आय के लिए अप्रत्यक्ष लाभार्थियों और अन्य स्रोतों का संतुलन बनाने के तरीके खोज रही है। नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू के आयामों की पहचान और तलाश की गई है, जिनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

- विज्ञापन
- वाणिज्यिक विकास कार्य और स्थान किराए पर देना
- संपत्ति का विकास
- ऑप्टिक फाइबर केबल्स की लीजिंग
- टावर स्पेस लीज पर देना
- पार्किंग

कंपनी विज्ञापन, वाणिज्यिक विकास और किराए, पार्किंग और टावर स्पेस की लीजिंग से राजस्व अर्जित कर रही है।

8. उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का निष्पादन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 फरवरी 2019 को अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्रमशः दो कॉरिडोरों वाली कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को को मंजूरी दी है जो दोनों शहरों के प्रमुख सार्वजनिक नोड और शहरी क्लस्टर क्षेत्रों को जोड़ेंगी। कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मौजूदा 50:50 संयुक्त स्वामित्व वाली कंपनी लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC), जिसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPMRC) के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है, द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजनाओं की पूर्णता अवधि अनुमोदन की तारीख से 05 वर्ष है।

आगरा मेट्रो परियोजना में सभी प्रमुख बिंदुओं से जुड़ने वाले दो कॉरिडोर होंगे। सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट के बीच 14 किमी के कॉरिडोर में 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत, 13 स्टेशन होंगे, जबकि 15.40 किमी के आगरा कैंट से कालिंदी विहार कॉरिडोर में 14 स्टेशन, सभी एलिवेटेड होंगे, जिनकी अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपये होगी। आगरा में कॉरिडोर-1 के अंतर्गत, 03 एलिवेटेड और 03 भूमिगत स्टेशनों के ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक लगभग 6 किमी लंबे प्रयोरिटी कॉरिडोर को चुना गया है।

कानपुर मेट्रो में भी दो कॉरिडोर शामिल होंगे; आईआईटी से नौबस्ता कॉरिडोर (23.785 किमी) आंशिक रूप से एलिवेटेड और आंशिक रूप से भूमिगत है और इसमें 22 स्टेशन हैं और कृषि विश्वविद्यालय से बर्सा-8 कॉरिडोर (8.60 किमी) में 4 एलिवेटेड और 4 भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 11,076.48 करोड़ रुपये है और इन दोनों परियोजनाओं के 5 साल में पूर्ण होने का अनुमान है। कानपुर में कॉरिडोर-1 के अंतर्गत, 09 एलिवेटेड स्टेशनों के आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किमी लंबे प्रयोरिटी कॉरिडोर को चुना गया है।

प्रणाली अनुबंधों जैसे ट्रैक, ट्रैकशन, टेलीकॉम, रोलिंग स्टॉक और सिग्नलिंग आदि के लिए निविदाएं बाहरी फंडिंग संस्था / बैंकों से धन प्राप्त करने के बाद आमंत्रित की जा सकती हैं। फंडिंग एजेंसी से संबंधित प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित कर दिया गया है।

9. कार्यशाला सह रखरखाव डिपो

कंपनी का उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर (फेज 1ए) का कार्यशाला सह रखरखाव डिपो 32वीं बटालियन, पी.ए.सी. कैम्पस, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में लगभग 52 एकड़ भूमि में निर्मित किया गया है। डिपो में कार्यशाला सह निरीक्षण बे लाइनों, स्टेबलिंग यार्डों, ओटोमेटिक ट्रेन वॉश प्लांट, डिपो कंट्रोल सेंटर, रिसीविंग सब स्टेशन (RSS), प्रशिक्षण केंद्र (उत्कृष्टता के लिए केंद्र) तथा अन्य सुविधाओं में विश्वस्तरीय आधुनिकतम सुविधाएं हैं। यह डिपो एलएमआरसी का प्रमुख डिपो और उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला डिपो बनने जा रहा है।



ग्रीन डिपो के अंदर स्टेबलिंग यार्ड में मेट्रो ट्रेन

10. ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो पर उत्कृष्टता के लिए केंद्र (COET)



मेट्रो डिपो

एलएमआरसी का उत्कृष्टता के लिए केंद्र (COET) कार्यरत हो गया है। यह भवन ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो डिपो के परिसर के अंदर निर्मित किया गया है और एलएमआरसी के नए रिक्रूटों को प्रशिक्षण देने के लिए आधुनिकतम मेट्रो प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त है। इस केंद्र में उत्तर प्रदेश में आगामी सभी मेट्रो परियोजनाओं की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतें पूरी करने की क्षमता है। मुख्य सुविधाओं में सीबीटी क्लासरूम, डेस्कटॉप सिम्युलेटर्स, मोशन सिम्युलेटर्स और आधुनिकतम लाइब्रेरी शामिल हैं। सीओईटी में 300 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम सात आधुनिकतम कक्ष हैं। सीओईटी के साथ-साथ 300 से अधिक व्यक्तियों को भोजन कराने की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैटीन भी है।

इसने कर्मचारियों की स्टाफ क्षमताओं और सक्षमता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए व्यवहार कुशलता में सुधार करने के लिए सीओईटी संवाद और व्यवहार कुशलता पर ऐमिटी बिजनेस स्कूल, लखनऊ; रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिस यूएस एम्बेसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित फ्रीलांस प्रशिक्षकों से नियमित पाठ्यक्रम संचालित करता है। यह राज्य के अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे कानपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, इलाहाबाद और गोरखपुर में सभी मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक रोल मॉडल होगा।

11. सुरक्षा

मेट्रो स्टेशनों की 24 घंटे निगरानी के लिए उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी, डिटेक्टर, स्कैनर, मेटल डिटेक्टर आदि लगाए गए हैं। प्राथमिकता खंड के सभी मेट्रो स्टेशन



एलएमआरसी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा शपथ



भूकंपरोधी हैं और इन्हें भूकंपीय बल को सहन करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है।

कंपनी के सभी 21 मेट्रो स्टेशनों और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लखनऊ डिपो को ISO 14001 और OHSAS 18001 के अनुसार प्रमाणित किया गया है।

एलएमआरसी अधिकतम सुरक्षा और सुरक्षा मानदंडों के साथ पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों, यात्रियों, आम जनता और अपने साथ कार्यरत ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए विभिन्न सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। परियोजना सुरक्षा प्रशिक्षण सभी ठेकेदारों के श्रमिकों और साइट कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। प्रमुख ट्रेडों जैसे लिफ्टिंग इंजीनियर्स, स्कैफोल्डर्स, ड्राइवरों और ऑपरेटरों, पिक एंड कैरी क्रैन ऑपरेटरों इत्यादि के लिए सक्षमता निर्धारण आधारित प्रशिक्षण संचालित किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह

लखनऊ मेट्रो अपने कर्मचारियों, यात्रियों, आम जनता और अपने साथ कार्य करने वाले ठेका कर्मचारियों के लिए विभिन्न सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित करता है। 4 से 10 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, सुरक्षा नारा प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों और अन्य सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों में भाग लिया। हमारे विभिन्न निर्माण साइटों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए गए, जिनमें पर्याप्त संख्या में ठेके (कोन्ट्रैक्ट) पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ श्रमिकों ने भी भाग लिया।

यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि सभी साइट स्टाफ और ठेका श्रमिकों को साइट पर सुरक्षित कार्य माहौल बनाने के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य पर्यावरण (SHE) पर न्यूनतम घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो। महत्वपूर्ण कार्यों और निर्माण संयंत्र और मशीनरी के दुर्घटना रहित संचालन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिफ्टिंग इंजीनियर, स्कैफोल्डर्स, वाहन चालक और संयंत्र संचालक आदि जैसे प्रमुख ट्रेडों पर योग्यता मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण भी संचालित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह (5 जून, 2018):

लखनऊ मेट्रो ने अपनी स्थापना के समय से ही जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण तरीके से विराम देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- मेट्रो प्रणाली में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक रोलिंग स्टॉक की स्थापना
- मेट्रो लखनऊ, भारत (मॉडल शिफ्ट)
- एमआरटीएस का गतिविधि कार्यक्रम (PoA)
- सौर पीवी परियोजना
- उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में एमआरटीएस में ऊर्जा दक्षता के उपाय

कंपनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जिसके तहत विभिन्न मेट्रो स्टेशनों, डिपो में लगभग 1000 पौधे लगाए और यात्रियों को वितरित किए गए। एलएमआरसी कर्मचारियों को, कार्यक्रम निदेशक, पर्यावरण शिक्षा केंद्र द्वारा पर्यावरण जागरूकता प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पर्यावरण मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एलएमआरसी कर्मचारियों के बीच प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, पर्यावरण के संरक्षण में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नारा और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता को पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

12. लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पुरस्कार और सम्मान

- ब्रिटिश सेपटी काउंसिल ने लखनऊ मेट्रो को पूरे 23 किमी लंबे उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (फेज 1ए) के निर्माण के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए प्रोजेक्ट/ इन्फ्रास्ट्रक्चर की

श्रेणी में “अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, 2019” प्रदान किया।

- भारत में ‘हरित’ प्रणाली के रूप में रेटिंग देने और प्रमाणित करने वाले एक शीर्ष निकाय – इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) – की ओर से एलएमआरसी को प्लेटिनम प्रमाणपत्र देते हुए ‘ग्रीन मेट्रो रेल प्रणाली’ प्रमाणित किया गया है, जिसमें सीसीएस एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया तक ‘उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर’ पर सभी मेट्रो स्टेशनों को प्लैटिनम प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड के सभी 8 स्टेशनों को पहले ही 2017 में ‘प्लैटिनम प्रमाणपत्र’ से सम्मानित किया जा चुका था।



प्लैटिनम प्रमाणपत्र के साथ एलएमआरसी कर्मचारी

- 10 जनवरी, 2019 को एलएमआरसी को इसके प्राथमिकता कॉरिडोर (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक) और मेट्रो डिपो के संचालन और रखरखाव के लिए संगठन की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) 9001:2015 प्रमाणपत्र, संगठन की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 14001:2015 प्रमाणपत्र और व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा श्रृंखला के लिए (OHSAS) 18001:2007 प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।
- इंटरनेशनल रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स (RoSPA) ने वर्ष 2018 के लिए प्रोजेक्ट/ इन्फ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में लखनऊ मेट्रो को इसके फेज 1ए (उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर) के लिए रजत पुरस्कार दिया है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो, अपने कर्मचारियों/ग्राहकों/असीलों/परियोजना के निष्पादन के दौरान काम करने वाले ठेकेदारों की मदद करने में अपनी सुरक्षित कार्यप्रणाली और उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की सबसे पहली मेट्रो परियोजना बन गई है।



आरओएसपीए पुरस्कार

13. शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी के तौर पर 418.35 करोड़ रुपये प्राप्त किए। 31 मार्च 2019 को कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 2000 करोड़ रुपये है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार, 3502 करोड़ रुपये विदेशी वित्तपोषण एजेंसी के माध्यम से जुटाए जाने हैं। ईआईबी (यूरोपीय निवेश बैंक) 450 मिलियन यूरो का वित्तपोषण करने की सहमति दी है। 200 मिलियन यूरो के ट्रेन्च ए के लिए वित्तीय अनुबंध पर 30.03.2016 को और 250 मिलियन यूरो के ट्रेन्च बी के लिए वित्तीय अनुबंध पर 31 मार्च 2017 को हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 तक एलएमआरसी को 3502 करोड़ रुपये का संवितरण किया है।

14. मानव संसाधन प्रबंधन

एलएमआरसीएल प्रबंधन हमेशा यह महसूस करता है कि प्रेरित, तृप्त और संतुष्ट कार्यबल संगठनात्मक उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति की कुंजी है। इस उद्देश्य पर ध्यान देते हुए, कंपनी मानव संसाधन विकास और इसकी क्षमताओं की



प्राप्ति को अत्यधिक महत्व देती है। वर्ष के दौरान नियोक्ता-कर्मचारी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और एलएमआरसीएल लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रहा। कंपनी की रोजगार पद्धतियां प्रतिभा को आकर्षित और कायम रखने के अनुकूल हैं।

भर्ती प्रक्रिया 2016 से पूरी तरह से ऑनलाइन है। 31 मार्च 2019 तक, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 753 (परियोजना में 156 एवं परिचालन और रखरखाव में 597) थी। कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए, कंपनी प्रशिक्षण प्रदान करती है, कार्यशालाओं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, भ्रमण, योग और मध्यस्थता पाठ्यक्रमों आदि का संचालन करती है।

भर्ती में आरक्षण दिशानिर्देशों का पालन :

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भर्ती दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जा रहा है। कंपनी के अ.जा./अ.ज.जा. और पीडब्ल्यूडी डब्ल्यूडी (दिव्यांग) कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरक्षण कक्ष में शिकायत रजिस्टर का रखरखाव विधिवत किया जा रहा है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम :

लखनऊ मेट्रो अपनी महिला कर्मचारियों को एक सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, नई भर्तियों के मध्य उचित व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समावेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में लिंग संवेदीकरण पर एक व्याख्यान शामिल किया गया है। एग्जिक्यूटिव और गैर-एग्जिक्यूटिव महिला कर्मचारियों के लिए, कानून और महिला कल्याण के क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव वाले बाहरी सदस्य सहित शिकायत समितियां कार्यरत हैं।

कंपनी की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी एक नीति है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की देखरेख करने और यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित कार्य माहौल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना:

सुश्री पुष्पा बेलानी	—	पीठासीन अधिकारी
सुश्री दीप्ति अग्रवाल	—	बाहरी सदस्य (कार्यरत कम्पनी सचिव)
श्री एस.ए. रजा	—	सदस्य
श्री ब्रजेश कुमार चतुर्वेदी	—	सदस्य

15. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एलएमआरसी सीएसआर नीति का लक्ष्य जैव विविधता, ऊर्जा और जल संरक्षण सहित शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य और कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता पर अपने फोकस के माध्यम से समुदाय की देखभाल करना है। इस उद्देश्य में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के अवसर प्रदान करते हुए समाज के वंचित वर्ग को सहयोग करना भी निहित है। शुरु की गई परियोजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के व्यापक ढांचे के भीतर होंगी।

निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) समिति में श्री नितिन रमेश गोकर्ण, प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग; श्री अजय कांत रस्तोगी, निदेशक (वित्त), श्री महेंद्र कुमार (निदेशक, आरएस एंड एस) शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घाटे के कारण कंपनी पर कोई सीएसआर देयता नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने चालू वर्ष में कोई सीएसआर व्यय नहीं किया है।

16. प्रशिक्षण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओ एंड एम) कर्मचारियों को उनके पद, समूह और विभाग के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए गए। प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न प्रबंधन विकास कार्यक्रम और सिग्नलिंग, ट्रेन

कंट्रोल सिस्टम, फेयर कलेक्शन सिस्टम और ओएंडएम स्टाफ के लिए बैलास्ट रहित ट्रैक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है। प्रशिक्षण संस्थान निर्माण, प्रचालन, रखरखाव और ग्राहक सेवा के क्षेत्र में अपने तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता रहता है।

17. सूचना का अधिकार

कम्पनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया है। वर्ष के दौरान कुल 106 आरटीआई आवेदनों और अपीलों को समय पर प्रोसेस किया गया।

18. सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख होता है, जो लखनऊ मेट्रो के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। सतर्कता इकाई कंपनी के कारोबार और कार्यव्यवहार के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों, आंतरिक दिशानिर्देशों का पालन करती है। रोकथाम संबंधी जांचों का मुख्य उद्देश्य है कि दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा रोकथाम बेहतर है। जांचों के परिणाम खामियों को दूर करने के लिए प्रणाली सुधार परिपत्रों में शामिल किए जाते हैं।

19. जनता से जमाराशि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(31), 73 और 74 के अंतर्गत न तो जनता से कोई जमाराशियां आमंत्रित की हैं और न ही जनता से कोई जमाराशियां स्वीकार की हैं।

20. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 197(12) के अंतर्गत आवश्यक पारिश्रमिक और अन्य विवरण से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

21. निदेशक मंडल

31 मार्च 2019 को, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं, जिनमें से 5 निदेशक भारत सरकार के नामिती, 4 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती और 4 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार इसके अध्यक्ष हैं जबकि प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती हैं। निदेशक मंडल पर एक विस्तृत नोट 'निगमित अभिशासन रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत दिया गया है।

22. बोर्ड की बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठकें 4 बार अर्थात् 6 जून 2018, 23 जुलाई 2018, 28 नवंबर 2018 और 27 मार्च 2019 को आयोजित की गईं।

बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने आपकी कंपनी के प्रचालन के आकार और प्रकृति और कानूनी प्रावधानों के अनुसार समितियां गठित की हैं। ये हैं लेखापरीक्षा समिति और निवेश समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक उप-समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन समितियों की बैठकें आपकी कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर की जाती हैं। बोर्ड की समितियों का विवरण 'कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत दिया गया है।



23. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुपालन में, निदेशक बताते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करने में, सामग्री निकासियों के लिए उचित स्पष्टीकरण सहित लागू भारतीय लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय और अनुमान किए, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि की एक सत्य और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत कर सकें;
- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धोखेबाजी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख की;
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे चलायमान प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का प्रयोग किया और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त हैं और प्रभावी तौर पर कार्य कर रही हैं।

24. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, क्योंकि संयुक्त उपक्रम कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से छूट प्राप्त है।

25. वार्षिक रिटर्न का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सारांश कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका लिंक है:

<http://mrci.com/resource/downloads/>

26. ऋणों, गारंटियों और निवेशों का विवरण

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- किसी व्यक्ति या किसी अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को किसी ऋण के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है; और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत यथा निर्धारित, किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों का सब्सक्रिप्शन, खरीद के माध्यम से या अन्यथा अधिग्रहण नहीं किया है।

27. संबंधित पक्ष लेनदेन

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों से कोई अनुबंध या व्यवस्था की है।

28. तथ्यगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच ऐसे कोई तथ्यगत परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हों।

क) अपशिष्ट प्रबंधन:

एलएमआरसी आज के अपशिष्ट को कल का कच्चा माल मानता है। इसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करना और अपशिष्ट का पुनःचक्रण करना है। अपशिष्ट की पहचान और उसके पुनःचक्रण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

- क. साइटों पर अपशिष्ट का 100% पृथक्करण सुनिश्चित किया जाता है।
- ख. स्रोत पर ही अपशिष्ट उत्पादन को कम करने पर प्रशिक्षण और जागरूकता।

ख) जल प्रबंधन:

लखनऊ मेट्रो निर्माण और प्रचालन एवं रखरखाव गतिविधियों में जल संरक्षण के बारे में बहुत अधिक सजग है। जल की खपत कम करने के लिए समेकित प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में की गई पहल निम्नलिखित हैं:

- क. स्टेशनों, डिपो, आवासीय कॉलोनियों, वायडक्टों इत्यादि पर वर्षा जल संचयन ढांचे स्थापित किए गए हैं।
- ख. अपशिष्ट उपचार संयंत्र/सीवेज उपचार संयंत्र से उपचारित जल का पुनः प्रयोग
- ग. सीवेज वाटर और रिवर्स ऑस्मोसिस रिजेक्ट पाइप को पुनः बिछाना और निम्न प्रवाह प्लम्बिंग का प्रयोग
- घ. सक्षम दोहरे फ्लश शौचालयों और शौचालय हेतु न्यूनतर क्षमता फ्लशिंग टैंक का प्रयोग, जलरहित मूत्रालयों को प्रोत्साहन
- छ. स्टेशन सफाई के लिए धुलाई की बजाय पोछा लगाने को प्रोत्साहन

ग) ऊर्जा का संरक्षण:

लखनऊ मेट्रो ने ट्रेनों में रीजनेरेटिव ब्रेकिंग के प्रयोग के परिणामस्वरूप ट्रेकशन ऊर्जा में 30 से 35 प्रतिशत बचत होने से ग्रीन हाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन में कमी, सभी लिफ्टों और एस्केलेटर्स के लिए वेरिबल वोल्टेज वेरिबल फ्रीक्वेंसी (VVVF) ड्राइव का प्रयोग, स्टेशनों पर एलईडी लाइटों का प्रयोग, भूमिगत खंड के लिए पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली (ECS) और टनल वेंटिलेशन प्रणाली (TVS) के लिए ऊर्जा सक्षम उपकरणों का प्रयोग इत्यादि जैसे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए हैं।

वर्तमान में, लखनऊ मेट्रो द्वारा रेस्को मॉडल के अंतर्गत ट्रेन स्टेबलिंग शेड और निरीक्षण लाइन शेडों में स्थापित 1 मेगावाट क्षमता के रूफ माउंटेड फोटोवोल्टेक सेलों को चालू किया गया है। इन सभी अभिनव उपायों के चलते, परियोजना की 19.46% की आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (EIRR) सहित, संस्था 5 वर्षों में परियोजना की पूरी निवेश लागत वसूल करने में सक्षम होगी।

घ) विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्वाह

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं हुई। बहिर्वाह का विवरण निम्न प्रकार है:

राशि लाख रुपये में

क्र.सं.	विवरण	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18
1	व्यावसायिक और परामर्शदाता शुल्क	2157.48	3468
2	टूर्स और ट्रेवल्स	28.26	15
3	अनुबंध	22191.76	22190



29. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त किए गए निदेशक:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख	पदनाम
1	श्री सुशील कुमार	08271108	24.10.2018	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)
2	श्री संजय मिश्रा	08102041	02.04.2018	पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
3	श्री राजेश कुमार सिंह	06459343	23.07.2018	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार
4	श्री अजय कुमार शुक्ला	08150406	23.05.2018	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार
5	श्री के संजय मूर्ति	03532374	10.10.2018	नामित निदेशक, भारत सरकार
6	श्री प्रदीप मधुमंगल सिकदर	08178025	23.07.2018	नामित निदेशक, भारत सरकार

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पदत्याग करने वाले निदेशक:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदत्याग की तारीख	पदनाम
1	डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय	00267876	01.07.2018	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार
2	श्री मनोज कुमार	00415180	10.10.2018	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार
3	श्री अजय कुमार शुक्ला	08150406	30.03.2019	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार

30. निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्न प्रकार हैं:

- श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
- श्री महेन्द्र कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स)
- श्री अजय कांत रस्तोगी, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
- श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (कार्य एवं अवसंरचना)
- श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन)
- श्रीमती पुष्पा बेलानी, कम्पनी सचिव

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक तथा अन्य विवरण वार्षिक रिटर्न के सारांश में वर्णित किया गया है।

31. महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश

ऐसे कोई महत्वपूर्ण और तथ्यगत आदेश विनियामकों या किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पारित नहीं किए गए जिससे कंपनी की चलायमान प्रतिष्ठान स्थिति और इसके परिचालन प्रभावित होते हों।

32. जोखिम प्रबंधन नीति:

आपकी कंपनी संभावित जोखिमों के घटित होने से पहले पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाई जा सके और परियोजना के दौरान आवश्यक होने पर और बड़ी उपलब्धियों की प्राप्ति करने में प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों को चिह्नित किया है:

1. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी मौजूदा और भविष्य के भौतिक जोखिमों को चिह्नित, निर्धारित, मात्राबद्ध, उचित रूप से कम, समय पर कम और प्रबंधन किया गया है
2. यह सुनिश्चित करना कि उच्च प्राथमिकता जोखिमों का आक्रामक रूप से प्रबंधन और समापन किया जाता है;
3. यह सुनिश्चित करना कि पूरी परियोजना में सभी जोखिमों का लागत प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जाता है;
4. परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचित निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के सभी स्तरों पर सूचना साझा करने को बढ़ावा देना;
5. जहां भी लागू हों, उचित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
6. विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति और उनमें सुधार के लिए आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपाय अपनाए हैं:
 - स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा त्रैमासिक आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन; लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनके अवलोकनों की समीक्षा और जहां भी उचित पाया जाए सुधारात्मक कार्रवाई।
 - आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित टीम द्वारा नियमित अंतराल पर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

33. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करके और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार और उन्हें प्रस्तुत करके कम्पनी के कारोबार का व्यवस्थित और सक्षम व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

34. कॉर्पोरेट अभिशासन

आपकी कंपनी त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों का पालन करती है और अपने सभी कार्यकलापों में पारदर्शिता, निष्ठा और जवाबदेही अपनाती है। 'कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट' नामक एक अलग खंड इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

35. लेखापरीक्षक

क. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में मैसर्स डी एस शुक्ला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया जो अगली वार्षिक आम बैठक के संपन्न होने तक कार्यरत रहेंगे। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के भाग रूप में उपयुक्त तौर पर संलग्न की गई है।

ख. सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैसर्स दिलीप दीक्षित एंड कं., कार्यरत कंपनी सचिव, को वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तथा सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए प्रश्नों पर कंपनी सचिव द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

ग. आंतरिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कंपनी का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर उनकी रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है।



36. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल इस परियोजना के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यूरोपीय निवेश बैंक को हार्दिक धन्यवाद देता है। बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और आपूर्तिकर्ताओं का उनके निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए आभार प्रकट करना चाहता है जिसके कारण परियोजना के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और ट्रेन परिचालन आरंभ हो गए हैं। निदेशक मंडल आने वाले वर्षों में भी कंपनी को और अधिक ऊंचाइयां हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए उनसे उत्साह और समर्पण से पूर्ण सेवाओं की अपेक्षा करता है।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 27.07.2019

ह0/-
कुमार केशव
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-02908695

ह0/-
अजय कान्त रस्तोगी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-07228424

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलएमआरसी) की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, लखनऊ शहर के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय, कुशल, व्यवहार्य एवं ग्राहक-हितैषी मेट्रो प्रणाली उपलब्ध कराने के अपने कॉर्पोरेट उद्देश्य को हासिल करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सही प्रथाओं एवं नीतिगत मानकों को सुनिश्चित करते हुए त्रुटिहीन कॉर्पोरेट अभिशासन पद्धतियों के अनुपालन की धारणा से विकसित हुई है। एलएमआरसीएल नैतिकता के उच्च मानकों का अनुसरण करता है और अपने पूरे परिचालन क्षेत्र में सामंजस्य एवं विश्वास के मूल सिद्धांतों को बनाए रखता है।

अपने कामकाज के निष्पादन में, एलएमआरसीएल का मार्गदर्शन सीवीसी दिशानिर्देशों, कंपनी की अंतर्नियमावली (AoA), कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, लागू लेखाकरण मानकों, प्राधिकरणों जैसे सी एंड एजी द्वारा निर्धारित विनियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, संगठन के कामकाज में सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कर्मचारियों के कल्याण तथा ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के लिए उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्वास का प्रावधान और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों आदि के पुनर्वास आदि के संबंध में लागू सभी सांविधिक नियमों का उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

1. निदेशक मंडल

1. निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च 2019 को, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में 13 निदेशकों में से 5 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित, 4 निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित और 4 कार्यात्मक निदेशक हैं। सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष हैं, जबकि प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित हैं।

31.03.2019 को, निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा	अध्यक्ष, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड; सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)
श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
श्रीमती झंजा त्रिपाठी	नामिती निदेशक, भारत सरकार संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, एमओएचयूए
श्री विनय कुमार सिंह	नामिती निदेशक, भारत सरकार प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार आयुक्त, लखनऊ
श्री के. संजय मूर्ति	नामिती निदेशक, भारत सरकार, अपर सचिव (डी), एमओएचयूए
श्री प्रदीप मधुमंगल सिकंदर	नामिती निदेशक, भारत सरकार, ईडी/सिग, (विकास), रेलवे बोर्ड
श्री राजेश कुमार सिंह	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार प्रधान सचिव, अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग
श्री संजय मिश्रा	पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू एंड आई), एलएमआरसीएल
श्री सुशील कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन), एलएमआरसीएल
श्री महेन्द्र कुमार	पूर्णकालिक निदेशक (आरएस एंड एस), एलएमआरसीएल
श्री अजय कांत रस्तोगी	पूर्णकालिक निदेशक (वित्त), एलएमआरसीएल



रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति की गई है:

1. श्री प्रदीप मधुमंगल सिकदर
2. श्री अजय कुमार शुक्ला
3. श्री राजेश कुमार सिंह
4. श्री के. संजय मूर्ति

2. प्रशंसा के शब्द

बोर्ड निम्नलिखित निदेशकों, जिनका कार्यकाल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाप्त हुआ, द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं और विशेषज्ञ सलाह के लिए उनकी सराहना करता है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदत्याग की तारीख	पदनाम
1	डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय	01.07.2018	नामिती निदेशक, उ.प्र. सरकार
2	श्री मनोज कुमार	10.10.2018	नामिती निदेशक, उ.प्र. सरकार
3	श्री अजय कुमार शुक्ला	30.03.2019	नामिती निदेशक, उ.प्र. सरकार

कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध प्रामाणिक प्रशासनिक एवं निष्पादन दक्षता वाले प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं, जो कंपनी के मामलों को प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित करते हैं।

3. बोर्ड प्रक्रिया

कंपनी के समीक्षात्मक मूल्यांकन और कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करने और प्रबंधन के निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर बोर्ड की बैठकें संचालित की जाती हैं। कंपनी ने बोर्ड और बोर्ड की समिति की बैठकों के आयोजन के लिए, नीचे बताए गए अनुसार एक प्रक्रिया बनाई है:

बोर्ड / समिति की बैठकों के लिए अनुसूची और कार्यसूची मदों का चयन

बोर्ड के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उचित सूचना देकर बैठकों का संयोजन किया जाता है। विशिष्ट तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बैठकें संक्षिप्त अवधि में भी बुलाई जाती हैं। बोर्ड प्रसार के द्वारा, केवल ऐसे मामलों जो बेहद जरूरी होते और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य हैं, के लिए प्रस्ताव भी पारित करता है।

कार्यसूची से संबंधित कागजात संबंधित विभागों के प्रमुखों द्वारा तैयार किए और प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किए जाते हैं। विधिवत अनुमोदित कार्यसूची नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्यापक पृष्ठभूमि जानकारी सहित अन्य व्याख्यात्मक विवरण पहले ही बैठकों में सदस्यों द्वारा सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने के लिए बांटे जाते हैं।

विशेष एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मद(दें), जो कार्यसूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के लिए रखी जाती हैं। अनुमोदन की प्रमुख घटनाओं / मदों के बारे में भी बोर्ड को भी जहां आवश्यक हो सूचित किया जाता है। बोर्ड की बैठकों में प्रबंध निदेशक कंपनी के समग्र कार्यप्रदर्शन की जानकारी देते हैं। बोर्ड की राय में पिछली बैठकों में बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई कार्रवाई की बोर्ड समीक्षा भी कार्यसूची का एक भाग होता है।

बोर्ड के सदस्यों का कंपनी की सभी सूचनाओं पर पूर्ण अभिगम होता है। साथ ही, बोर्ड की बैठकें सचिवीय मानक-1 के अनुसार संचालित की जाती हैं।

प्रबंध निदेशक द्वारा संक्षिप्त जानकारी देना

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की शुरुआत में, प्रबंध निदेशक बोर्ड के सदस्यों को परियोजना की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/प्रगतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं।

बोर्ड बैठक की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग

बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को रिकार्ड किया और कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। बोर्ड बैठकों की कार्यवाही उस पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत की जाती है। बोर्ड की उप-समितियों की बैठक की कार्यवाही बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाती है।

अनुपालन :

विभागों के प्रमुख, कार्यसूची नोट्स तैयार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, संस्था के अंतर्नियमों और सीवीसी दिशानिर्देशों सहित सभी लागू सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

कंपनी के कर्मचारी उनको सौंपे गए कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं। वे कॉर्पोरेट कामकाज में योगदान देने में हमेशा उच्च मनोबल और मूल्य कायम रखते हैं तथा प्रबंधन का उपयुक्त और समयबद्ध मार्गदर्शन उनके दायित्वों के प्रभावी तरीके से निर्वहन में उन्हें सहायता प्रदान करता है।

4 शेयरधारकों की बैठक

कंपनी के शेयरधारकों की चौथी वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2018 को कंपनी के लखनऊ स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई।

5. बोर्ड की बैठकें

वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान, बोर्ड की चार बैठकें आयोजित की गईं। कंपनी के प्रत्येक पूर्व निदेशकों और वर्तमान निदेशकों की उनके सेवाकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों में उपस्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	नाम	2018-19 में उनके निदेशक कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री दुर्गाशंकर मिश्रा	4	4
2	श्री कुमार केशव	4	4
3	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	4	3
4	श्री विनय कुमार सिंह	4	4
5	श्री के संजय मूर्ति	2	2
6	श्री प्रदीप मधुमंगल सिकंदर	3	2
7	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	4	4
8	श्री अजय कुमार शुक्ला	4	0
9	श्री अनिल गर्ग	4	0
10	श्री राजेश कुमार सिंह	3	0



11	श्री महेंद्र कुमार	4	4
12	श्री अजय कांत रस्तोगी	4	4
13	श्री संजय मिश्रा	4	4
14	श्री सुशील कुमार	2	2

6 बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने कंपनी के परिचालनों के आकार एवं प्रकार को ध्यान में रखते हुए पांच समितियां गठित की हैं। ये हैं लेखापरीक्षा समिति और निवेश समिति, आंतरिक शिकायत समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति। इनमें से प्रत्येक समिति द्वारा स्पष्ट तौर पर तय संदर्भ शर्तें बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित हैं। इन समितियों की बैठकें कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार समय-समय पर की जाती हैं।

क. लेखापरीक्षा समिति:

इस तारीख तक कम्पनी की लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्ति की तारीख
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	27.03.2018
2	श्री अजय कुमार शुक्ला	सदस्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	02.05.2018
3	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	सदस्य, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार एमओएचयूए	24.08.2017
4	श्री महेंद्र कुमार	सदस्य, निदेशक (आरएस एंड एस), एलएमआरसी	24.08.2017

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक सं.	बैठक की तिथि
14वीं	24.05.2018
15वीं	13.07.2018
16वीं	26.11.2018
17वीं	19.03.2019

समिति की बैठक में भाग लेने के लिए कंपनी के महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों को भी आमंत्रित किया गया। लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उनके तहत बनाए नियमों के अनुसार यथा अनुमोदित हैं।

क्र.सं.	लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का नाम	2018-19 में उनके सदस्यता कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	4	4
2	श्री अजय कुमार शुक्ला	4	3
3	श्रीमती झंजा त्रिपाठी	2	2
4	श्री महेंद्र कुमार, निदेशक (RS&S) एलएमआरसी	4	4

ख. निवेश समिति:

इस तिथि को कंपनी की निवेश समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री महेंद्र कुमार, निदेशक (आरएसएंडएस)	सदस्य
3	श्री अजय कांत रस्तोगी, निदेशक (वित्त)	सदस्य

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 9.2.2018 को गठित की गई और आज की तारीख को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
2	श्री महेंद्र कुमार	सदस्य, निदेशक (रोलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स), एलएमआरसी
3	श्री अजय कांत रस्तोगी	निदेशक (वित्त), एलएमआरसी

घ. नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

आज की तारीख को कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
1	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक, उ.प्र. सरकार प्रधान सचिव, आवास और शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. सरकार
2	श्री कुमार केशव	प्रबंध निदेशक, एलएमआरसी
3	श्री अजय कांत रस्तोगी	निदेशक (वित्त), एलएमआरसी



ख. प्रकटन

- ऐसा कोई तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण पार्टी लेनदेन अर्थात् अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधियों आदि के साथ कंपनी का कोई भौतिक लेनदेन नहीं है
- जो व्यापक तौर पर कंपनी के हित से कंपनी की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
- कंपनी द्वारा किसी सांविधिक नियम के गैर-अनुपालन जैसे किसी मामले या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड या जुर्माने की कोई घटना नहीं हुई।
- कंपनी के बही खातों में खर्च नामे में डाली गई ऐसी कोई मद नहीं थी, जो कंपनी के व्यवसाय के प्रयोजन से जुड़ी न हो।

ग. कंपनी की वेबसाइट

कंपनी की वेबसाइट www.lmrcl.com है। वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के बारे में समयबद्ध जानकारी प्रदान करने के लिए परियोजना, अनुबंध, भर्ती प्रक्रिया सहित कंपनी से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियां वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं। वेबसाइट में सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, कार्यकलापों और मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाती है।

पत्राचार का पता :

पंजीकृत कार्यालय:

प्रशासनिक भवन

विपिन खण्ड, गोमती नगर

लखनऊ-226010

फोन: 0522-2304011

ई-मेल: cslmrcl@gmail.com, वेबसाइट : www.lmrcl.com

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27.07.2019

ह0/-

कुमार केशव

प्रबन्ध निदेशक

डीआईएन-02908695

ह0/-

अजय कांत रस्तोगी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-07228424



दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कंपनी सचिव

अनुलग्नक-1
ई-मेल : cs.dilipdixit@gmail.com
संपर्क नं. : +91 8354980010

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट
[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्यगण,
लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: यू60300यूपी2013एसजीसी060836
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खंड,
गोमती नगर, निकट डॉ. अम्बेडकर सामाजिक
परिवर्तन स्थल, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश
ईमेल आईडी: csImrcl@gmail.com

- हमने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' के तौर पर संदर्भित) द्वारा स्वीकार्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा श्रेष्ठ निगमित पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा संपन्न की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई, जिसने हमें निगमित संचालनों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय प्रकट करने का उपयुक्त आधार प्रदान किया।
- हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं, फॉर्मों और जमा किए गए रिटर्नों तथा अन्य रिकॉर्डों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:
 - अनुपालन की अपेक्षा वाले कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विभिन्न संबंधित अधिनियमों;
 - मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम 1978 और उसके नियमों;
 - मेट्रो (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम 2002 और उसके नियमों; और
 - कंपनी के ज्ञापन और अंतर्नियमों;
- कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवाही पुस्तिकाओं, फॉर्मों, जमा किए गए रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध किए गए विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है:
 - विभिन्न सांविधिक रजिस्ट्रारों और दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
 - कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए आवश्यक फॉर्मों, रिटर्न, दस्तावेज और संकल्पों;



- iii. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखापरीक्षकों और रजिस्ट्रार को दस्तावेज भेजना;
- iv. निदेशक मंडल और निदेशकों की विभिन्न समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- v. निदेशकों और निदेशकों की सभी समितियों की बैठकों की सूचना देना;
- vi. 29 सितंबर, 2018 को आयोजित वार्षिक आम बैठक की सूचना और संयोजन;
- vii. बोर्ड की बैठक, समिति और सदस्यों की बैठक की कार्यवाही;
- viii. निदेशक मंडल, निदेशकों की समिति, सदस्यों और सरकारी विभागों से जहां भी आवश्यक हो, अनुमोदन;
- ix. निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों का गठन और निदेशकों की नियुक्ति और पुनःनियुक्ति;
- x. निदेशकों और प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक का भुगतान;
- xi. सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;
- xii. कंपनी के शेयरों, इश्यू और आवंटन शेयरों का हस्तांतरण;
- xiii. कंपनी के अनुबंधों, पंजीकृत कार्यालय और नाम का प्रकाशन;
- xiv. निदेशक मंडल की रिपोर्ट;
- xv. कंपनी की निधियों का निवेश;
- xvi. सामान्य तौर पर, अधिनियम के अन्य सभी लागू प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों;
- xvii. हमारी राय में, कंपनी ने, ज्ञापन और कंपनी के अंतर्नियमों में यथा निर्धारित उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र का पालन किया है और ऊपर उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, लागू सचिवीय मानकों, आदि का अनुपालन किया है।

4. हम आगे यह सूचित करते हैं कि:

- i. निदेशकों ने अनुबंधों और व्यवस्थाओं में हितों और संबंधों, अन्य कंपनियों में शेयरधारिता और निदेशक पदों और अन्य संस्थाओं में हितों के प्रकटन की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है;
- ii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत जहां भी आवश्यक हो, सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए हैं;
- iii. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके तहत नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन शुरू नहीं किया गया या कंपनी ने कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं किया गया।

5. हम आगे यह सूचित करते हैं कि वर्ष के दौरान:

कंपनी की स्थिति राज्य (उत्तर प्रदेश) सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकारी कंपनी की बनी हुई है। साथ ही, हमारे विचार में कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013, मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (प्रचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 (कंपनी के विशिष्ट शासी अधिनियमों) के लागू प्रावधानों का नियमित तौर पर अनुपालन करती है।

- i. उस प्रभाव तक अनुपालन किया गया है, इस तथ्य की जांच कंपनी द्वारा रखे गए विभिन्न रिकॉर्डों के अवलोकन से की गई है।
- ii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया और निदेशकों की नियुक्ति और पदत्याग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। कंपनी ने सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों की मेरी लेखापरीक्षा के अंतर्गत पूर्णतया समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह सांविधिक लेखापरीक्षक और अन्य नामित कुशल प्रोफेशनल्स के दायरे में आती है।

हमने निम्नलिखित की स्वीकार्य धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि का निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन अनुपालन किया है:

स्वीकार्य कानूनों के संबंध में विशिष्ट अवलोकनों/लेखापरीक्षा अर्हता, पूर्वधारण या प्रतिकूल टिप्पणियों पर रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "अनुलग्नक क" (रिपोर्ट के अभिन्न भाग) में प्रदान की गई है।

हम आगे सूचित करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन सहित विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और इस संबंध में संबंधित विनियामक निकाय और सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए।

बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, अधिकांश बैठकों की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए और बैठक से पूर्व और बैठक में सार्थक प्रतिभागिता के लिए कार्यसूची की मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

विधिवत रिकॉर्ड और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बैठक की कार्यवाही के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मत थे और विचार में कोई मतभेद दर्ज नहीं किया गया है।

हम पुनः सूचित करते हैं कि स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी में कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुसार पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

कृते मै. दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी

हस्ता./—

दिलीप कुमार दीक्षित

एफसीएस नं. 6244

सीपी नं. 6770

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 24.07.2019



अनुलग्नक क

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों, खास तौर पर दूसरी और तीसरी बैठक के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अंतराल का निरीक्षण।

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 24.07.2019

कृते मै. दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी

हस्ता./—

दिलीप कुमार दीक्षित

एफसीएस नं. 6244

सीपी नं. 6770



लखनऊ मेट्रो
रेल कॉर्पोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी
कंपनी सचिव

ई-मेल : cs.dilipdixit@gmail.com
संपर्क नं. : +91 8354980010

सेवा में

सदस्यगण

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: यू60300यूपी2013एसजीसी060836

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन विपिन खंड,

गोमती नगर, निकट डॉ. अम्बेडकर सामाजिक

परिवर्तन स्थल, लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश

ईमेल आईडी: cslmrc@gmail.com

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अपनी राय प्रदान करना है।
2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया जो सचिवीय रिकॉर्डों की सामग्री की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां हमारी राय को एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित नहीं होने पर, हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां भी अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाक्रम इत्यादि के बारे में प्रबंधन का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य स्वीकार्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की जीवनक्षमता और न ही उसकी प्रभाविता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी का कार्य संचालन किया है।

कृते मै. दिलीप दीक्षित एंड कम्पनी

हस्ता./—
दिलीप कुमार दीक्षित
एफसीएस नं. 6244
सीपी नं. 6770

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 24.07.2019



सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी	उत्तर
<p>1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों, खास तौर पर दूसरी और तीसरी बैठक के बीच 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अंतराल का अवलोकन।</p>	<p>33वीं बोर्ड बैठक 23.07.2018 और 34वीं बोर्ड बैठक 27.11.2018 को आयोजित की गई। पूर्व निर्धारित और अपरिहार्य कारणों से 7 दिन का विलंब हुआ, बोर्ड के सदस्य बैठक के लिए उपलब्ध नहीं थे इसलिए बैठक निर्धारित दिनों में आयोजित नहीं की जा सकी।</p>

फार्म नं. एमजीटी 9

वार्षिक रिटर्न का सारांश

31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014
के नियम 12(1) के अनुसरण में

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

1.	सीआईएन	U60300UP2013SGC60836
2.	पंजीकरण तिथि	25 नवम्बर, 2013
3.	कम्पनी का नाम	लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	कम्पनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	सरकारी कम्पनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, सामाजिक परिवर्तन स्थल के निकट, लखनऊ-226010 फोन: 0522-2304010 फैक्स: 0522-2304013 ई-मेल: cslmrcl@gmail.com वेबसाइट: www.lmrcl.com
6.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	सूचीबद्ध नहीं है
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

2. कम्पनी के प्रमुख व्यवसाय कार्यकलाप

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाले सभी व्यवसाय कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा)

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1.	रेलवे और पाइपलाइन के रास्ते भूमि परिवहन	एच2	100

3. होल्डिंग, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक /सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू खंड
1.	----- लागू नहीं -----				



4. शेयरधारिता पद्धति (कुल इक्विटी के प्रतिशत अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

क) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या (1 अप्रैल, 2018 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2019 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत बदलाव
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) केन्द्र सरकार	-	65160000	65160000	41.20%	-	100300000	100300000	50.15%	8.95%
(ग) राज्य सरकार(रें)	-	93005000	93005000	58.80%	-	99700000	99700000	49.85%	(8.95%)
(घ) निकाय कार्पो.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड.) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (क)		158165000	158165000	100%		200000000	200000000	100%	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / एफआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(रें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ड.) उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	--
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य(निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उप-योग (ख) (1):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर-संस्थानिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय/निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) रु. 1 लाख तक मामूली शेयर पूंजी धारक शेयरधारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) रु. 1 लाख से मामूली शेयर पूंजी धारक शेयरधारक व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) गैर-निवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) विदेशी नागरिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) क्लियरिंग सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) ट्रस्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) विदेशी निकाय-डीआर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-योग (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर के संरक्षण में धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	-	158165000	158165000	100%		200000000	200000000	100%	



ख) प्रवर्तकों की शोयरधारिता

क्र. सं.	शोयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शोयरधारिता			वर्ष के अंत में शोयरधारिता			वर्ष के दौरान शोयर धारिता में प्रतिशत बदलाव
		शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयर का प्रतिशत	कुल शोयरो में बंधक/भारित शोयरो का प्रतिशत	शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयर का प्रतिशत	कुल शोयरो में बंधक/भारित शोयरो का प्रतिशत	
1.	भारत सरकार	65160000	41.20%	-	100300000	50.15%	-	8.95% वृद्धि
2.	उ.प्र. सरकार	93005000	58.80%	-	99700000	49.85%	-	8.95% कमी
	कुल	158165000	100%	-	200000000	100%	-	-

ग) प्रवर्तकों की शोयरधारिता में बदलाव:

क्र. सं.	शोयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में (यानी 01.04.2018 को) शोयरधारिता		दिनांक	शोयरधारिता में वृद्धि/कमी		वर्ष के दौरान संचयी शोयरधारिता	
		शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयरो का प्रतिशत		शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयरो का प्रतिशत	शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयरो का प्रतिशत
1	उ.प्र. सरकार	93005000	58.80%	06.06.2018 राइट इश्यू	6695000	8.95% कमी	99700000	49.85%
2.	भारत सरकार	65160000	41.20 %	06.06.2018 राइट इश्यू	35140000	8.95% वृद्धि	100300000	50.51%
	कुल	158165000	100%	100%	41835000		20000000	100%

घ) शीर्ष दस शोयरधारकों का शोयरधारिता पैटर्न:

(निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

प्रत्येक शीर्ष 10 शोयरधारकों के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शोयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शोयरधारिता	
	शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयरो का प्रतिशत	शोयरो की संख्या	कम्पनी के कुल शोयरो का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं			
वृद्धि/कमी के कारण (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि): दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शोयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी				
वर्ष के अंत में				

ड) निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेरधारिता:

प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की शेरधारिता	वर्ष के प्रारंभ में शेरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेरधारिता	
	शेरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेरों का प्रतिशत	शेरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेरों का प्रतिशत
वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
वृद्धि / कमी के कारण (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि): दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रवर्तक शेरधारिता में तिथिवार वृद्धि / कमी	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	-	-	-	-

5. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया / उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	275405000000	शून्य	275405000000
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान किया	शून्य	22403688	शून्य	22403688
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	शून्य	6849079	शून्य	6849079
कुल (i + ii + iii)	शून्य	275434252767	शून्य	275434252767
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
वृद्धि	शून्य	18619972619.57	शून्य	18619972619.57
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
निवल परिवर्तन	शून्य	18619972619.57	शून्य	18619972619.57
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	293985000000	शून्य	293985000000
ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया	शून्य	59066682.62	शून्य	59066682.62
iii) ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	शून्य	10158703.95	शून्य	10158703.95
कुल (i + ii + iii)	शून्य	294054225386.57	शून्य	294054225386.57



6. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम (राशि रु. में)					कुल राशि
		प्रबंध निदेशक	डब्ल्यूटीडी (वित्त)	डब्ल्यूटीडी (W&I)	डब्ल्यूटीडी (RS&S)	डब्ल्यूटीडी (प्रचालन)	
1.	सकल वेतन						
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	44,58,064	47,74,814	39,98,286	42,55,257	36,57,381	2,11,43,802
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	5,49,980	2,16,373	87,496	3,64,193	2,62,054	14,80,096
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3.	स्वैट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4.	कमीशन -लाभ का प्रतिशत, अन्य विनिर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-
5.	अन्य कृपया निर्दिष्ट करें	3,78,930	5,83,830	3,39,070	3,55,233	1,88,190	1845253
	कुल (क) रु.	53,86,974	55,75,017	44,24,852	49,74,683	41,07,625	2,44,69,151
	अधिनियम के अनुसार सीमा						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम						कुल राशि
		---	---	---	---	---	---	
1.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	-	-	-	-	-	-	-
2.	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक							
	बोर्ड समिति बैठकों में उपस्थिति के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य, कृपया रिटेनरशिप शुल्क निर्दिष्ट करें-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1 + 2)	-	-	-	-	-	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा							

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीएस			कुल
1.	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	21,36,634	-	-	21,36,634
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	3,04,580	-	-	3,04,580
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3.	स्वैट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-	-
	- लाभ का प्रतिशत के तौर पर	-	-	-	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-	-	-
5.	अन्य, निर्दिष्ट करें (भविष्य निधि और अन्य फंडों, ग्रेच्युटी और समूह बीमा में अंशदान)	1,66,682	-	-	1,66,682
	कुल	26,07,896.00	-	-	26,07,896.00

7. जुर्माना/दण्ड/अपराधों का प्रशमन:

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दण्ड/जुर्माने/प्रशमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
प्रशमन	-	-	-	-	-



स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

राय

हमने लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 की तिथि को तुलन-पत्र, और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) और नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सार सम्मिलित है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत ('इंड एएस') सहित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), और इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

अपनी राय पर जोर दिए बिना, हम निम्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- 1) कंपनी के पक्ष में भूमि के स्वामित्व डीड के गैर-निष्पादन के संबंध में, इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट सं. 1।
- 2) इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट सं. 14 और 29.18, वित्तीय देयता के तौर पर प्रस्तुत ऐतिहासिक मूल्य पर ब्याज मुक्त अधीनस्थ सरकारी ऋण को मान्य करने के संबंध में, अधीनस्थ ऋण की चुकौती अवधि में अनिश्चितता के कारण, इंड एएस 109 – वित्तीय लिखतों के अनुरूप मापन नहीं किया गया है।
- 3) इंड एएस वित्तीय विवरण का नोट सं. 29.9, यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) का 350200 लाख रुपये बकाया ऋण और 692.25 लाख रुपये प्रोद्भूत ब्याज, भारत सरकार ने लखनऊ (उ.प्र.) में मेट्रो रेल परियोजना के निष्पादन के लिए निकासी सहायता (PTA) के माध्यम से इन ऋण संवितरणों की व्यवस्था की। विनिमय दर में उतार-चढ़ावों से लाभ/हानि का प्रावधान इंड एएस 21 – विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार नहीं किया गया है और भारत सरकार की सलाह पर लेनदेन आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का वर्णन आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो नैतिक अपेक्षाओं सहित अधिनियम और प्रावधानों और उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के कामकाज (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), नकदी प्रवाह और कंपनी की इक्विटी में परिवर्तनों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और प्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करना; और सही और निष्पक्ष स्थिति स्पष्ट करने वाले और तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से, से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से सुसंगत लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कारगर, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, यदि लागू हो, तो उससे संबंधित मामलों का प्रकटन करने, और चलायमान प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक प्रबंधन का या तो कंपनी का परिसमापन करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाय कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि से, पूर्ण रूप से मुक्त हैं और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा से हमेशा किसी तथ्यात्मक गलतबयानी के होने का पता लग ही जाए। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और तभी तथ्यात्मक मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उससे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना, उन जोखिमों के लिए प्रभावी लेखापरीक्षा प्रक्रिया तैयार और निष्पादित करना, और उन लेखापरीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करना जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोहण शामिल हो सकता है।
- परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता मौजूद है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करना।



- चलायमान प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का उपयोग करने की प्रबंधन की उपयुक्तता, और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है जो चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उठा सकती है के आधार पर निष्कर्ष निकालना। यदि हमारे निष्कर्ष में कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय में संशोधन करना अपेक्षित होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चलायमान प्रतिष्ठान बने रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को ऐसे दर्शाते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो, का मूल्यांकन करना।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पाते हैं, से सूचित करते हैं।

हम प्रबंधन के प्रभारियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए उपयुक्त समझा जाए, के बारे में सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक क" में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण पेश करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार, हम "अनुलग्नक ख" में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और निर्दिष्ट मामलों पर आधारित विवरण पेश करते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि:
 - क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - ग) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।
 - घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड एस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।
 - ङ) चूंकि, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. GSR-463(E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी के निदेशकों से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है।
 - च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावीपन के संबंध में, "अनुलग्नक ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

- छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का इंडएएस के नोट सं. 30(1) में प्रकटन किया है। जिनका इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं थे जिन पर कोई भौतिक नुकसान हुआ हो।
 - ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे, कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करना अपेक्षित है।
4. धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या GSR 463(E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
(एफआरएन सं.: 000773सी)

ह0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0 : 408990

यूडीआईएन: 19408990AAAAAA8402

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27.07.2019



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – क

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 से संदर्भित)

- i) कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - क. कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया है।
 - ख. कंपनी में स्थिर परिसंपत्तियों की सभी मदों का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने का कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गई।
 - ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अचल संपत्तियों का स्वामित्व, इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 1 में प्रकट किए गए मामलों को छोड़कर, कंपनी के नाम पर है।
- ii. कंपनी मेट्रो रेल अवसंरचना और अनुरक्षण के कारोबार में संलग्न है और इसके पास कोई भौतिक मालसूची नहीं है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(ii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- iii. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में निहित अन्य कंपनियों, फर्मों व पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत मंजूर नहीं किया।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को कोई ऋण नहीं दिया या निवेश नहीं किया या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है, और इसलिए इन पर टिप्पणी नहीं की गई है।
- v. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और 31 मार्च 2019 को कोई गैरदावाकृत जमाराशियां नहीं हैं और इसलिए, आदेश की धारा 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- vi. केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है अतएव इन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
- vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सांविधिक देयों के संबंध में:
 - क. कंपनी आम तौर पर उस पर लागू भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों का उपयुक्त विभागों को नियमित रूप से भुगतान करती है।
 - ख. 31 मार्च 2019 को भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य तथ्यगत सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित देय राशि देय होने की तारीख से छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी विवाद के कारण बकाया आयकर इस प्रकार है:

विधान की प्रकृति	देयों की प्रकृति	फोरम जहां विवाद लंबित है	अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि लाख रुपये में
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2013-14	18.24
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2014-15	0.41
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2015-16	47.64
आयकर अधिनियम 1961	स्रोत पर कर की कटौती	सीआईटी (अपील)	2016-17	108.47

- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान और सरकार को देयों की चुकौती के संबंध में कोई चूक नहीं की है।
- ix. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को शेयरों की पेशकश या मियादी ऋणों के माध्यम से रकम जुटाई और रकम का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वे जुटाई गई।
- x. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना पाई या सूचित नहीं की गई।
- xi. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. GSR 463(E) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती। तदनुसार, आदेश की धारा 3(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए, आदेश की धारा 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- xiii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188, जहां भी लागू हों के अनुपालन में हैं और संबंधित पार्टी लेनदेनों का विवरणों का प्रकटन लागू भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित इंड एस वित्तीय विवरणों में किया गया है।
- xiv. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान आबंटन या शेयरों या आंशिक या पूर्णतः प्रदत्त परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए, आदेश की धारा 3(xiv) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- xv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों से कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफआरएन सं.: 000773सी)

ह0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0 : 408990

यूडीआईएन: 19408990AAAAA8402

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27 / 07 / 2019



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख

(स्वतंत्र लेखापरीक्षक की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

1. क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेनदेनों के आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधन की प्रणाली है? यदि हां, तो क्या वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हों, के साथ ही खातों पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थों का उल्लेख किया जा सकता है?

लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास आईटी प्रणाली है; इसके अलावा कंपनी ने ईआरपी सिस्टम भी स्थापित किया है, जिसका कार्यान्वयन लंबित है।

2. क्या ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या कर्जों / ऋणों / ब्याज आदि की माफी / बट्टे डालने के कोई मामले हैं? यदि हां, तो क्या वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है?

आम तौर पर हमने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कर्जों / ऋणों / ब्याज आदि की माफी / बट्टे डालने के कोई मामले नहीं देखे।

3. क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन / उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?

कंपनी द्वारा प्राप्त निधि अनुमोदित डीपीआर में वित्त मॉडल के अनुसार होती है जिसका आमतौर पर उचित तरीके से लेखांकन / उपयोग किया जाता है। हालांकि, 23 मार्च 2016 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एलएमआरसी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईआईबी के संबंध में एलएमआरसी की ऋण चुकता देयता, ऋण भाग की गणना ऋण की मुद्रा के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित रुपया आधार पर ईआईबी के ऋणवापसी शेड्यूल के आधार पर की जाएगी, जिसका कंपनी ने विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्रावधान नहीं किया है, और भारत सरकार की सलाह के आधार पर लेनदेन के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

4. क्या सार्वजनिक भागीदारी के तहत संचालित परियोजना की पहचान हेतु प्रचलित प्रणाली सरकार के दिशानिर्देश / नीतियों के अनुरूप है? विचलन यदि कोई हो, पर टिप्पणी?

लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (LMRC), किराया संग्रह प्रणाली, के लिए मर्चेन्ट एक्वायर्नर बैंक के रूप में एचडीएफसी बैंक को चुनकर, छह साल के लिए करार और पीपीपी मॉडल के अधीन संबद्ध बैंकिंग अनुप्रयोगों का प्रावधान किया है, सरकारी दिशानिर्देशों / नीतियों के अनुपालन में कोई विचलन सूचित नहीं किया गया।

5. क्या समझौते में निर्धारित कार्यों यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी के लिए व्यवस्था मौजूद है और लागत वृद्धि के प्रभाव, अनुबंधों से किसी राजस्व/नुकसान, आदि का बहियों में उचित तरीके से लेखांकन किया गया है।

समझौते में निर्धारित कार्यों यानी उपलब्धियों के निष्पादन की निगरानी की प्रणाली उपयुक्त है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (LMRC) के तकनीकी अधिकारी एलएमआरसी द्वारा नियुक्त जनरल कंसल्टेंट्स (GC) के साथ समझौते में निर्धारित उपलब्धियों के अनुसार दावों और कार्यों की जांच करते हैं और लगातार इसकी निगरानी करते हैं। अनुबंधों से प्राप्त किसी भी राजस्व/नुकसान आदि को बहियों में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

6. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएं?

कंपनी द्वारा प्राप्त निधि अनुमोदित डीपीआर में वित्त मॉडल के अनुसार होती है जिसका आमतौर पर उचित तरीके से लेखांकन/उपयोग किया जाता है। हालांकि, 23 मार्च 2016 को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एलएमआरसी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, ईआईबी के संबंध में एलएमआरसी की ऋण चुकता देयता, ऋण भाग की गणना ऋण की मुद्रा के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सहित रुपया आधार पर ईआईबी के ऋणवापसी शेड्यूल के आधार पर की जाएगी, जिसका कंपनी ने विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभावों के कारण प्रावधान नहीं किया है, और भारत सरकार की सलाह के आधार पर लेनदेन के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।

7. क्या बैंक गारंटियों का समय से पुनर्वेधीकरण कराया गया है?

बैंक गारंटियों का आमतौर पर समय पर पुनर्वेधीकरण कराया गया है।

8. प्राप्त व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयों, सावधि जमाओं, बैंक खातों और नकदी की शेष राशि की पुष्टि पर टिप्पणी करें?

कंपनी ने अपने बैंकों में शेष राशियों और सावधि जमा के शेष की पुष्टि प्राप्त की है जिनमें कोई अंतर होने पर खाता बहियों से मिलान किया जाता है, अधिकांश व्यापार देयों के शेष की गैर पुष्टि और और कंपनी की लाभदेयता/नुकसान पर बही में शेष और वास्तविक शेष पर परिणामी प्रभाव समाधान यदि कोई हो के अधीन है, कंपनी के कोई व्यापार प्राप्य नहीं है जिसके लिए पुष्टि प्राप्त करना आवश्यक हो। की आवश्यकता हो।

कृते- डी. एस. शुक्ला एवं कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफआरएन सं.: 000773सी)

ह0/-

श्रीहर्ष शुक्ला

साझेदार

सदस्यता सं0 : 408990

यूडीआईएन: 19408990AAAAAA8402

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27/07/2019



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ग

(स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 4 से संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 के अनुसार लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('ICAI') द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों जो इसके कारोबार के व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन, कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता और पूर्णता, और समय पर विश्वस्त वित्तीय जानकारी तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय प्रकट करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और लेखापरीक्षा पर मानकों, आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी, के अनुसार की है। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करते हुए यह उचित आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए और बनाए रखे गए और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक संबंधों में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और उनके प्रभावी प्रचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में उस तथ्यात्मक कमजोरी के जोखिम का निर्धारण करते हुए और निर्धारित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण और डिजाइन और प्रभावशील प्रचालन का मूल्यांकन करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ हासिल करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय, वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे जालसाजी या त्रुटि से, के जोखिमों के निर्धारण सहित, पर निर्भर करती हैं। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने प्राप्त किए वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और कार्यविधियां शामिल होती हैं जो:

- (1) उचित विवरण, सत्यता और स्पष्टता से कंपनी के लेनदेनों और उसकी परिसंपत्तियों की व्यवस्थाओं को दर्शाने वाले रिकॉर्डों, के रखरखाव से संबंधित हों;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक मानकर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या व्यवस्था जिससे वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव पड़ सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाओं के कारण, सांठगांठ या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश की संभावना सहित, त्रुटि या छल-कपट से तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लग सकता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय सूचन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो जाएं या नीतियों या कार्यविधियों के साथ अनुपालन का स्तर विकृत हो जाए।

राय

हमारी राय में, कंपनी का, सभी तथ्यात्मक पहलुओं से, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आधारित ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ढंग से प्रचालन कर रहे थे।

कृते डी. एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन नं. 000773सी)

हस्ता. /—

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सद. सं. 408990

यूडीआईएन: 19408990AAAAA8402

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27.07.2019



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को तुलनपत्र

(लाख रुपये में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
परिसंपत्तियां			
गैर-चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1	5,92,709.05	2,02,612.25
(ख) कार्यशील पूंजी	2	11,941.70	2,07,386.48
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियां	3	4,876.67	3,569.89
(घ) प्रगति के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	4	-	565.45
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) ऋण			
(ii) अन्य	5	358.65	185.97
(iii) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	-	-	-
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	6	7.78	8.23
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) व्यापार प्राप्य	7	202.95	-
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	8	1,26,792.43	1,19,127.86
(iii) अन्य	9	1,389.79	464.41
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	10	17.00	2.72
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	1,656.03	21,296.52
कुल परिसंपत्तियां		7,39,952.05	5,55,219.78
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	12	2,00,000.00	1,58,165.00
(ख) अन्य इक्विटी	13	(9,218.21)	43,536.56
देयताएं			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधारियां	14	4,61,205.00	2,75,405.00
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15	1,208.41	834.01
(ख) प्रावधान	16	605.78	623.62
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	17	47,232.55	47,927.61
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	17(a)	-	-
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) व्यापार देय	18	823.85	361.57
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19	27,579.79	25,278.30
(ख) अन्य चालू देयताएं	20	8,958.55	1,814.50
(ग) प्रावधान	21	1,556.33	1,273.61
कुल इक्विटी और देयताएं		7,39,952.05	5,55,219.78

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोटसे

29 और 30

समदिनांकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न
कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 000773सी

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990
यूडीआईएन: 19408990AAAAA8402

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02908695

(अजय कांत रस्तोगी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07228424

स्थान: लखनऊ
तारीख: 27.07.2019

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 का समाप्त वर्ष के लिए
आय			
i) परिचालनों से आय	22	1,504.00	555.40
ii) अन्य आय	23	9,386.14	6,931.95
कुल आय		10,890.14	7,487.35
व्यय			
i) परिचालन व्यय	24	2,818.53	1,616.72
ii) कर्मचारी हितलाभ व्यय	25	4,917.12	2,778.27
iii) वित्त लागत	26	211.46	82.64
iv) मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय	27	8,582.34	4,430.84
v) अन्य व्यय	28	1,916.68	1,255.95
कुल व्यय		18,446.13	10,164.42
कर से पूर्व लाभ/(हानि)		(7,555.98)	(2,677.07)
कर से पूर्व लाभ		(7,555.98)	(2,677.07)
कर व्यय			
चालू कर			
आस्थगित कर	17(a)	-	355.33
वर्ष का लाभ/(हानि)		(7,555.98)	(2,321.74)
I वर्ष का लाभ		(7,555.98)	(2,321.74)
अन्य व्यापक आय			
i) मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जायेंगी			
- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन		344.82	(216.54)
- आयकर का प्रभाव		-	-
वर्ष की अन्य व्यापक आय/(हानि)		344.82	(216.54)
अवधि की कुल व्यापक आय		(7,211.16)	(2,538.28)
(1) बेसिक (रु.)		(3.75)	(1.70)
(2) अवमिश्रित (रु.)		(3.57)	(1.60)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर नोट्स	29 और 30		

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 000773सी

(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990
यूडीआईएन: 19408990AAAAA8402

स्थान: लखनऊ
तारीख: 27.07.2019

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02908695

(अजय कांत रस्तोगी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07228424

(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पश्चात निवल लाभ/हानि	(7,211.16)	(2,538.28)
निम्न हेतु समायोजन:		
मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय	8,582.34	4,430.85
आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	-	(355.33)
एलडीए से आबंटित अनुदान	-	(418.37)
एफडीआर से प्राप्त ब्याज	(7,972.06)	(6,449.83)
मोबाइल हैंडसेटों के निपटान से लाभ	-	(0.01)
ब्याज और वित्त प्रभार	211.46	82.65
आस्थगित सरकारी अनुदान	-	(4,436.88)
आयकर रिफंड	-	8.85
उचित मूल्य समायोजन	(1.40)	(3.47)
एसओसीआईई	(3.47)	(163.86)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(6,394.30)	(9,843.68)
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(202.95)	-
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	19,640.49	20,237.35
चालू कर परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(14.28)	(2.72)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(1,098.05)	(263.90)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	0.45	(8.23)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	264.88	(2,511.18)
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	6,448.99	916.68
व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि/(कमी)	462.26	12,110.11
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	2,675.89	4,162.51
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)		
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	21,783.37	24,796.94
कर का भुगतान	-	-
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	21,783.37	24,796.94
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, कार्यशील पूंजी सहित संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद	(2,03,975.69)	(2,19,893.79)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां प्राप्त ब्याज आय	-	0.77
	7,972.06	6,449.83
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(1,96,003.63)	(2,13,443.19)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी और शेयर आवेदन राशि	14,308.00	59,127.00
वर्ष के दौरान प्राप्त/(समायोजित) अनुदान	(18,013.14)	19,034.84
वर्ष के दौरान जुटाए गए ऋण	1,85,800.00	1,28,973.00
वर्ष के दौरान ऋण की वापसी	-	-

ब्याज और वित्त प्रभार	(211.46)	(82.65)
उचित मूल्य समायोजन	1.41	3.47
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	1,81,884.82	2,07,055.66
घ. नकदी और नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	7,664.57	18,409.42
ङ नकदी और नकदी समतुल्य (आरंभिक शेष)	1,19,127.86	1,00,718.46
च. नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष)	1,26,792.43	1,19,127.86
नदकी प्रवाह विवरण पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां		
(क) नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल है:		
(i) नकदी और बैंक शेष	1,424.12	15,090.81
(ii) अल्पकालिक निवेश	1,25,368.31	1,04,037.05
	1,26,792.43	1,19,127.86

साथ के नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

नकदी प्रवाह का उक्त विवरण, नकदी प्रवाह के विवरण पर इंड एएस7 में निर्धारित किए अनुसार 'अप्रत्यक्ष विधि' के अंतर्गत तैयार किया गया है।

कृते डी.एस शुक्ला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन - 000773सी

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / -
(श्रीहर्ष शुक्ला)
साझेदार
सदस्यता सं. 408990
यूडीआईएन: 19408990AAAAA8402

ह0 / -
(कुमार केशव)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 02908695

ह0 / -
(अजय कांत रस्तोगी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07228424

स्थान: लखनऊ
तारीख: 27.07.2019

ह0 / -
(पुष्पा बेलानी)
कंपनी सचिव

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियाँ

नोट 1 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपये)

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास		31.03.2019 तक	निवल ब्लॉक	
	01.04.2018 को	वर्धन/समायोजन	विक्री/समायोजन	31.03.2019 को		वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन
क्यूटर और एक्सेसरीज उपकरण और मशीनरी	345.60	30.56	2.83	373.33	291.61	87.15	81.72
मोबाइल सेट	1,105.18	1,522.16	1.16	2,627.34	153.31	76.47	2,474.03
फर्नीचर	27.10	10.27		36.20	23.32	7.83	12.88
कार्यालय भवन	502.08	120.59		622.67	127.89	49.35	494.78
वाहन	66.44	-		66.44	5.75	1.05	60.69
कार्यालय उपकरण	36.96	8.92		45.88	18.53	4.71	27.35
फ्रीहोल्ड भूमि	206.06	40.38		246.44	148.62	42.04	97.82
फ्रीहोल्ड भूमि (बाह्य)	9,283.83	1,817.01		11,100.84	-	-	11,100.84
भूमि (स.प्र. सरकार से अनुदान)	19,445.51	2,330.24		21,775.75	-	-	21,775.75
लीजहोल्ड भूमि (90 वर्ष)	0.00002	-		0.00002	-	-	0.00002
एयरसी प्रणाली	381.69	-		381.69	-	-	381.69
एयरकंडीशनिंग प्रणाली (डक्टलेस)	2,966.93	3,294.34		6,261.27	471.97	308.47	5,789.30
डिपो भवन	343.16	6,718.94		7,062.10	36.98	29.49	7,025.12
डीजी सेट	17,731.11	112.47		17,843.58	836.13	533.62	17,007.45
विद्युत स्थापन और उपकरण	94.28	1,260.05		1,354.33	8.31	6.35	1,346.02
एलीक्ट्रिस	112.07	-		112.07	11.13	7.10	100.94
इंजनों कार्य	1,215.72	1,676.84		2,892.56	81.54	53.58	2,811.02
एस्कलेटर्स	1,537.66	12,115.89		13,653.55	154.24	111.85	13,499.31
अग्निशमन कार्य	1,848.12	4,186.30		6,034.42	185.12	123.72	5,849.30
सकल स्टॉक	254.92	1,908.34		2,163.26	32.92	23.76	2,130.34
सुखा उपकरण	26,770.64	56,372.95		83,143.59	1,662.33	1,120.26	81,481.25
साइनेज	211.65	330.93		542.58	22.38	14.78	520.20
सिगनलिंग उपकरण	736.18	1,638.84		2,375.02	597.06	398.74	1,777.96
स्टेशन भवन	12,670.97	6,956.83		19,627.80	1,142.14	737.74	18,485.65
टेलीकॉम उपकरण	36,172.14	2,10,019.13		2,46,191.27	2,513.05	1,775.74	2,43,678.21
ट्रेक कार्य	4,822.97	6,281.96		11,104.93	519.87	341.10	10,585.06
ट्रेक्शन उपकरण	11,578.54	14,138.69		25,717.23	602.81	394.87	25,114.42
टयूबवैल्स	16,508.32	27,521.00		44,029.32	867.02	572.97	43,162.30
यूपीएस सिस्टम	39.60	-		39.60	3.93	2.51	35.67
वायुडक्ट	122.04	684.05		806.09	18.25	12.86	787.83
व्यक्ति, पंप एंड फैल	39,998.97	33,716.27		73,715.24	2,360.09	1,534.00	71,355.15
स्पयर्स ए/सी	-	404.05		404.05	1.21	1.21	402.84
टनल वॉटिलेशन और बीएमएस	-	228.09		228.09	0.68	0.68	227.41
बीएमएस स्काडा	-	3,037.85		3,037.85	9.09	9.09	3,028.75
कुल - वाल्यू वर्ष	2,07,136.44	3,98,483.92	3.99	6,05,616.37	12,907.30	8,383.11	5,92,709.05
- पिछले वर्ष	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	4,524.19	4,276.84	2,02,612.25
				249.51	4,524.19	2.16	2,02,612.25
							9,682.51



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां

नोट 1 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (लाख रुपये)

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास			निवल ब्लॉक				
	01.04.2017 को	वर्धन/समायोजन	बिक्री/समायोजन	31.03.2018 को	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 को
कंप्यूटर और एक्सेसरीज	324.01	23.93	2.34	345.60	106.14	1.89	100.21	204.46	141.13	217.86
उपकरण और मशीनरी	651.76	453.42	-	1,105.18	16.31	-	60.53	76.84	1,028.34	635.45
मोबाइल सेट	21.14	6.55	0.59	27.10	8.25	0.27	7.51	15.49	11.61	12.88
फर्नीचर	385.50	116.58	-	502.08	37.23	-	41.31	78.54	423.53	348.26
कार्यालय भवन	66.44	-	-	66.44	3.65	-	1.05	4.70	61.74	62.79
वाहन	36.96	-	-	36.96	9.43	-	4.39	13.82	23.14	27.52
कार्यालय उपकरण	186.81	19.25	-	206.06	68.50	-	38.08	106.58	99.49	118.31
फ्रीहोल्ड भूमि	7,877.74	1,406.09	-	9,283.83	-	-	-	-	9,283.83	7,877.74
फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर)	-	19,445.51	-	19,445.51	-	-	-	-	19,445.51	-
भूमि (स.प्र. सरकार से अनुदान)	0.00002	-	-	0.00002	-	-	-	-	0.00002	0.00002
लीजहोल्ड भूमि (90 वर्ष)	381.69	-	-	381.69	-	-	-	-	381.69	381.69
एएफसी प्रणाली	-	2,966.93	-	2,966.93	-	-	163.50	163.50	2,803.43	-
एयरकंडीशनिंग प्रणाली (डक्टलेड)	-	343.16	-	343.16	-	-	7.49	7.49	335.67	-
डिपो भवन	-	17,731.11	-	17,731.11	-	-	302.51	302.51	17,428.60	-
डीजी सेट	-	94.28	-	94.28	-	-	1.96	1.96	92.33	-
विद्युत स्थापन और उपकरण	-	112.07	-	112.07	-	-	4.03	4.03	108.04	-
एलीवेटर्स	-	1,215.72	-	1,215.72	-	-	27.96	27.96	1,187.76	-
इंजलरम कार्य	-	1,537.66	-	1,537.66	-	-	42.39	42.39	1,495.27	-
एस्केलेटर्स	-	1,848.12	-	1,848.12	-	-	61.40	61.40	1,786.72	-
अग्निशमन कार्य	-	254.92	-	254.92	-	-	9.16	9.16	245.76	-
सवल स्टॉक	-	26,770.64	-	26,770.64	-	-	542.07	542.07	26,228.57	-
सुस्था उपकरण	-	211.65	-	211.65	-	-	7.60	7.60	204.05	-
साइनेज	-	736.18	-	736.18	-	-	198.32	198.32	537.87	-
सिगनलिंग उपकरण	-	12,670.97	-	12,670.97	-	-	404.40	404.40	12,266.57	-
स्टेशन भवन	-	36,172.14	-	36,172.14	-	-	737.31	737.31	35,434.83	-
टेलीकॉम उपकरण	-	4,822.97	-	4,822.97	-	-	178.77	178.77	4,644.20	-
टैक कार्य	-	11,578.54	-	11,578.54	-	-	207.94	207.94	11,370.60	-
टैक्शन उपकरण	-	16,508.32	-	16,508.32	-	-	294.05	294.05	16,214.27	-
टयूबवैल्स	-	39.60	-	39.60	-	-	1.42	1.42	38.17	-
यूपीएस सिस्टम	-	122.04	-	122.04	-	-	5.39	5.39	116.65	-



वायडवट	-	39,998.97	-	39,998.97	-	826.09	826.09	39,172.88	-
कुल - चालू वर्ष	9,932.05	1,97,207.32	2.93	2,07,136.44	249.51	4,276.84	4,524.19	2,02,612.25	9,682.50
- पिछले वर्ष	6,542.29	3,390.97	1.23	9,932.03	93.63	156.35	249.52	9,682.51	6,448.66

फ्रीहोल्ड भूमि (बार्टर) - भूमि संपूर्णानंद जेल के 41 प्लेटों और पीएसी परिसर के आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के बदले प्राप्त की गई है जिसकी निर्माण लागत 20812.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 17400.00 लाख रुपये) में से 6888.52 लाख रुपये आगामी वित्त वर्ष में व्यय किए जाने का अनुमान है।

भूमि का उचित मूल्यांकन अधिग्रहण की तारीख को बाजार मूल्य पर किया गया है जिसे स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की अनुमानित लागत में किसी परिवर्तन से समायोजित किया गया है।

रक्षा मंत्रालय से 866 वर्ग. मी. भूमि 476.39 लाख रुपये में प्राप्त की गई है जिस पर भूमि के उपयोग का अधिकार स्थायी रूप से दिया गया है। अतएव, भूमि को रक्षा विभाग को किए गए भुगतान के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

वि.व. 2018-19 के दौरान, 304.57 लाख रुपये की उधारी लागत (पिछले वर्ष 92.13 लाख रुपये) को पीपीई में पूंजीकृत किया गया।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए 31 मार्च 2018 तक विभिन्न निजी पार्टियों के माध्यम से कुल 11100.84 लाख रुपये (पिछले वर्ष 9283.83 लाख रुपये) की 63663.58.02 वर्ग मी. (पिछले वर्ष 48624.34 वर्ग मी.) माप की फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण और हक का निष्पादन किया गया। 38676.56 वर्ग मी. (पिछले वर्ष 25105.92 वर्ग मी.) भूमि हक के निष्पादन की प्रक्रिया के अधीन है।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियाँ

नोट 2 – प्रगतिशील कार्य पूंजी #

(लाख रुपये)

विवरण	01.04.2018 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	अंतिम शेष
ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन	219.21	2,792.22	3,011.43	2,990.90	20.54
भवन और वायडवट, ब्रिज टनल, कल्वर्ट्स बंडर्स	1,36,924.02	1,32,841.09	2,69,765.11	2,69,154.50	610.61
विद्युत स्थापन और उपकरण	-	-	-	-	-
एस्केलेटर्स और एलीवेटर्स	1,574.32	4,696.32	6,270.64	5,532.96	737.68
फर्नीचर और फिक्सचर्स	25.59	11.61	37.20	37.20	(0.00)
एलएमआरसी स्टाफ क्वार्टर्स	8,562.55	3,452.38	12,014.93	8,542.58	3,472.35
संयंत्र और मशीनरी	1,167.53	153.22	1,320.75	1,320.74	0.00
रोलिंग स्टॉक और सिगनलिंग	22,756.18	41,185.55	63,941.73	60,019.15	3,922.59
सुरक्षा उपकरण	41.97	372.79	414.76	316.87	97.89
साइनेज	-	28.63	28.63	28.63	-
टेलीकॉम उपकरण	1,153.08	3,975.92	5,129.01	5,129.01	0.00
ट्रैक कार्य (पी-वे)	9,865.95	5,670.05	15,536.00	13,170.16	2,365.84
ट्रैकशन उपकरण	11,875.63	13,671.36	25,546.98	25,546.98	-
कुल	1,94,166.02	2,08,851.13	4,03,017.16	3,91,789.67	11,227.49
जोड़ें: निर्माण के दौरान व्यय	13,220.47	12,322.00	25,542.47	24,828.26	714.21
कुल योग	2,07,386.48	2,21,173.13	4,28,559.63	4,16,617.93	11,941.70



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां

नोट 2 – कार्यशील पूंजी

विवरण	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीगत	अंतिम शेष
स्वाचालित किराया संग्रहण	1,254.65	1,801.70	3,056.35	2,837.14	219.21
भवन और वायुबद्ध, ब्रिड टनल्स, कल्वर्ट्स बंडर्स	1,19,902.18	1,14,160.36	2,34,062.54	97,138.52	1,36,924.02
विद्युत स्थापन और उपकरण	53.84	58.23	112.07	112.07	-
एस्कलेटर्स और एलीवेटर्स	2,088.66	2,388.87	4,477.53	2,903.21	1,574.32
फर्नीचर और फिक्सचर्स	86.23	25.59	111.82	86.23	25.59
एलएमआरसी स्टाफ क्वार्टर्स	692.48	7,870.07	8,562.55	-	8,562.55
संयंत्र और मशीनरी	1,269.98	208.15	1,478.13	310.60	1,167.53
सचल स्टॉक और सिगनलिंग	16,118.28	43,094.94	59,213.22	36,457.04	22,756.18
सुरक्षा उपकरण	253.62	-	253.62	211.65	41.97
साइनेज	566.68	161.55	728.23	728.23	-
टेलीकॉम उपकरण	3,614.79	2,182.32	5,797.11	4,644.03	1,153.08
ट्रेक कार्य (पी-वे)	16,714.07	4,304.46	21,018.53	10,910.15	10,108.38
ट्रेकशन उपकरण	14,694.28	12,612.51	27,306.79	15,673.60	11,633.19
कुल	1,77,309.74	1,88,868.75	3,66,178.49	1,72,012.47	1,94,166.02
जोड़े : निर्माण के दौरान व्यय	7,662.72	14,726.78	22,389.50	9,169.04	13,220.46
कुल योग	1,84,972.46	2,03,595.53	3,88,567.99	1,81,181.51	2,07,386.48

प्रगतिशील कार्य पूंजी में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की परिसंपत्तियां / उपकरण और अक्सरचना (प्रमाणन लंबित) और एलएमआरसी के स्टाफ क्वार्टर्स शामिल हैं। प्रगतिशील कार्य पूंजी में ईआईबी ऋण पर ब्याज के तौर पर रु. 4.95 लाख (पिछले वर्ष रु. 119.00 लाख) शामिल हैं।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां

नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			ऋण शोधन			निवल ब्लॉक		
	01.04.2018 को	वर्धन/समायोजन	कटौती/समायोजन	31.03.2019 को	वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2019 तक	31.03.2019 को	31.03.2018 को
सॉफ्टवेयर और लाइसेंस	174.54	594.45	-	768.99	-	89.45	187.33	581.67	76.65
भूमि के उपयोग के अधिकार	3,737.89	911.56	-	4,649.45	-	109.79	354.44	4,295.01	3,493.24
कुल – चालू वर्ष	3,912.43	1,506.01	-	5,418.44	-	199.23	541.76	4,876.67	3,569.89
पिछले वर्ष	3,911.60	0.82	-	3,912.43	-	154.03	342.53	3,569.89	3,723.09

नोट 3 – अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			ऋण शोधन			निवल ब्लॉक		
	01.04.2017 को	वर्धन/समायोजन	कटौती/समायोजन	01.04.2017 को	वर्धन/समायोजन	वर्ष के लिए	31.03.2018 तक	31.03.2018 को	31.03.2017 का
सॉफ्टवेयर और लाइसेंस	173.71	0.82	-	174.54	-	47.23	97.88	76.65	123.06
भूमि के उपयोग के अधिकार	3,737.89	-	-	3,737.89	-	106.80	244.65	3,493.24	3,600.03
कुल – चालू वर्ष	3,911.60	0.82	-	3,912.43	-	154.03	342.53	3,569.89	3,723.09
पिछले वर्ष	3,810.88	100.72	-	42.03	0.65	147.13	188.51	3,723.09	27.33

#भूमि के उपयोग के अधिकार पर 131.65 लाख रुपये को मूल्य पर अंतिम निर्णय और उस पर औपचारिक समझौता लंबित होने के कारण पूंजीकृत नहीं किया गया है। हकदारी के वर्षों की अनुपस्थिति में ऋणशोधन का लेखांकन नहीं किया गया है।

नोट 4 – प्रगति अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	कुल			वर्ष के दौरान पूंजीकृत		अंतिम शेष
	01 अप्रैल 2018 को	वर्धन/समायोजन	कुल	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	अंतिम शेष	
ईआरपी सॉफ्टवेयर	554.31	(554.31)	-	-	-	-
वेबसाइट	11.14	(11.14)	-	-	-	-
कुल – (चालू वर्ष)	565.45	(565.45)	-	-	-	-
पिछले वर्ष	293.82	271.63	565.45	-	-	565.45

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियाँ

नोट 5 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घकालीन		
विद्युत प्रतिभूति जमा	339.47	177.80
डीएफओ को प्रतिभूति	8.17	8.17
जल कल विभाग के पास प्रतिभूति	11.00	-
कुल	358.65	185.97

नोट 6 – मालसूची

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
खुले औजार, स्पेयर्स और स्टेशनरी	7.78	8.23
कुल	7.78	8.23

नोट 7 – व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत – अच्छे माने गए	202.95	-
- अप्रतिभूत – संदिग्ध माने गए	-	-
घटाएँ: खराब और संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	-
कुल	202.95	-

नोट 8 – नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
i) बैंकों में चालू खातों में शेष	1,424.12	15,026.52
ii) बैंकों में अन्य खातों में शेष	1,25,368.31	1,04,037.05
iii) हस्तगत चेक / ड्राफ्ट	-	64.29
कुल योग	1,26,792.43	1,19,127.86



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां

नोट 9 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अल्पकालीन		
प्रोव्यूत ब्याज	1,374.32	448.76
लीज किराया प्रतिभूति	15.46	15.65
कुल	1,389.79	464.41

(लाख रुपये)

नोट 10 – चालू कर परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
स्रोत पर कर कटौती	17.00	2.72
कुल	17.00	2.72

(लाख रुपये)

नोट 11 – अन्य चालू परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
चालू		
ठेकेदारों को अग्रिम		
- मोबिलाइजेशन अग्रिम	609.90	14,841.40
- सामग्री अग्रिम	-	2,094.79
- संयंत्र और मशीनरी अग्रिम	-	2,152.55
- अन्य अग्रिम*	886.04	821.86
- इनपुट जीएसटी#	84.65	27.62
- अन्य चालू परिसंपत्तियां**	75.45	204.33
- राज्य करों के लिए राज्य सरकार से प्राय	-	1,153.97
कुल	1,656.03	21,296.52

(लाख रुपये)

*अन्य अग्रिमों में आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, पर किया गया 886.04 लाख रुपये (पि.व. 820.10 लाख रुपये) का व्यय शामिल है जिसे उनके निगमन के बाद उनसे वसूल किया जाएगा।

**अन्य चालू परिसंपत्तियों में पीआई अग्रिम, पूर्वदत्त व्यय, बिजली विभाग को अग्रिम अस्थाई इम्प्रूट, आयकर रिफंड प्राय, अपील के तहत भुगतान किया गया कर (पि.व. पूर्वप्रदत्त व्यय, स्टाफ अस्थायी अग्रिम, स्टेशन इम्प्रूट, भूमि अधिग्रहण के लिए एडीएम (एलए) लखनऊ को चेक इत्यादि) शामिल है।

#इनपुट जीएसटी में रोकड़ बही और जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बही में शेष शामिल है।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियाँ

नोट 12 – शेरर पूंजी

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि
प्राधिकृत पूंजी				
100 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
निर्मित, अभिदत्त और प्रदत्त	2,000.00	2,00,000.00	2,000.00	2,00,000.00
100 रुपये प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
कुल	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
(क) रिपोटिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या और राशि का समाधान				
विवरण	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि	शेयरों की संख्या (लाख)	राशि
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर वर्ष के दौरान जारी किए शेयर – नया निर्गम	1,581.65	1,58,165.00	942.65	94,265.00
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	418.35	41,835.00	639.00	63,900.00
	2,000.00	2,00,000.00	1,581.65	1,58,165.00
(ख) 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण				
'शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या (लाख)	धारिता %	शेयरों की संख्या (लाख)	धारिता %
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	996.95	49.85%	930.00	58.80%
भारत के राष्ट्रपति	1,003.00	50.15%	651.60	41.20%



लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियां
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

नोट 13 -- अन्य इक्विटी

(लाख रुपये)

विवरण	लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि	आरक्षित और अधिशेष		पूंजीगत अनुदान		मौद्रिक अनुदान		कुल
		प्रतिधारित आय	अधिशेष	गैर-मौद्रिक अनुदान	गैर-मौद्रिक अनुदान	गैर-मौद्रिक अनुदान	गैर-मौद्रिक अनुदान	
31/03/2017 को शेष	36,400.00	(4,431.99)		-	52,782.86			84,750.87
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवाधि त्रुटियां		(163.86)						(163.86)
उचित मूल्य समायोजन-गैर मौद्रिक अनुदान वर्ष का लाभ		(2,321.74)		19,034.84				19,034.84
अन्य व्यापक आय		(216.54)						(216.54)
अन्य कोई परिवर्तन (आयकर रिफंड)		8.85						8.85
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	59,127.00							59,127.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	(63,900.00)							(63,900.00)
गैर-चालू देयताओं में अंतरित					(47,927.61)			(47,927.61)
कार्यशील पूंजी में अंतरित					(4,436.88)			(4,436.88)
आय में अंतरित					(418.37)			(418.37)
31/03/2018 को शेष	31,627.00	(7,125.28)		19,034.84	-			43,536.56
लेखांकन नीति में परिवर्तन पूर्व अवाधि त्रुटियां		-						-
उचित मूल्य समायोजन-गैर मौद्रिक अनुदान वर्ष का लाभ		(7,555.98)		1,021.70				1,021.70
अन्य व्यापक आय		344.82						344.82
उचित मूल्य समायोजन		(3.47)						(3.47)
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	14,308.00							14,308.00
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	(41,835.00)							(41,835.00)
गैर-चालू देयताओं में अंतरित					(4,264.80)			(4,264.80)
चालू देयताओं में अंतरित					(14,770.04)			(14,770.04)
कार्यशील पूंजी में अंतरित								-
आय में अंतरित								-
31/03/2019 को शेष	4,100.00	(14,339.91)		1,021.70	-			(9,218.21)

आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. 100 रुपये प्रत्येक के जारी किए जाने वाले शेयरों की संख्या 41.00 लाख शेयर (पि.व. 316.27.00 लाख शेयर)
2. उपरोक्त आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 में यूपीएसआईडीसी से प्राप्त 3500 लाख रुपये शामिल हैं जिसमें से 1000 लाख रुपये का आवंटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर किया गया है और बकाया 2500 लाख रुपये का आवंटन अभी लंबित है क्योंकि डीपीआर वित्तीयन पैटर्न के अनुसार शेयर यूपीएसआईडीसी को आवंटित नहीं किए जा सकते।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

वित्तीय विवरणों की भाग रूप टिप्पणियाँ

नोट 14 – उधारियाँ

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज मुक्त और अप्रतिभूत)		
केंद्रीय करों के लिए	44,900.00	39,505.00
भूमि के लिए	36,405.00	29,000.00
भारत सरकार (CoI) से प्राप्त अधीनस्थ ऋण (ब्याज मुक्त और अप्रतिभूत)	81,305.00	68,505.00
केंद्रीय करों के लिए	29,700.00	24,700.00
भारत सरकार द्वारा यूरोपीय निवेश बैंक से प्राप्त ब्याज सहित ऋण	3,50,200.00	1,82,200.00
कुल	4,61,205.00	2,75,405.00

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ:

- भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया ऋण/अधीनस्थ ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर है जिन पर ऐसे ऋण अन्य मेट्रो परियोजना को प्रदान किए जाते हैं और इसलिए ये उचित मूल्य पर माने गए हैं।
- भारत सरकार के माध्यम से ईआईबी से ब्याज सहित ऋण 4 वर्ष की अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद 16 वर्ष (छमाही समान किस्तों) में चुकोती योग्य है।
- भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, ईआईबी से ब्याज सहित ऋण की वापसी के बाद 10 समान किस्तों में चुकोती योग्य है।
- यूरोपीय निवेश बैंक ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के लिए दो टेंचों में 450 मिलियन यूरो (टेंच ए में 200 मिलियन यूरो और टेंच बी में 250 मिलियन यूरो) प्रतिपूर्ति आधार पर मंजूर किए हैं। 30.03.2016 और 30.03.2017 के वित्त समझौते के अनुसार 20 वर्ष की चुकोती अवधि (4 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित) सहित 100 मिलियन यूरो (टेंच ए के पहले भाग) पर 0.287% यूरीबोर, 100 मिलियन यूरो (टेंच ए के दूसरे भाग) पर 0.161% यूरीबोर और 100 मिलियन यूरो (टेंच बी के पहले भाग) पर 0.195% यूरीबोर की ब्याज दर पर 300 मिलियन यूरो का संवितरण किया गया है। भारत सरकार द्वारा निकासी सहायता (PTA) के रूप में सकल बजटीय संसाधनों के माध्यम से एलएमआरसी को ईआईबी से बाहरी ऋण उपलब्ध कराया गया है। भारत सरकार ने 31.03.2019 तक ईआईबी ऋण में से निकासी सहायता के माध्यम से कंपनी को 3,50,200.00 लाख रुपये (पि.व. 1,82,200.00 लाख रुपये) जारी किए हैं। ईआईबी ऋण संप्रभु ऋण हैं और इसलिए भारत सरकार कार्यों के निष्पादन के लिए निकासी सहायता का प्रबंधन कर रही है। 31 मार्च 2019 तक प्राप्त 350200.00 लाख रुपये के पीटीए को दीर्घकालिक उधारियों के तहत अप्रतिभूत ऋण के तौर पर दिखाया गया है। चुकोती अनुसूची के अनुसार कंपनी ने ब्याज के लिए 399.73 लाख रुपये (पि.व. 259.04 लाख रुपये) का प्रावधान किया है।



नोट 15 – अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घकालीन प्राप्त निष्पादन गारंटी ईआईबी ऋण पर ब्याज	516.15 692.25	541.48 292.53
कुल	1,208.41	834.01

नोट 16 – प्रावधान

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ के लिए छुट्टी नकदीकरण	605.78	623.62
कुल	605.78	623.62

नोट 17 – अन्य गैर-चालू देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
गैर-चालू सरकारी अनुदान	47,232.55	47,927.61
कुल	47,232.55	47,927.61

नोट 17 (क) – आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
i) आस्थगित कर परिसंपत्तियां क) आयकर के अनुसार अनवशोषित मूल्यहास ख) कर्मचारी हितलाभ योजना और अन्य का प्रावधान उप योग (i)	-	-
ii) आस्थगित कर देयताएं क) मूल्यहास/ऋणशोधन ख) बट्टे डाले गए प्रारंभिक व्यय उप योग (ii)	-	-
जोड़ें/घटाएं: आरंभिक शेष	-	355.33
आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति) (निवल)	-	-

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य किए जाने की सीमा कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य नहीं की गई है।



नोट 18 – ब्यापार देय

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
सूक्ष्म और लघु स्तर के औद्योगिक उपक्रम(मों) के कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक से देय शून्य रु.)	-	-
मध्यम स्तर के औद्योगिक उपक्रम(मों) के कुल बकाया देय (30 दिनों से अधिक से देय शून्य रु.)	-	-
यात्रा भत्ता देय	-	0.58
प्रोफेशनल और अन्य सेवाएं देय	20.46	20.33
व्यय के विविध लेनदार	803.39	340.66
कुल	823.85	361.57

नोट 19 – अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अल्पकालीन		
जमाराशियां/टेकेदारों और अन्य से प्रतिधारण राशि	7,354.14	6,959.34
कार्यशील पूंजी और पूंजीगत वस्तुओं के लेनदार	20,225.65	18,318.96
अन्य* (व्यय देय)	-	-
कुल	27,579.79	25,278.30

नोट 20 – अन्य चालू देयताएं

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
चालू		
देय शुल्क और कर	1,495.02	1,020.93
कर्मचारियों के देय	252.68	146.04
ग्राहकों से अग्रिम	285.00	87.60
भर्ती के लिए अग्रिम	-	541.34
ग्राहकों से प्रतिभूति जमा राशियां	57.33	18.59
भूमि (बार्टर) के लिए देय#	6,868.52	-
कुल	8,958.55	1,814.50

बार्टर के तहत भूमि के उचित मूल्यांकन के लिए परियोजना (स्टाफ क्वार्टर्स) पूरी करने पर व्यय की जाने वाली अनुमानित लागत

नोट 21 – प्रावधान

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
अल्पकालीन		
कर्मचारी हितलाभ के लिए		
छुट्टी नकदीकरण	21.91	0.64
अन्य*	1,534.41	1,272.97
कुल (क+ख)	1,556.33	1,273.61

*अन्य में सीमा शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान, ग्रेच्युटी अंशदान का प्रावधान, पेंशन अंशदान का प्रावधान इत्यादि शामिल है।

नोट 22 – प्रचालनों से राजस्व

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
फेयर बॉक्स राजस्व	1,079.96	435.45
गैर फेयर बॉक्स राजस्व	424.05	119.95
कुल	1,504.00	555.40

नोट 23 – अन्य आय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय:		
विविध आय	713.40	34.98
ब्याज आय:		
मियादी जमाएं/एफडीआर	7,365.83	5,765.80
फ्लेक्सी जमाएं	129.01	396.03
ई नेट खाते पर ब्याज	477.22	288.00
आस्थगित राजस्व अनुदान	695.06	418.37
उचित मूल्य समायोजन	5.62	28.77
कुल	9,386.14	6,931.95

नोट 24 – प्रचालन व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सुरक्षा व्यय	702.95	666.13
बिजली व्यय	1,447.45	660.82
उपकरण संचालन और अनुरक्षण व्यय	57.36	15.13
हाउसकीपिंग व्यय	298.43	164.05
डिपो संचालन और अनुरक्षण व्यय	70.18	21.30
स्टेशन संचालन और अनुरक्षण व्यय	218.34	70.62
स्टोर और कन्ज्यूमेबल्स	9.57	5.18
बीमा व्यय	14.24	13.49
कुल	2,818.53	1,616.72

नोट 25 – कर्मचारी हितलाभ व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	4,008.12	2,042.37
भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान	452.27	287.38
छुट्टी नकदीकरण व्यय	346.93	314.96
ग्रेज्युटी में अंशदान	109.79	133.56
कुल	4,917.12	2,778.27



नोट 26 – वित्त लागत

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बैंक प्रभार	2.25	1.25
ईआईबी ऋण पर ब्याज	209.21	81.39
कुल	211.46	82.64

नोट 27 – मूल्यहास और ऋणशोधन व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए मूल्यहास और ऋणशोधन		
क) मूर्त परिसंपत्तियां	8,383.11	4,276.82
ख) अमूर्त परिसंपत्तियां	199.23	154.02
कुल	8,582.34	4,430.84

नोट 28 – अन्य व्यय

(लाख रुपये)

विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रिंटिंग और स्टेशनरी व्यय	161.15	115.98
टेलीफोन, इंटरनेट और संचार व्यय	57.95	88.36
पुस्तकें, आवधिक, समाचारपत्र और पत्रिकाओं पर व्यय	0.73	0.71
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3.79	3.79
विज्ञापन और प्रचार व्यय	144.09	123.18
कार्यालय संचालन और अनुरक्षण व्यय	52.41	95.08
डाक और कोरियर व्यय	0.85	0.81
विविध व्यय	0.85	50.93
यात्रा और वाहन व्यय	186.93	130.36
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	692.10	11.16
आतिथ्य और रिफ्रेशमेंट व्यय	94.32	74.10
आउटसोर्सिंग और जॉब वर्क व्यय	156.14	142.52
सांविधिक व्यय	0.19	0.05
सेमिनार, समारोह, सम्मेलन पर व्यय	151.97	233.55
कमीशन और ब्रोकरेज	0.49	0.14
लाइसेंस, विधिक और अन्य व्यय	11.81	9.11
प्रोफेशनल और अन्य सेवाएं	151.39	107.19
किराया, दरें और कर	45.16	43.63
उचित मूल्य समायोजन	4.22	25.29
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ावों का प्रभावे	0.13	0.01
कुल	1,916.68	1,255.95

लेखाओं पर टिप्पणियां

नोट नं. 29 कंपनी सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

29.1 कॉर्पोरेट सूचना

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी" के तौर पर संदर्भित) भारत में अधिवासी और भारत सरकार (GOI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) की 50:50% इक्विटी भागीदारी के साथ निगमित (CIN: U60300UP2013SGC060836) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ शहर में मेट्रो रेल द्वारा व्यापक तीव्र परिवहन प्रणाली (MRTS) के निष्पादन हेतु 25 नवंबर, 2013 को विशेष उद्देश्य वाहक (SPV) के रूप में इसका गठन किया गया। भारत सरकार (GoI)—शहरी विकास मंत्रालय ने पत्र सं. K-14011/27/2013-MRTS-IV दिनांक 25 जनवरी, 2016 के माध्यम से लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए के कार्यान्वयन को अपना अनुमोदन प्रदान किया।

29.2 हाल की लेखांकन घोषणाएं

मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं। मार्च 2019 में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए दिनांक 30 मार्च 2019 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 जारी करके नया लीज मानक इंड एस 116 अधिसूचित किया। यह संशोधन इंड एस 17, लीज के स्थान पर है। इंड एस 12, आयकर पर परिशिष्ट ग, 'आयकर उपचारों पर अनिश्चितता' का अंतर्वेशन भी अधिसूचित किया गया है। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी पर लागू होंगे।

क. इंड एस 116 'लीज'

यह मानक इंड एस 17 को प्रतिस्थापित करता है। मुख्य परिवर्तनों में शामिल हैं:

- पट्टेदार की बहियों में लीज को परिचालन या वित्तीय लीज के तौर पर वर्गीकृत करने की अपेक्षा को खत्म करता है।
- एक एकल पट्टेदार लेखांकन मॉडल पेश करता है जिसमें पट्टेदार को सभी लीजों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को चिन्हित करना अपेक्षित होता है। संस्था इस लेखांकन अपेक्षा को अल्पावधि लीजों और उन लीजों पर लागू नहीं करने का चुनाव कर सकती है जिनकी अंतर्निहित संपत्ति कम मूल्य की है।
- पट्टेदार से नकदी प्रवाह विवरण में क्रमशः वित्तपोषण गतिविधियों और वित्तपोषण/परिचालन गतिविधियों के भीतर लीज व्यवस्था के मूलधन और ब्याज हिस्से के लिए नकद भुगतान को वर्गीकृत करने की अपेक्षा करता है।
- संस्थाओं को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या कोई अनुबंध किसी चिन्हित परिसंपत्ति के यह निर्धारण करने के लिए उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है कि वह अनुबंध एक लीज है या उसमें लीज निहित है।

ख. इंड एस 12 के रूप में "आयकर में परिशिष्ट ग का अंतर्वेशन"

इंड एस 12 में चालू और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए मान्यता और मापन सिद्धांतों का प्रावधान है। हालांकि, इसमें चालू और आस्थगित करों का मापन करते समय, संदर्भित कराधान प्राधिकारी या न्यायालय में लंबित निर्णय के संबंध में, किसी अनिश्चित कर उपचार के लेखांकन के संबंध में मार्गदर्शन का प्रावधान नहीं है। अब संस्थाओं को वस्तुओं या लेनदेन के आयकर उपचार पर अनिश्चितताओं के प्रभाव का आकलन करना अपेक्षित होगा और कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर रिटर्न में उपचार को स्वीकार करने की संभावना के आधार पर, संस्था या तो वित्तीय विवरणों में अनिश्चितता का प्रकटन करेगी या उस वर्ष के कर प्रावधान में उसका समायोजन शामिल करेगी।

अंतर्वेशन कोई नई प्रकटीकरण अपेक्षा पेश नहीं करता, किंतु इंड एस 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और इंड एस 12 के तहत महत्वपूर्ण प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुपालन की जरूरत को मजबूत करता है।



अंतर्वेशन को कर योग्य लाभ, कर आधारों, अप्रयुक्त कर घाटों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण पर लागू किया जाना है, जहां इंड एस 12 के तहत आयकर उपचार पर अनिश्चितता है।

इसके अलावा, यदि कोई संस्था अनिश्चित कर उपचार से जुड़ी ब्याज और जुर्मानों के लिए देय या प्राप्य किसी विशेष राशि को आयकर मानती है, तो वह राशि इस व्याख्या के दायरे में है और जहां कोई कंपनी इसकी बजाय इन राशियों के लिए इंड एस 37, प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक राशि, को लागू करती है, तो इस पर यह व्याख्या लागू नहीं होती। यह व्याख्या व्यापार के संयोजन से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रभावित करने वाली अनिश्चितता पर भी लागू होगी।

कंपनी संशोधनों की अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव, यदि कोई हों, का मूल्यांकन कर रही है।

29.3 लेखांकन और वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

अनुपालन का कथन

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित, भारतीय लेखांकन मानकों (Ind. AS) और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये ('INR') में तैयार किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण जारी करने के लिए निदेशक मंडल ने दिनांक 27 जुलाई, 2019 को अधिकृत और अनुमोदित किया।

तैयार और प्रस्तुत करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भूत आधार पर, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं जिनका प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर मापन किया जाता है को छोड़कर तैयार किए गए हैं, जैसा नीचे दी गई लेखांकन नीतियों में व्याख्या की गई है।

चलायमान प्रतिष्ठान अनुमान

वित्तीय विवरण चलायमान प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं क्योंकि बोर्ड का यह विचार है कि निकट भविष्य में कंपनी प्रचालन अस्तित्व को जारी रखेगी और भुगतान हेतु देय होने पर देयताओं की पूर्ति करेगी।

अनुमानों का प्रयोग और प्रबंधन का निर्णय

वित्तीय विवरण इंड. एस के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान और धारणाएं भी अपेक्षित होती हैं जो सूचित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की सूचित राशियों तथा वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों, देयताओं की सूचित राशियों और आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों के प्रकटन को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और लेखांकन अनुमान में संशोधन उस अवधि में मान्य किए जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतरों को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, वित्तीय विवरणों में मान्य की गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और निर्णायक निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है:

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: कंपनी के परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण अनुपात दर्शाते हैं। आवधिक मूल्यहास के संबंध में प्रभार किसी परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन, उसके जीवन के अंत में प्रत्याशित अवशिष्ट मूल्य के

अनुमान और मूल्यहास की विधि का निर्धारण करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य, प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय निर्धारित किए जाते हैं और मूल्यहास विधि के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवन समान अनुभवों के साथ ही भविष्य की घटनाओं के अनुमान के साथ ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन।

ख. प्रावधान: प्रावधान तब मान्य किए जाते हैं जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होता है, यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा और राशि का अनुमान लगाया जा सके। भविष्य के प्रचालन नुकसानों के लिए प्रावधान मान्य नहीं किए जाते। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित प्रबंधन अनुमान के आधार पर किया जाता है।

ग. आकस्मिक देयताएं / परिसंपत्तियां: आकस्मिक देयताओं का प्रकटन पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में किया जाता है लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या जहां किसी मौजूदा दायित्व का मापन संसाधनों के भविष्य के बहिर्वाह के संदर्भ में नहीं किया जा सके या जहां दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सके। आकस्मिक देयताओं / परिसंपत्तियों का प्रकटन, जहां भी आवश्यक हो, प्रबंधन / स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है।

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर इनकी समीक्षा और मौजूदा प्रबंधन अनुमान दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है।

घ. परिभाषित लाभ बाध्यता: कंपनी में परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। कंपनी अपने कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान के माध्यम से इस योजना का वित्तपोषण करती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक तौर पर कंपनी की देयता निर्धारित (अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) की जाती है।

ङ. बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनःमापन: परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर), को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।

च. पीपीई का हानि परीक्षण: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को, निवल संचित मूल्यहास / ऋणशोधन और नुकसान, यदि कोई हो, सहित लागत पर वर्णित किया जाता है। लागत में आयात शुल्क और अन्य अप्रतिदेय करों, और परिसंपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील हालत में लाने के लिए आरोप्य प्रत्यक्ष लागत सहित इसका खरीद मूल्य शामिल होता है।

छ. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता: आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य किए जाने की सीमा कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित होती है जिसके लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा, किसी विधिक या आर्थिक सीमा के प्रभाव के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय अपेक्षित होता है।

उपरोक्त के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वहन राशि संबंधित नोटों में संदर्भित की जाती है।



29.4 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण नीचे दिया गया है:

क. कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये – INR(₹), जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है में प्रस्तुत किए गए हैं। विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन तिथियों पर रुपये में मौजूदा विनिमय दर पर मान्य किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन के समाधान पर प्राप्त लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण या कार्यशील पूंजी, जिससे भी संबंधित हो, में मान्य किया जाता है।

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उनकी अधिग्रहण लागत/ऐतिहासिक लागत पर दर्शाए जाते हैं। स्थिर परिसंपत्तियां संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाई जाती हैं। लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की आरोप्य लागत शामिल है। नियत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधारी लागतों और अन्य प्रत्यक्षतः आरोप्य लागतों जो उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं को भी उस अवधि की सीमा तक शामिल किया जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां उपयोग करने के लिए तैयार रहती हैं। स्थिर परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों से, या तो निपटान पर या सक्रिय उपयोग से निवृत्त होने पर हटा दिया जाता है।

ग. परियोजना के एक से अधिक खंडों के लिए सामान्य परिसंपत्तियों और प्रणालियों को तकनीकी अनुमानों / आकलनों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

घ. परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग में लाने के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य सभी लागतों को इंड. एएस 16 के प्रावधानों के अनुसार परिसंपत्तियों की लागत में शामिल किया जाता है।

ङ. अनुबंधों को निष्पादन एजेंसियों से प्राप्त लेखा विवरण और इसकी अनुपस्थिति में निष्पादित कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण होने पर पूंजीकृत किया जाता है।

च. यात्रियों के सार्वजनिक वहन हेतु खोले जाने वाले नए खंड के लिए परिसंपत्तियों का पूंजीकरण कंपनी में परिभाषित मानक परिचालन प्रक्रियाओं, प्रशासनिक औपचारिकताओं के अनुसार सभी प्रकार से इसकी पूर्णता सुनिश्चित करने और ऐसे खंड को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनिवार्य निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन के बाद किया जाता है।

प्रयोग में लाई जाने वाली परिसंपत्तियों, जहां ठेकेदारों के बिलों का अंतिम समाधान अभी किया जाना है, के मामले में अंतिम समाधान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अस्थायी आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

छ. स्टेशन प्रवेश और निकास के निर्माण की अनुमतियों के लिए विभिन्न भूस्वामी एजेंसियों को किए गए भुगतान को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर ऋणशोधित किया गया है।

ज. प्रमुख निरीक्षण, मरम्मत और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने पर व्यय को पूंजीकृत किया जाएगा, यदि यह संभव हो कि इसमें सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय तौर पर मापी जा सके।

झ. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण मद की वहन राशि के निपटान से प्राप्त आय से तुलना करके किया जाता है, और लाभ और हानि के विवरण में विविध/अन्य आय और हानि के भीतर निवल में मान्य किया जाता है।

29.5 भूमि

- क. कंपनी के लिए भूमि खरीदने हेतु में कंपनी हेतु स्वीकृत भूमि के लिए ब्याज—मुक्त अधीनस्थ ऋण के भाग रूप में प्राप्त राशि को भूमि के लिए ब्याज—मुक्त अधीनस्थ ऋण माना गया है।
- ख. कब्जे में लीज होल्ड भूमि सहित भूमि की लागत या मुआवजे के तौर पर अस्थायी तौर पर भुगतानों / व्यवस्थित देयता को, भूमि या लीज होल्ड भूमि की लागत माना जाता है। अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि के लिए किए गए अस्थायी भुगतानों / व्यवस्थित देयता को भूमि की कब्जा अवधि के लिए ऋणशोधित किया गया है।
- ग. एलएमआरसी द्वारा खरीदे गए भूमि खंडों जिनके कब्जे का लंबित पंजीकरण प्राप्त किया गया है, का उनके लिए किए गए भुगतान के आधार पर लेखांकन किया गया है।
- घ. एलएमआरसी को उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ भूखंड मुफ्त प्राप्त हुए हैं। इन भूखंडों को प्रति भूखंड 1/- रुपये की सांकेतिक राशि पर फ्रीहोल्ड भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि ये भूखंड इंड. एएस लागू होने से पूर्व प्राप्त किए गए थे, अतः इन्हें इंड एएस 101 में अनुमत छूट के अनुसार 1/- रुपये के मामूली मूल्य पर जारी रखा गया है।
- ङ. परिसंपत्ति के विनिमय में प्राप्त भूमि को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। प्राप्त भूमि के उचित मूल्य और परिसंपत्ति की दी गई लागत के बीच अंतर को स्वीकार्य सरकारी अनुदान के रूप में मान्य किया गया है। इन अनुदानों का स्थगित आय शीर्ष के तहत लेखांकन किया जाता है और इसे इंड एएस 20 के प्रावधानों के अनुसार ऋणशोधित किया जाता है।
- च. परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (PAPs) के पुनर्वास की लागत से संबंधित प्रतिपूर्ति, प्रतिस्थापन इत्यादि को कार्यशील पूंजी में दर्ज किया और पूरा होने पर संबंधित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।
- छ. सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि जिसका स्वामित्व एलएमआरसी के पास निहित है को प्राप्त भूमि के उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है। उचित मूल्य की गणना ऐसी भूमि की प्राप्ति की तारीख को प्रभावी उस क्षेत्र की सर्कल दरों के आधार पर की जाती है।

29.6 कार्यशील पूंजी:

- क. पूंजीगत परिसंपत्तियों जो निर्माणाधीन हैं और इच्छित उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं, की लागत में परियोजना / परिसंपत्ति के लिए प्रत्यक्षतः आरोप्य अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय शामिल है।
- ख. परियोजनाओं हेतु प्रत्यक्षतः आरोप्य प्रशासनिक, अप्रत्यक्ष और सामान्य ऊपरी खर्चों (निवल आय) को पूंजीकृत परिसंपत्तियों के अनुपात में आवंटित किया जाता है।
- ग. निर्माण अवधि से संबंधित राशियों जैसे मूल्य भिन्नता, अंतिम जुमाने (इक्विटी, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण और अनुदान द्वारा प्राप्त धन के अस्थायी नियोजन से प्राप्त ब्याज के अलावा) इत्यादि का निर्माण के दौरान व्यय से समायोजन किया गया है।
- घ. मूल्य भिन्नता सहित दावों का लेखांकन अनुमोदन और स्वीकृति पर किया जाता है। तरल क्षति का लेखांकन अंतिम बिल के निपटान पर किया जाता है।

29.7 निर्माण के दौरान ब्याज आवंटन

वर्ष के दौरान शुरू की गई अर्हक परिसंपत्तियों के संबंध में निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) का आवंटन चालू किए जाने वाले महीने के अंत में अर्हक कार्यशील पूंजी की तुलना में चालू की गई परिसंपत्ति के मूल्य के अनुपात में किया जाता है। अन्य मामलों में, आईडीसी का आवंटन अंतिम खंड के पूंजीकरण की तारीख के आधार पर किया जाता है।



29.8 मूल्यहास / ऋणशोधन

क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों/घटकों के संबंध में, जहां उपयोगी जीवन कंपनी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

क्र.सं.	परिसंपत्ति	उपयोगी जीवन (वर्ष)
ए	रोलिंग स्टॉक	30
ए 1	रोलिंग स्टॉक के घटक— विद्युत आपूर्ति, सहायक उपकरण, ब्रेक, वातानुकूलन प्रणाली, इंटीरियर्स, बोर्ड नियंत्रण, उद्घोषणा और सीसीटीवी सिस्टम	18
बी	एस्केलेटर	30
बी 1	एस्केलेटर के घटक – हैंड रेल	7
बी 2	एस्केलेटर के घटक—स्टेप और चेन रोलर, रिले, टाइमर और नियंत्रण गियर	8
बी 3	एस्केलेटर के घटक— शेष घटक	15
सी	एलीवेटर	30
सी 1	एलीवेटर के घटक – ट्रैकशन मशीन/मोटर, गवर्नर, एंटी क्रीप उपकरण	20
सी 2	एलीवेटर के घटक – सुरक्षा गियर रस्सी, होइस्टिंग चेन/रस्सी	8
सी 3	एलीवेटर के घटक – कांटैक्टर्स, रिलेज	10
सी 4	एलीवेटर के घटक – शेष घटक	30
डी	एएफसी के घटक	
डी 1	सीएससी (कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट कार्ड)	7
डी 2	सीएसटी (कॉन्टेक्टलेस स्मार्ट टोकन)	5
डी 3	शेष घटक	10
ई	मोबाइल हैंडसेट	3
एफ	साइनेजेज	2
जी	ट्यूबवेल्स	15

परिसंपत्तियों के घटकों की पहचान के लिए विचारित मापदंड:

मुख्य परिसंपत्ति के संबंध में 10 लाख रुपये या अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों और मुख्य परिसंपत्ति के 10% से अधिक मूल्य वाले घटकों पर ही घटकीकरण का विचार किया गया है।

- घटक का अधिकतम जीवन मूल परिसंपत्ति के जीवन तक सीमित किया गया है।

- परिसंपत्तियों के समान उपयोगी जीवन वाले महत्वपूर्ण घटकों को प्रमुख संपत्ति से संबंधित प्रतिशत का विचार न करते हुए, एक साथ जोड़ा गया है। शेष घटकों या नगण्य मदों को मूल परिसंपत्ति से मिलाकर जोड़ा गया है।
- भूमि, ट्रैक कार्य (स्थायी मार्ग) और अमूर्त परिसंपत्तियों का घटकीकरण नहीं किया गया है क्योंकि अलग-अलग घटकों की पहचान संभव नहीं है।
- वाहनों, अस्थायी ढांचों, सर्वेक्षण/सुरक्षा उपकरणों, आईटी प्रणाली, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर और जुड़नारों और संबंधित संपत्तियों को घटक नहीं बनाया गया है क्योंकि कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के संबंध में उनके मूल्य काफी नगण्य हैं।
- 5000/- रुपये या कम की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के तथ्यात्मक पहलू पर विचार करते हुए खरीद के वर्ष में पूरी तरह से ऋणशोधन कर दिया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति की मूल लागत के 5% के अवशिष्ट मूल्य को मूल्यहास माना जाता है और कटौती की जाती है।
- मूल्यहास उस दिन से आनुपातिक आधार पर लगाया गया है जिस दिन परिसंपत्तियां उपयोग के लिए तैयार थीं। मौजूदा परिसंपत्तियों, जो मुख्य परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग हैं में संवर्धन/कटौती पर मूल्यहास उन परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर लगाया गया है।
- पूंजीकृत की गई प्रमुख मरम्मत और निरीक्षण लागतों पर अगली अनुसूचित कटौती या वास्तविक प्रमुख निरीक्षण/मरम्मत, जो भी पहले हो तक मूल्यहास किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर से भविष्य के आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया है और सरल रेखा पद्धति पर 5 वर्षों की अवधि में ऋणशोधित किया गया है।
- उन मदों, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं है, पर व्यय ऐसे व्यय के वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

29.9 विदेशी मुद्रा

- विदेशी मुद्राओं में अंकित लेनदेन को लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।
- विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तारीख को बंद विनिमय दर पर कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।
- मौद्रिक मदों के निपटान या रूपांतरण से उत्पन्न विनिमय अंतर इसके उत्पन्न होने के वर्ष में लाभ या हानि/कार्यशील पूंजी, जैसी भी स्थिति हो, में मान्य किए जाते हैं।
- यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से ऋण भारत सरकार (GoI) से निकासी सहायता (PTA) के रूप में प्राप्त किया गया है। ऋणवापसी पर विदेशी मुद्रा में किसी उतार-चढ़ाव को भारत सरकार की सलाह पर लेनदेन आधार पर मान्य किया जाएगा।

29.10 परिसंपत्तियों का नुकसान

प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर यह आकलन करने के लिए परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है कि क्या आंतरिक और बाह्य कारकों के आधार पर नुकसान का कोई संकेत है। ऐसे आकलन पर किसी नुकसान को मान्य किया जाएगा जहां भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो। संपत्ति की वसूली योग्य राशि निवल बिक्री मूल्य या उपयोगी मूल्य, जो भी अधिक हो, है। उपयोगी मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूंजी के भारित औसत लागत का उपयोग करके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। पहले से मान्य नुकसान का आगे इस सीमा तक प्रावधान किया या परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर उलटा जाता है कि परिसंपत्तियों की राशि वहन राशि से अधिक न हो जिससे यह निर्धारित किया जाए कि कोई नुकसान पहले मान्य किया गया था। नुकसान, यदि कोई हो, को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।



29.11 राजस्व मान्यता (Ind AS 115)

1 अप्रैल, 2018 से, कंपनी ने इंड एस 115 “ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व” को अपनाया, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा दी गई है कि राजस्व को कितना और कब मान्य किया जाना है। इंड एस 115, इंड एस 18 राजस्व और इंड एस 11 निर्माण अनुबंध को प्रतिस्थापित करता है। कंपनी ने संचयी अटकाव पारगमन विधि का उपयोग करते हुए इंड एस 115 को अपनाया है, जो 1 अप्रैल 2018 तक पूरा नहीं किए गए अनुबंधों पर लागू किया गया है। संचयी अटकाव पारगमन विधि के अनुसार, तुलनात्मक राजस्व का पूर्वव्यापी रूप से समायोजित नहीं किया गया है। नियत-मूल्य, निश्चित-समय सीमा अनुबंधों से राजस्व, जहां प्रदर्शन दायित्वों को समय के दौरान पूर्ण किया जाता है और जहां माप या विचार की सामूहिकता के रूप में कोई अनिश्चितता नहीं है, को पूर्णता प्रतिशत के अनुसार मान्य किया जाता है। जब माप या अंतिम सामूहिकता के रूप में अनिश्चितता हो, तो ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व मान्यता स्थगित कर दी जाती है। पूर्णता की दिशा में प्रगति के मापन के लिए व्यय या लागत का उपयोग किया गया है क्योंकि इनपुट और उत्पादकता के बीच सीधा संबंध है। अनुरक्षण राजस्व को अंतर्निहित रखरखाव व्यवस्था की अवधि में मान्य किया गया है। मानक को अपनाने से कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

- क. टिकट/टोकन से राजस्व को उसकी खरीद की तारीख और स्मार्ट कार्ड के मामले में वास्तविक उपयोग के मूल्य के आधार पर मान्य किया जाता है।
- ख. स्कैप की बिक्री से आय को प्राप्ति आधार पर मान्य किया जाता है।
- ग. फ्लेक्सी जमा और टीडीआर/एफडीआर पर ब्याज आय को, निवेश की गई राशि, लागू दरों और बैंकों द्वारा जारी ब्याज प्रमाणपत्र के अनुसार अर्जित ब्याज को लेखा में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मान्य किया गया है। एफडीआर पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया गया है।
- घ. संपत्ति और किराए पर दिए गए स्थान के मामले में किराए पर आय को लाइसेंसधारक/पट्टेदार/रियायतधारी इत्यादि के साथ अनुबंध समझौते के नियमों और शर्तों के आधार पर मान्य किया गया है।
- ङ. उपयोग किए गए स्थान में विज्ञापन से प्रोद्भूत राजस्व का अनुबंध शर्तों पर आधारित प्रोद्भूत आधार पर लेखांकन किया जाता है।

29.12 मालसूची

कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर और स्पेयर्स का मूल्यांकन लागत के निम्नतम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। मालसूची की लागतों में खरीद की सभी लागतें और सामान को उनके मौजूदा स्थान और स्थिति में लाने में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। खरीद की लागतों में शुल्कों और करों (बाद में कर अधिकारियों से वसूली योग्य के अलावा), माल की आवक और अधिग्रहण पर आरोप्य अन्य व्यय सहित खरीद मूल्य शामिल हैं। खरीद की लागत का निर्धारण करने में व्यापार छूट, छूटें और अन्य समान वस्तुओं की कटौती की जाती है।

29.13 नकदी और नकदी समतुल्य

तुलनपत्र में नकदी और नकद समतुल्यों में बैंकों में और हस्तगत नकदी और तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाएं शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

29.14 कर्मचारी हित लाभ

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के प्रति अंशदान नियामक प्राधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें कंपनी का और कोई दायित्व नहीं है। ऐसे लाभों को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी मासिक आधार पर किए गए अंशदान के अलावा कोई और दायित्व नहीं निभाती है। ऐसे अंशदान को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

कंपनी में परिभाषित हितलाभ ग्रेच्युटी योजना है। कंपनी अपने कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम को वार्षिक अंशदान के माध्यम से इस योजना का वित्तपोषण करती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक तौर पर कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है।

बीमांकिक लाभों और हानियों सहित, पुनःमापन परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर), को तुलनपत्र में ओसीआई के माध्यम से धारित अर्जन में समान रूप से डेबिट या क्रेडिट करके उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं। पुनःमापन को बाद की अवधियों में लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है।

संचित छुट्टियां, जिनका वर्ष के अंत से बारह महीनों के भीतर लाभ लिया जाना या नकदीकरण कराया जाना चाहिए, को लघु कर्मचारी लाभ माना जाता है। वर्ष के अंत में अनप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि के रूप में संचित छुट्टियों की अपेक्षित लागत पर उसके प्रति दायित्व का मापन किया जाता है।

संचित छुट्टियां, जिनके वर्ष के अंत से बारह महीने से अधिक समय तक लाभ उठाने या नकदीकरण कराने की अपेक्षा की जाती है, को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना जाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक रूप से कंपनी की देयता निर्धारित की जाती है।

29.15 बीमा दावे

बीमा दावों का दावों की स्वीकृति पर आधार पर लेखांकन किया जाता है।

29.16 अनुदान सहायता

परिसंपत्तियों के सृजन हेतु पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से अनुदान को आरंभ में 'आस्थगित राजस्व' के तौर पर दर्शाया जाता है। उन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के अनुपात में संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन में इन्हें प्रति वर्ष आय के रूप में मान्य किया जाता है।

सरकारी/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से राजस्व में अनुदान को लाभ और हानि विवरण में 'अन्य आय' शीर्ष के तहत मान्य किया जाता है।

कंपनी द्वारा गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त करने पर, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित सकल मात्रा में दर्ज किया जाता और अंतर्निहित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन और लाभ की खपत के आधार पर आय विवरण में निर्मुक्त किया जाता है।

राज्य करों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी (CWIP) से समायोजित/कटौती की गई है।

29.17 परिसंपत्तियों का नुकसान

उधारी लागत में ब्याज और उधार की व्यवस्था के संबंध में व्यय की गई सहायक लागत शामिल है और इसे प्रभावी ब्याज दर के आधार पर लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।



उधारी लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले उस सीमा तक विनिमय अंतर शामिल हैं, जहां तक उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के तौर पर माना जाता है।

यूरोपीय निवेश बैंक (EIB) से ऋण भारत सरकार, ळवपद्ध से निकासी सहायता (PTA) के माध्यम से भारतीय रुपये में प्राप्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निकासी सहायता (PTA) 450 मिलियन यूरो (3,50,200 लाख रुपये के समतुल्य) के लिए ईआईबी और उधारकर्ता के रूप में EIB भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित वित्तीय अनुबंध पर आधारित है। ऋण को भारत सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा प्रतिभूत किया गया है। भारत सरकार के बजटीय प्रावधानों के अनुसार ऋणों का संवितरण ट्रेंचों के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय (MoUD) के अपने योजना बजट से भारतीय रुपये में ऋण दिया। चुकौती पर किसी भी विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव को भारत सरकार की सलाह पर लेनदेन के आधार पर मान्य किया जाएगा। वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार से निकासी सहायता के रूप में 1,68,000 लाख रुपये (पिछले वर्ष 98100 लाख) की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ब्याज के लिए 399.72 लाख रुपये (पिछले वर्ष 259 लाख) का प्रावधान किया है।

अर्हक परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए आरोग्य उधारी लागत को, ऐसी परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधारी लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे घटित होती हैं।

29.18 अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण सभी गैर-सरकारी ऋण (यानी प्रमुख ऋणों) की चुकौती के बाद चुकौती योग्य हैं। इन ऋणों को दीर्घकालिक उधारियों के तौर पर मान्य किया गया है। अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त हैं। सरकारी आदेश के अनुसार, कंपनी को परियोजना के लिए प्राप्त किए गए पूरे प्रमुख सावधि ऋण की चुकौती के बाद ही अधीनस्थ ऋण की चुकौती करनी अपेक्षित है। चुकौती की अवधि की अनिश्चितता के मद्देनजर, कंपनी ने सरकारी अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं समझा है।

29.19 कराधान

आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर की गणना तुलनपत्र विधि का उपयोग करके की जाती है। आस्थगित कर देयताएं सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्य की जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि संभवतः अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट (एमएटी क्रेडिट हकदारी) या कटौती योग्य अस्थायी अंतर भविष्य में कर योग्य आय के सापेक्ष उपयोग किया जाएगा।

अमान्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पुनःनिर्धारित और इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि संभवतः भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति हो सकेगी।

चालू कर और आस्थगित कर सहित आय कर व्यय को लाभ या हानि में मान्य किया जाता है, अन्य व्यापक आय (OCI) या इक्विटी में प्रत्यक्षतः मान्य मदों से संबंधित को छोड़कर, जिन मामलों में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्य किया जाता है।

29.20 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

कोई प्रावधान तब मान्य किया जाता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का चालू दायित्व (कानूनी या सृजनात्मक) हो और यह संभव हो कि दायित्व के समाधान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह अपेक्षित होगा जिसके संबंध में एक

विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। प्रावधानों का निर्धारण तुलनपत्र की तारीख पर दायित्व के समाधान के लिए प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है और वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती। आकस्मिक देयताओं का प्रकटन प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता किंतु वित्तीय विवरण में प्रकटन किया जाता है।

29.21 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)&7 में 'नकदी प्रवाह का विवरण' पर निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

29.22 वित्तीय लिखते

बीमा दावों का दावों की स्वीकृति पर आधार पर लेखांकन किया जाता है।

क. मान्यता, प्रारंभिक मापन और अमान्यीकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को, कंपनी के लिखत के संविदात्मक प्रावधान का पक्ष बनने पर मान्य किया जाता है और आरंभिक तौर पर लेनदेन लागत द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर, आरंभ में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर, मापन किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां तब अमान्य की जाती हैं जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह का अनुबंध अधिकार समाप्त हो जाता है, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाते हैं। किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब वह मंद, मुक्त, रद्द की जाती या समाप्त हो जाती है।

ख. वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और पश्चातवर्ती मापन

पश्चातवर्ती माप के प्रयोजन से, प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रभावी ब्याज विधि (EIR) का उपयोग करते हुए अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (FVOCI) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियां कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर नुकसान के समीक्षाधीन हैं। किसी वित्तीय परिसंपत्ति को कंपनी में एफवीटीपीएल में नामित नहीं किया गया है।

ग. वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और पश्चातवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन पश्चातवर्ती तौर पर प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करते हुए ऋणशोधित लागत पर किया जाता है, सिवाय एफवीटीपीएल में व्यापार या नामित वित्तीय देयताओं के, जो लाभ या हानि में मान्य लाभ या हानि सहित उचित मूल्य पर किए जाते हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का लेखांकन एफवीटीपीएल में किया जाता है। ऐसी किसी वित्तीय देयताओं को कंपनी में एफवीटीपीएल में नामित नहीं किया गया है।



घ. प्रभावी ब्याज दर (EIR) की गणना निम्नानुसार की जाती है:

- वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं, जिन पर बाजार दर पर ब्याज लगता है: इन मामलों में ईआईआर लिखतों की ब्याज दर के बराबर है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के लिए: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उच्चतम उपलब्ध अवधि की SBI-MCLR/आधार दर।

29.23 खंड रिपोर्टिंग:

प्रचालन खंड को मुख्य प्रचालन निर्णय कर्ता (CODM) को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप सूचित किया जाता है। कंपनी के प्रबंध निदेशक को सीओडीएम के रूप में चिन्हित किया गया है और वह संसाधनों के आवंटन, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करने और नीतिगत निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने सीओडीएम द्वारा समीक्षित सूचना के आधार पर "लखनऊ में मेट्रो रेल सुविधा के प्रचालन और रखरखाव" का एक सूचनीय खंड चिन्हित किया है।

29.24 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण:

कंपनी चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। उत्पादों की प्रकृति और नकदी और नकदी समकक्षों में प्रसंस्करण और उनकी प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन से बारह महीने का अपना प्रचालन चक्र निर्धारित किया है।

30 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

(लाख रुपये)

क्र.सं.	विवरण	31.03.19 को	31.03.18 को
1	उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए क्रॉसिंग प्रभार	124.00	124.00
2	बीएसएनएल द्वारा दावा किया गया दंड	21.00	21.00
3	दिनेश कुमार पाठक के अदालती मामले से संबंधित भूमि अधिग्रहण (अदालती मामला खारिज)	शून्य	4.00
4	मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि के लिए उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 100% सर्कल दर पर मांगा गया भूमि का 2554.00 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा और 30 वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क	2554.00	2554.00
5	मेट्रो रेल परियोजना के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि के लिए यू.पी. कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 100% सर्कल दर पर मांगा गया भूमि का 108.00 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा उ.प्र. सरकार के पत्र सं. 692/आठ-7-2019 दिनांक 14.06.2019 के अनुसार यह देय नहीं है	शून्य	108.00
6	लखनऊ हवाई अड्डे पर कार्स्टिंग यार्ड की भूमि का 2440.00 लाख रुपये किराया (पत्र सं. 3905/LMRC/CPM/1/AAI/Land/2019 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार 228.62 लाख रुपये की राशि पुष्ट देयता के तौर पर दर्ज की गई है। इसका अंतर आकस्मिक देयता में दर्शाया गया है)	2211.00	2440.00
7	एचडीएफसी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार यूएसडी में ऋण पत्र	1220.85	2960.00
8	एचडीएफसी बैंक से एलसी व्यवस्था के अनुसार यूरो में ऋण पत्र	1894.33	2231.00
9	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के पूर्व-पश्चिम कोरीडोर की डीपीआर के पुनरीक्षण के लिए मै. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	9.00	9.00
10	निर्माण अवधि के दौरान रेलवे भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को देय शुल्क 14.00 लाख रुपये का प्रकटन आकस्मिक देयताके तौर पर किया गया था। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे ने राशि को संशोधित करके 10.17 लाख रुपये कर दिया। वर्ष के दौरान 10.17 लाख रुपये की मांग के सापेक्ष 8.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। मांग और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	1.67	14.00



11	रेलवे भूमि पर पारगमन की अनुमति हेतु पूर्वोत्तर रेलवे को देय शुल्क 895.00 लाख रुपये का प्रकटन आकस्मिक देयता के तौर पर किया गया था। वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे ने राशि संशोधित करके 955.00 लाख रुपये कर दी। वर्ष के दौरान 780 लाख रुपये की राशि भुगतान की गई। मांग और भुगतान की राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	175.00	895.00
12	हजरतगंज रैम्प के लिए एलएमआरसी को हस्तांतरित भूमि हेतु यू.पी. कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ द्वारा 100% सर्कल दर पर मांगे गए भूमि के 285.00 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजे की मांग	285.00	285.00
13	उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित अदालती मामले के संबंध में	5.00	5.00
14	प्रभु साहनी बनाम कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. और एलएमआरसी लि. के लंबित अदालती मामले के संबंध में	0.89	शून्य
15	हजरतगंज में डीआरएम कार्यालय, रेलवे की भूमि के उपयोग के संबंध में आकस्मिक देयता। उत्तर रेलवे द्वारा 161.19 लाख रुपये की राशि मांगी गई है। 131.65 लाख रुपये की राशि पुष्ट देयता के तौर पर स्वीकार की गई है। मांगी गई और स्वीकार की गई राशि के बीच अंतर को आकस्मिक देयता के तौर पर मान्य किया गया है।	29.53	शून्य
16	पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए पर्यवेक्षण प्रभारों के संबंध में। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 6.25% की दर से पर्यवेक्षण प्रभार मांगे गए और भुगतान 3.125% की दर से किया गया। अंतर का कारण भूमि की दरों में अंतर है। मांग और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर का प्रकटन आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है।	26.00	शून्य
17	आयकर अपीलें (वि.व. 2013-14 से 2016-17 तक)	174.76	शून्य

सहकारिता भवन की भूमि के अस्थायी उपयोग हेतु यू.पी. कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड को देय किराए का मुद्दा पत्र संख्या 3729/LMRC-L-6/2014 दिनांक 21.6.2019 के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ को निर्णय के लिए भेजा गया है। इस पर अंतिम निर्णय आने पर इसका लेखांकन किया जाएगा।

आकस्मिक परिसंपत्तियां: आज की तारीख में कंपनी के पास कोई आकस्मिक परिसंपत्तियां नहीं हैं।

- प्रतिबद्धताएं:** 31 मार्च, 2019 को पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न किए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों सहित अनुबंधों की अनुमानित राशि 55,000.00 लाख रुपये (पि.व. 169725.00 लाख रुपये) है।

3. सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान:

(लाख रुपये)

विवरण	2018-19	2017-18
लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	2.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.80	0.80
प्रतिपूर्ति:		
कुल	2.80	2.80

4. कंपनी ने प्रतिपूर्ति योग्य राज्य करों का लेखांकन किया है जिसका समायोजन ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणों के आधार पर 17100.00 लाख रुपये (पि.व. 11053.00 लाख रुपये) की कार्यशील पूंजी सहित पीपीई की वहन राशि में किया गया है। इसके अलावा कंपनी ने 31.03.2019 तक उत्तर प्रदेश सरकार से 17100.00 लाख रुपये की राशि के प्रतिपूर्ति योग्य कर प्राप्त किए हैं।

5. 31 मार्च 2019 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना

(लाख रुपये)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	किसी आपूर्तिकर्ता की भुगतान बकाया राशि क) मूलधन ख) उस पर देय ब्याज	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में आपूर्तिकर्ता को नियत दिन से परे भुगतान की गई राशि के साथ ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी (वर्ष के दौरान किंतु नियत दिन से परे किए गए भुगतान) की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बिना ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
4	प्रोद्भूत और भुगतान न किए गए बकाया ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
5	अगले वर्ष में भी उस तारीख, जब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर अस्वीकृति के उद्देश्य से उपरोक्त के अनुसार छोटे उद्यमों को देय ब्याज का वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता, तक ब्याज की देय और भुगतान योग्य बकाया राशि	शून्य	शून्य



भारतीय लेखा मानकों की प्रकटन अपेक्षाएं

6. भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-1 के संबंध में प्रकटन: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण: पूंजी प्रबंधन।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋण:इक्विटी अनुपात का उपयोग करते हुए पूंजी की निगरानी करती है, जो मालिक की कुल पूंजी द्वारा विभाजित दीर्घकालिक ऋण है। ऋण इक्विटी अनुपात निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
(क) कुल ऋण	4,61,205.00	2,75,405.00
(ख) कुल पूंजी	2,04,100.00	1,89,792.00
ऋण: इक्विटी अनुपात (क/ख)	2.259	1.451

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी में जारी पूंजी और आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि शामिल है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण और उधारियां शामिल हैं।

7. भारतीय लेखा मानक (इंड एस) -17 "लीजों" के संबंध में प्रकटन

क. कंपनी ने कर्मचारियों के लिए परिसर लीज/किराए पर लिए हैं। ये लीज व्यवस्थाएं आम तौर पर परस्पर रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकृत होती हैं, वर्ष के दौरान कंपनी ने 183.53 लाख रुपये (पि.व. 206.87 लाख रुपये) के लीज किराए का भुगतान किया है और व्यय को कर्मचारी आवास के लिए लीज किराए के शीर्ष के तहत शामिल किया है।

(लाख रुपये)

प्रचालन लीज	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक
चालू वर्ष (2018-19)	51.86	12.00	66.00
पिछले वर्ष (2017-18)	120.49	78.10	69.00

ख. कंपनी ने अपनी विभिन्न परिसंपत्तियां पार्टियों को परिचालन लीज आधार पर लीज पर दी हैं। गैर-निरस्तीकरणीय परिचालन लीज के तहत प्राप्तियोग्य आगामी न्यूनतम लीज किराया नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

प्रचालन लीज	एक वर्ष से अधिक नहीं	एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	पांच वर्ष से अधिक
चालू वर्ष (2018-19)	961.98	3531.49	3846.64
पिछले वर्ष (2017-18)	0.09	259.31	2605.93

ग. कंपनी का परियोजना कार्यालय पहली मंजिल, जनपथ बाजार, हजरतगंज, लखनऊ में स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के परिसर में स्थित है। उपरोक्त परिसर के किराए से संबंधित मुद्दा अभी एलडीए के पास विचाराधीन है। इन परिस्थितियों में, कोई किराया प्रभारित नहीं किया गया है और उनके द्वारा इस मामले पर अंतिम निर्णय लिए जाने पर इसका लेखांकन किया जाएगा।

घ. कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अस्थायी पट्टे/किराए पर भूमि ली है और इस लेखांकन अवधि के दौरान, लीज /किराए पर 100.65 लाख रुपये (पि.व. 113.92 लाख रुपये) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया है।

8. भारतीय लेखा मानक (Ind AS)-19 “कर्मचारी लाभ” के संबंध में प्रकटन

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी की लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार है:

क. भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है। देयता को प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

ख. ग्रेच्युटी:

कंपनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जो पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान करता है, वह अधिवर्षिता, त्यागपत्र, निष्कासन और अक्षमता या मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (15/26* अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई वेतन और महंगाई भत्ता) की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का हकदार है। इस उद्देश्य से एक नीति बनाई गई है।

इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है जिसके लिए कंपनी ने मास्टर पॉलिसी ली है।

इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इंड एएस-19 के तहत अपेक्षित जानकारी का प्रकटन बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता को मान्य किया गया है।

तथापि, कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की गई मांग के अनुसार निधि में अंशदान कर रही है।

प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त एलएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, कंपनी ने एलआईसी के माध्यम से ग्रेच्युटी योजना ली है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिनों के अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य फायदों का हकदार है। यह सेवा से बर्खास्त होने या सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो पर भुगतान योग्य है। यह लाभ पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद प्राप्त होता है। इस निधि का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बीमाकर्ता को देय 133.73 लाख रुपये, पि.व. 188.93 लाख रुपये के अंशदान के आधार पर मान्य की गई कुल देयता का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये)

विवरण	राशि (लाख रुपये) वि.व. 2018-19	राशि (लाख रुपये) वि.व. 2017-18
चालू सेवा लागत	126.76	185.16
एलआईसी प्रीमियम	6.36	3.77
कुल	133.12	188.93

ग) पेंशन:

कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना का प्रबंधन स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह योजना वैकल्पिक है और कंपनी का दायित्व नामांकित कर्मचारी के मूल वेतन के 2.5% के भुगतान तक सीमित है। अवधि हेतु योजना में अंशदान को प्रोद्भूत आधार पर कर्मचारी लागत के तहत समूहीकृत किया जाता है। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में, पेंशन अंशदान की गणना मूल संगठन/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

घ) छुट्टी:

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध-वेतन छुट्टी प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिनों और 20 दिनों में अर्जित होती है। केवल नकदीकरण योग्य छुट्टी खाते में छुट्टी का सेवारत रहने पर एक कैलेंडर वर्ष में एक बार और अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों (गैर-नकदीकरण योग्य और बिना



गणना की अर्ध-वेतन छुट्टियों सहित) का नकदीकरण होता है। इस खाते की देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है। प्रतिनियुक्त वाले कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी वेतन अंशदान उनके मूल विभागों को आहरित वेतन (महंगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11% की दर से देय है और इसका लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया जाता है।

प्रतिनियुक्त के अतिरिक्त एलएमआरसी कर्मचारियों के संबंध में, छुट्टी नकदीकरण का बीमांकित मूल्यांकन एक बीमांकित द्वारा किया गया और तदनुसार लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों में निम्न प्रकार से उचित प्रावधान किए गए हैं:—

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण की गणनाओं के परिणाम निम्न प्रकार हैं:

निवल परिभाषित लाभ दायित्व

(लाख रुपये)

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रुपये)
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	चा.व.	246.45	627.69
	पि.व.	265.98	624.26
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	437.07	-
	पि.व.	286.01	-
योजना में अधिशेष या (घाटा)	चा.व.	190.61	- 627.69
	पि.व.	20.03	-624.26
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन	चा.व.	-152.72	-343.50
	पि.व.	76.63	139.91
कुल निवल परिभाषित लाभ दायित्व	चा.व.	-42.94	3.42
	पि.व.	210.19	442.56

योजना परिसंपत्तियों में संचलन

विवरण		ग्रेच्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रुपये)
वर्ष के आरंभ में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	286.01	-
	पि.व.	94.93	-
योजना परिसंपत्तियों के आरंभिक उचित मूल्य में समायोजन	चा.व.	0	-
	पि.व.	-1.63	-
ब्याज आय (+)	चा.व.	21.45	-
	पि.व.	6.17	-
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज राशियां छोड़कर (+/-)	चा.व.	1.96	-
	पि.व.	1.23	-

परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन, ब्याज व्यय में शामिल राशियां छोड़कर (+/-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
एफएक्स दर लाभ (+) और हानि (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	127.64	-
	पि.व.	185.32	-
योजना भागीदारों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
भुगतान किए गए लाभ (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
व्यवसाय संयोजन (+) और निपटान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	चा.व.	437.07	-
	पि.व.	286.01	-

परिभाषित हित लाभ दायित्वों में संचलन

विवरण		ग्रे च्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रुपये)
वर्ष के आरंभ में परिभाषित हित लाभ दायित्व	चा.व.	265.98	624.26
	पि.व.	48.38	181.71
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	111.28	300.11
	पि.व.	136.59	290.84
ब्याज लागत (+)	चा.व.	19.94	46.81
	पि.व.	3.15	11.81
जनांकिकी अनुमानों में परिवर्तन से लाभ (-)/हानि (+)	चा.व.	-116.36	-241.56
	पि.व.	60.87	129.83
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन से लाभ लाभ (-)/हानि (+)	चा.व.	-110.04	-263.60
	पि.व.	108.41	177.31
अनुभव समायोजन (+/-)	चा.व.	75.64	161.66
	पि.व.	-91.41	-167.23



एफएक्स दर लाभ (-) और हानि (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
योजना प्रतिभागियों द्वारा अंशदान (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभों का भुगतान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
व्यवसाय संयोजन (+) और निपटान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान (-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित हित लाभ दायित्व	चा.व.	246.45	627.69
	पि.व.	265.98	624.26

लाभ या हानि में मान्य हित लाभ व्यय

विवरण		ग्रे च्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रुपये)
चालू सेवा लागत (+)	चा.व.	111.28	300.11
	पि.व.	136.59	290.84
ब्याज लागत (+)	चा.व.	19.94	46.81
	पि.व.	3.15	11.81
ब्याज आय (+)	चा.व.	21.45	-
	पि.व.	6.17	-
निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज	चा.व.	-1.50	46.81
	पि.व.	-3.03	11.81
पिछली सेवा लागत (+)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
समाधान लाभ (+) या हानि(-)	चा.व.	-	-
	पि.व.	-	-
लाभ या हानि में मान्य कुल व्यय	चा.व.	109.78	346.93
	पि.व.	133.56	302.65

अन्य व्यापक आय में मान्य की गई राशियां

विवरण		ग्रे च्युटी (वित्तपोषित) (लाख रुपये)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित) (लाख रुपये)
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	चा.व.	-152.72	-343.50
	पि.व.	76.63	139.91

योजना परिसंपत्तियों में निवेश की श्रेणी

निवेश की श्रेणी	परियोजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का %
अन्य व्यापक आय में मान्य कुल राशि	100%

बीमांकिक अनुमान

विवरण		ग्रे च्युटी (वित्तपोषित)	छुट्टी (गैर-वित्तपोषित)
प्रयुक्त विधि	चा.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
	पि.व.	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि	अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि
छूट दर	चा.व.	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
	पि.व.	7.50% प्रति वर्ष	7.50% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	चा.व.	8% प्रति वर्ष	8% प्रति वर्ष
	पि.व.	10% प्रति वर्ष	10% प्रति वर्ष
कर्मचारी अपघर्षण / वापसी दर	चा.व.	3.5% प्रति वर्ष	3.5% प्रति वर्ष
	पि.व.	0% प्रति वर्ष	0% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	चा.व.	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%
	पि.व.	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%	आईएएलएम 2006-08 यूएलटी का 100%

ड. संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रत्याशित लाभ भुगतान:

1. संवेदनशीलता विश्लेषण

अनुमान	अनुमान में परिवर्तन	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रुपये)	31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लाख रुपये)
छूट दर	0.50%	(20.91)	(49.06)
	-0.50%	23.69	55.50
वेतनवृद्धि दर	1.00%	49.93	116.59
	-1.00%	(39.57)	(92.92)
मूल्य मुद्रास्फीति दर	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर	1.00%	-	-
	-1.00%	-	-
मृत्यु दर	+3 वर्ष	(0.12)	(0.29)
	-3 वर्ष	0.08	0.21



2. प्रत्याशित हित लाभ भुगतान

क्र. सं.	भुगतान का वर्ष	छुट्टी नकदीकरण	ग्रेच्युटी
1	31-मार्च-20	21.91	0.86
2	31-मार्च-21	40.02	8.71
3	31-मार्च-22	23.01	7.76
4	31-मार्च-23	23.98	8.43
5	31-मार्च-24	25.00	10.54
6	31-मार्च-2025 से 31-मार्च-2029	159.97	64.97

9 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस 21) "विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटन:

- क. लाभ और हानि विवरण में क्रेडिट विनिमय अंतर राशि (निवल) 0.013278 लाख रुपये (पि.व. 0.01287 लाख रुपये) है।
- ख. पीपीई/सीडब्ल्यूआईपी समायोजनों में मौद्रिक मदों के रूपांतरण के कारण 1010.46 लाख रुपये (पि.व. 824.00 लाख रुपये) की विनिमय अंतर राशि सम्मिलित है।

10. इंड एस 24 "संबंधित पक्ष प्रकटनों" के संबंध में प्रकटन

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

1. श्री कुमार केशव, प्रबंध निदेशक
2. श्री संजय मिश्रा, पूर्णकालिक निदेशक (वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर)
3. श्री महेंद्र कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (सेलिंग स्टॉक एंड सिस्टम्स)
4. श्री अजय कांत रस्तोगी, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त)
5. श्री सुशील कुमार, पूर्णकालिक निदेशक (परिचालन) (25.10.2018 से)
6. श्रीमती पुष्पा बेलानी, कंपनी सचिव

(ख) संबंधित पक्षों (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों) से कंपनी के लेनदेनों का प्रकटन:

विवरण	2018-19 (लाख रुपये)	2017-18 (लाख रुपये)
वेतन और भत्ते	232.80	123.16
भविष्य निधि और अन्य निधियों, ग्रेच्युटी और समूह बीमा में अंशदान	20.12	18.11
अन्य लाभ	17.85	16.32
कुल (कर्मचारी लागत में शामिल)	270.77	157.58

उपरोक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त,

1. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के नियमों के अनुसार वसूली के अधीन कंपनी के स्वामित्व की कार के उपयोग (निजी यात्राओं सहित) की अनुमति दी गई है।
2. वि.व. 2018-19 के दौरान किसी अन्य पक्ष के साथ अन्य कोई लेनदेन नहीं किया गया।

11 इंड एस-33: अर्जन प्रति शेयर के संबंध में प्रकटन:

1. मूल अर्जन प्रति शेयर की गणना इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के निवल लाभ या हानि में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर अवमिश्रित अर्जन की गणना के लिए, सभी अवमिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की संख्या के भारित औसत को समायोजित किया जाना चाहिए।

विवरण	2018-19 (लाख रुपये)	2017-18 (लाख रुपये)
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कराधान, पूर्व अवधि समायोजनों एवं पिछले वर्षों के कर समायोजनों के बाद लाभ (लाख रुपये)	-7211.16	-2538.28
बकाया इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या:		
मूल	1923.21	997.45
अवमिश्रित	2021.79	1586.62
मूल अर्जन प्रति शेयर (रुपये) (अंकित मूल्य 100 / -रुपये प्रति शेयर)	-3.75	-1.70
अवमिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रुपये) (अंकित मूल्य 100 / -रुपये प्रति शेयर)	-3.57	-1.60

12. भारतीय लेखांकन मानक प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

(लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2018 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	31.03.2019 को अंतिम शेष
सेवानिवृत्ति हित लाभ	696.97	85.71	74.19	708.49
व्यय	1259.20	1378.63	1139.42	1498.41
कुल	1956.17	1464.34	1213.61	2206.90

विवरण	01.04.2017 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	31.03.2018 को अंतिम शेष
सेवानिवृत्ति लाभ	231.31	514.39	48.72	696.97
व्यय	4245.60	1147.80	4134.19	1259.20
कुल	4476.90	662.18	4182.92	1956.17



13. इंड एस 107 “वित्तीय लिखत: प्रकटन” के संबंध में प्रकटन
वित्तीय लिखत

1. श्रेणीवार वित्तीय लिखत

श्रेणीवार वित्तीय लिखतों का वहन मूल्य निम्न प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2019 के अनुसार			31 मार्च 2018 के अनुसार	
	ऋणशोधित लागत (लाख में)	एफवीटी पीएल (लाख में)	एफवी ओसीआई (लाख में)	ऋणशोधित लागत (लाख में)	एफवीटी पीएल (लाख में)
ऋण	—	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5 व 9 देखें)	1748.43	—	—	650.38	—
व्यापार प्राप्य	—	—	—	—	—
नकदी और नकदी समतुल्य (नोट 8 देखें)	126792.43	—	—	119127.86	—
कुल	—	—	—	—	—
उधारियां (नोट 14 देखें)	461205.00	—	—	275405.00	—
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 व 19 देखें)	28789.60	28788.20	—	25905.39	25901.92*
व्यापार देय (नोट 18 देखें)	823.85	—	—	361.57	—
कुल	—	—	—	—	—

*अन्य वित्तीय में ठेकेदारों और ग्राहकों से प्रतिभूति राशियां सम्मिलित हैं।

2. उचित मूल्य पदानुक्रम:

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापन की गई वित्तीय संपत्तियां और देयताएं उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत की गई हैं। मापन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स की विचारणीयता पर आधारित तीन स्तर परिभाषित किए गए हैं:

स्तर 1: सक्रिय बाजारों में समान वित्तीय लिखतों पर उद्धृत मूल्य (असमायोजित) ताकि मापन तारीख निर्धारित की जा सके।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए गए वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य निर्धारित करने में मूल्यांकन तकनीकों को अपनाया जाता है जिससे सुसंगत विचारणीय बाजार इनपुट्स का प्रयोग बढ़ता और अनावश्यक इनपुट्स का प्रयोग घटता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट्स विचारणीय बाजार इनपुट्स पर आधारित नहीं हैं, तो लिखत को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।

3. ऋणशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां / देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य प्रकटन किया गया है:
(लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
		ऋणशोधित लागत	उचित मूल्य	ऋणशोधित लागत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:					
ऋण	स्तर 2	—	—	—	—
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (नोट 5 व 9 देखें)	स्तर 2	1748.43	1748.43	650.38	650.38
कुल		—	—	—	—
वित्तीय देयताएं:					
अन्य वित्तीय देयताएं (नोट 15 व 19 देखें)	स्तर 2	28789.60	28788.20	25905.39	25901.92

4. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें और प्रक्रिया

- 12 महीने से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वहन मूल्य उनका उचित मूल्य दर्शाने वाला माना जाता है।
- ऋणशोधित लागत पर निकाले गए अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण लेखांकन नीति संख्या के अनुसार परिभाषित छूट दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह की छूट द्वारा किया जाता है।

13.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

क. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय लिखतों के संबंध में विभिन्न जोखिमों से अवगत है। श्रेणी के अनुसार कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं ऊपर संक्षेप में दी गई हैं। जोखिम के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों से संपर्क को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। कंपनी के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है:

ख. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी का कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है क्योंकि कंपनी का ऋण ईआईबी से प्राप्त ऋण की प्रत्येक किस्त की संवितरण सूचना के अनुसार शून्य ब्याज दर या निश्चित ब्याज दर पर है। साथ ही, कंपनी का मूल्य जोखिम भी नहीं है क्योंकि कंपनी के पास व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विनिमय उतार-चढ़ाव का जोखिम भारत के बाहर से संपत्ति संयंत्र और उपकरण के आयात के कारण है। विदेशी मुद्रा जोखिम से सुरक्षा के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग लिखत नहीं है।

ग. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम काउंटर पार्टी द्वारा अपने दायित्व की चूक के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान के जोखिम से संबंधित है। कंपनी ने विभिन्न वित्तीय लिखतों पर ऐसे जोखिम उदाहरण के लिए कर्मचारियों को अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्तियां, प्रतिभूति जमा इत्यादि का प्रकटन किया। रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम खतरा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की



वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य से है।

- नकदी और नकदी समतुल्य
- व्यापार प्राप्य
- ऋणशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां।

कंपनी लगातार ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों की चूक की निगरानी करती है, व्यक्तिगत तौर पर उचित लागत, बाहरी क्रेडिट रेटिंग को चिन्हित करती है और/या ग्राहकों और अन्य काउंटर पार्टियों पर रिपोर्ट प्राप्त और उपयोग की जाती हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जो भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, में रखकर किया जाता है और इन बैंकिंग संबंधों की चलायमान आधार पर समीक्षा की जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन ऋणशोधित लागत पर किया जाता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है।

प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान

कंपनी निम्न आधार पर प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान का प्रावधान करती है:

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्यों का नुकसान तब होता है जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्यों के लिए कराए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली योग्यता संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी की राय में उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों जिनका नुकसान नहीं हुआ है और जो समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीखों पर देय हैं, की क्रेडिट गुणवत्ता अच्छी है।

ऋणशोधित हानि पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन

कर्मचारी ऋण से संबंधित क्रेडिट जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति से सुरक्षित है जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण मंजूर किया जाता है। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशि की निरंतर वसूली की निगरानी करके किया जाता है, जबकि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियां परिभाषित सीमाओं के भीतर हों। इन वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को किसी नुकसान का प्रावधान नहीं है। हमारे विचार में रिपोर्टिंग तारीखों पर सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियों की अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता है।

घ. तरलता जोखिम

हमारी तरलता जरूरतों की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समतुल्य, प्रचालन से उत्पन्न राजस्व, ईआईबी से दीर्घकालिक ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, शेयर पूंजी और अनुदान हैं।

हम नकदी प्रवाहों की निरंतर निगरानी और नकदी और नकदी समतुल्यों की निगरानी करके अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करते हैं, कमियों के निर्धारण के लिए निवल नकदी जरूरतों की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पकालिक तरलता अपेक्षा में मुख्यतः विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी देय, प्रतिधारण और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार कारोबार के सामान्य व्यवहार के दौरान उत्पन्न जमा राशियां शामिल होती हैं। हम अपनी अल्पकालिक तरलता अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक तरलता अपेक्षाओं का आकलन और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं। हमारी गैर-चालू देयताओं में ईआईबी ऋण, ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, प्रतिधारण और जमाराशियां और कर्मचारी लाभ की देयताएं शामिल हैं।

14. खंड रिपोर्टिंग (Ind AS 108)

कंपनी के परिचालनों में, इंड एएस 108—परिचालन खंड के तहत यथा अपेक्षित रिपोर्टिंग कारोबार/भौगोलिक खंड के संदर्भ में केवल एक कारोबार खंड – मेट्रो रेल सुविधा का प्रचालन और रखरखाव शामिल है।

इंड एएस 108—परिचालन खंड में परिभाषित “प्रबंधन दृष्टिकोण” के आधार पर, मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता कंपनी के कामकाज का मूल्यांकन करता है और कारोबार खंड द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है।

तदनुसार, इन व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसे इंड एएस 108—परिचालन खंड के पैरा 13 में मात्रात्मक सीमा के आधार पर परिभाषित किया गया है:

(लाखों में)

विवरण	2018-19	2017-18
फेयर-बॉक्स राजस्व	1079.96	435.45
गैर-फेयर बॉक्स राजस्व	424.05	119.95

भौगोलिक खंड

कंपनी भारत के भीतर प्रचालन करती है और विभिन्न जोखिमों और प्रतिफल वाले आर्थिक माहौल में प्रचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में संचालित माना जाता है।

प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना

31.03.2019 को समाप्त वर्ष में एक ग्राहक—जागरण प्रकाशन लिमिटेड ने कंपनी के राजस्व में 10% या अधिक, 221.47 लाख रुपये का योगदान दिया।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष की प्रस्तुति से तुलनयोग्य बनाने के लिए, आवश्यक होने पर, पुनःसमूहित/पुनः व्यवस्थित/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी.एस. शुक्ला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 000773सी

ह0/—

(श्रीहर्ष शुक्ला)

साझेदार

सद. सं. 408990

यूडीआईएन: 19408990AAAAAA8402

स्थान: लखनऊ

दिनांक: 27.07.2019

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/—

(कुमार केशव)

प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 02908695

ह0/—

(पुष्पा बेलानी)

कंपनी सचिव

ह0/—

(अजय कांत रस्तोगी)

निदेशक वित्त

डीआईएन: 07228424



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व लेखापरीक्षा), उ.प्र.
"आडिट भवन" टीसी-35-V-1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226010



Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General
(Economic & Revenue Sector Audit), U.P.,
"Audit Bhawan" TC-35-V-1, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow - 226010

संख्या : ई.एस-1/कम्पनी लेखा/LMRC/2018-19/188 दिनांक: 28 सितम्बर, 2019

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010

महोदय,

एतत्सह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अधीन लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के निबन्धनों के अनुसरण में कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित की जा रही है। कृपया वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका-टिप्पणियों के प्रस्तुत किये जाने की वास्तविक तिथि की सूचना दें।

The Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the auditee. The Office of the Principal Accountant General (Economic and Revenue Sector Audit), Uttar Pradesh, disclaims any responsibility for any misinformation and/or non-information on the part of auditee.

कृपया पत्र की पावती भेजें।

सहपत्र- यथोपरि।

भवदीया

व. उपमहालेखाकार

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) या 139(7) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। दिनांक 27 जुलाई 2019 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया जाना प्रतीत होता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतया सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों की चयनित जांच तक सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित उल्लेखनीय तथ्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरी नजर में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं:

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां:

तुलन पत्र

देयताएं

अन्य चालू देयताएं: (नोट सं. 20): 89.59 करोड़ रुपये

उत्तर रेलवे (NR) ने 28 फरवरी 2018 के अपने पत्र के माध्यम से चार स्थानों पर रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए कंपनी से 34.30 करोड़ रुपये के पारगमन शुल्क की मांग की। उसमें से कंपनी ने 2015-16 के दौरान 33.06 करोड़ रुपये जमा किए। 1.24 करोड़ रुपये के लंबित शेष को आकस्मिक देयता दिखाया गया है। चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और प्रबंधन द्वारा अभिलेखों में भी इसे स्वीकार किया गया है, लेखा बहियों में इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाना उचित नहीं है। इसके परिणामतः चालू देयता के साथ ही कार्यशील पूंजी (CWIP) प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।

इक्विटी और देयताएं

चालू देयताएं

अन्य वित्तीय देयताएं (नोट सं. 19): 275.80 करोड़ रुपये

(2) (i) उत्तर रेलवे ने बादशाहनगर और डालीगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि के लिए रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार कंपनी से 9.55 करोड़ रुपये के पारगमन शुल्क की मांग की। हालांकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान 7.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया और शेष 1.75 करोड़ रुपये का आकस्मिक देयता के रूप में लेखांकन किया।



चूंकि कंपनी उत्तर रेलवे को इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, कंपनी को 7.80 करोड़ रुपये की बजाय 9.55 करोड़ रुपये की पूरी राशि दर्ज करनी चाहिए थी। इसके परिणामतः अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि का उपयोग करने के अधिकार) और चालू देयताओं में 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक का कम अंकन किया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा केवल आंशिक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

- (ii) मंडलीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय परिसर, हजरतगंज में कंपनी द्वारा चारबाग-हजरतगंज भूमिगत विस्तार के लिए भूमि के उपयोग के लिए उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.61 करोड़ रुपये के अनुमति शुल्क की मांग की। कंपनी ने एकपक्षीय रूप से 1.32 करोड़ रुपये की देयता स्वीकार कर ली है और वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में भूमि का उपयोग करने के अधिकार को पूंजीकृत किया है। शेष 0.29 करोड़ रुपये को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

चूंकि कंपनी उत्तर रेलवे को इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, कंपनी को 1.32 करोड़ रुपये की बजाय 1.61 करोड़ रुपये की पूरी राशि दर्ज करनी चाहिए थी। इसके परिणामतः अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि का उपयोग करने के अधिकार) और चालू देयताओं में 0.29 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।

(3) अन्य चालू परिसंपत्तियां: (नोट सं. 11): 16.56 करोड़ रुपये

उपरोक्त में कंपनी द्वारा आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो की ओर से किया गया 8.86 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है जिसे इन संस्थाओं के निगमन पर वसूल किया जाएगा। चूंकि, यह राशियां अन्य संस्थाओं से नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वसूली योग्य हैं, इसलिए, इंड एस 32 की अपेक्षा के अनुसार इन्हें अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट-11) की बजाय अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट-9) के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामतः अन्य चालू परिसंपत्तियों में 8.86 करोड़ रुपये का अधिक अंकन किया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. प्रकटन पर टिप्पणियां

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां (नोट सं. 30)

आकस्मिक देयताएं

- (4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAEVP) ने उ.प्र. सरकार/परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निगम को कास्टिंग यार्ड के लिए चार वर्ष के लिए सेक्टर 9 और सेक्टर 19 में क्रमशः पांच हेक्टेयर और 38.268 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। निगम को क्रमशः 15.01.2016 और 01.07.2016 को यह भूमि 4.04 लाख रुपये और 6.18 लाख रुपये मासिक किराये पर आवंटित की गई थी। यूपीईवीपी ने समझौता निष्पादित करने और देयकों के भुगतान की लगातार मांग की, लेकिन निगम ने न तो समझौता निष्पादित किया और न ही अब तक कोई राशि का भुगतान किया। कंपनी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किराए के निर्धारण का मामला उठाया है जो उसके लिए निर्णायक प्राधिकरण है।

चूंकि कंपनी का यूपीएईवीपी को किराए के भुगतान का मौजूदा दायित्व है, इसलिए इसे एएस 37 के पैराग्राफ 10 के संदर्भ में आकस्मिक देयता के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां

अन्य इक्विटी (नोट सं. 13): 92 करोड़ रुपये

- (5) उपरोक्त में कंपनी के इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए शेयर पूंजी अंशदान के लिए कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ःळवन्द्ध से प्राप्त 16.00 करोड़ रुपये (फरवरी 2018) शामिल हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये के 20 करोड़ शेयरों में विभाजित की गई है, जिन्हें कंपनी द्वारा पहले ही पूरी तरह से आवंटित कर दिया गया है। इस प्रकार, कंपनी तब तक शेयर जारी नहीं कर पाएगी जब तक कंपनी की अधिकृत पूंजी को संशोधित नहीं किया जाता। कंपनी द्वारा लेखाओं पर टिप्पणियों में इस तथ्य का प्रकटन किया जाना चाहिए था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान: लखनऊ
दिनांक: सितंबर, 2019

(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार



कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत सीएजी रिपोर्ट के संदर्भ में पत्र सं. ई एस-1 / कंपनी लेखा / एलएमआरसी / 2018-2019 / 188 दिनांक 28.09.2019 के माध्यम से प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक का अवलोकन	एलएमआरसी का उत्तर
1.	<p>(क) वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां तुलन पत्र इक्विटी और देयताएं वर्तमान में दायित्व अन्य चालू देयताएं: (नोट सं. 20: 89.59 करोड़ रुपये)</p> <p>उत्तर रेलवे (NR) ने 28 फरवरी 2018 के अपने पत्र के माध्यम से चार स्थानों पर रेलवे की भूमि को पार करने की अनुमति के लिए कंपनी से 34.30 करोड़ रुपये के पारगमन शुल्क की मांग की। उसमें से कंपनी ने 2015-16 के दौरान 33.06 करोड़ रुपये जमा किए। 1.24 करोड़ रुपये के लंबित शेष को आकस्मिक देयता दिखाया गया है। चूंकि, कंपनी उत्तर रेलवे को इस राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है और प्रबंधन द्वारा अभिलेखों में भी इसे स्वीकार किया गया है, लेखा बहियों में इसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाना उचित नहीं है। इसके परिणामतः चालू देयता के साथ ही कार्यशील पूंजी (CWIP) प्रत्येक में 1.24 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।</p> <p>वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>इंड एस 37 में उल्लेख के अनुसार आकस्मिक देयताओं की परिभाषा का संदर्भ लिया जाए। कोई आकस्मिक देयता है:</p> <p>(क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व भविष्य में पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या अधिक अनिश्चित घटनाएं घटित होने या न होने से पुष्ट हो; या</p> <p>(ख) चालू दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न किंतु मान्य नहीं है क्योंकि:</p> <p>(i) यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को साकार करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व के समाधान के लिए अपेक्षित होगा; या</p> <p>(ii) दायित्व की राशि का पर्याप्त विश्वसनीयता से मापन नहीं किया जा सकता।</p> <p>एलएमआरसी का विचार है कि इन दायित्वों को आकस्मिक देयताओं की परिभाषा के तहत अधिकता से शामिल किया गया है क्योंकि यह तत्व आकस्मिक प्रकृति दर्शाता है, इस चरण में तथ्य निश्चित नहीं है। इसी को दर्शाया गया है।</p> <p>उत्तर रेलवे ने एलएमआरसी द्वारा परिचालन उद्देश्यों (वाणिज्यिक उपयोग के लिए नहीं) के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए, विभिन्न स्थानों पर रेलवे भूमि के पारगमन की अनुमति हेतु एलएमआरसी पर डीएम की भूमि दर सूची में प्रकाशित दरों पर भूमि के प्रभार लगाने के एलएमआरसी के अनुरोध पर विचार करने के बाद, रेलवे की भूमि पर पारगमन प्रभारों को घटाकर जीएसटी प्रभार सहित 34.30 करोड़ रुपये कर दिया। एलएमआरसी ने 2015-16 के दौरान रेलवे भूमि पार करने की अनुमति के लिए उत्तर रेलवे को 33.06 करोड़ रुपये का भुगतान किया जब 15% सेवा कर लागू था। इस बीच, दिनांक 01-07-2017 से जीएसटी प्रभावी हुआ अतः 1.24 करोड़ रुपये की राशि का अंतर जीएसटी से संबंधित है जो एलएमआरसी के अनुसार रेलवे को देय नहीं था क्योंकि भुगतान 2015-16 में ही कर दिया गया था। एलएमआरसी के प्रबंधन का विचार है कि मामले की समीक्षा की जाए। मामला अभी भी विचाराधीन है। उत्तर रेलवे द्वारा मांगे गए प्रभारों को एलएमआरसी ने अब तक स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, उत्तर रेलवे द्वारा मांगी गई 1.24 करोड़ रुपये की राशि, अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण 31.03.2018 को आकस्मिक देयता के तौर पर दर्शाई गई है न कि चालू देयता के तौर पर। मामले को अंतिम रूप दिए जाने पर उसे पुष्ट देयता मान लिया जाएगा।</p> <p>चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आकस्मिक देयता के रूप में इसका प्रकटन किया गया है। (लेखाओं पर टिप्पणियों का पेज नं. 12 देखें)</p>

<p>2</p>	<p>इक्विटी और देयताएं</p> <p>चालू देयताएं</p> <p>अन्य वित्तीय देयताएं (नोट सं. 19: 275.80 करोड़ रुपये)</p> <p>(i) उत्तर रेलवे ने बादशाहनगर और डालीगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे की भूमि के लिए रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार कंपनी से 9.55 करोड़ रुपये के पारगमन शुल्क की मांग की। हालांकि, कंपनी ने वर्ष के दौरान 7.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया और शेष 1.75 करोड़ रुपये का आकस्मिक देयता के रूप में लेखांकन किया।</p> <p>चूंकि कंपनी उत्तर रेलवे को इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, कंपनी को 7.80 करोड़ रुपये की बजाय 9.55 करोड़ रुपये की पूरी राशि दर्ज करनी चाहिए थी। इसके परिणामतः अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि का उपयोग करने के अधिकार) और चालू देयताओं में 1.75 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।</p> <p>वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में टिप्पणी किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>(ii) डीआरएम ऑफिस कैंपस, हजरतगंज में कंपनी द्वारा चारबाग-हजरतगंज भूमिगत विस्तार के लिए भूमि के उपयोग के लिए उत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, 1.61 करोड़ रुपये के अनुमति शुल्क की मांग की। कंपनी ने एकपक्षीय रूप से 1.32 करोड़ रुपये की देयता स्वीकार कर ली है और वर्ष के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में भूमि का उपयोग करने के अधिकार को पूंजीकृत किया है। शेष 0.29 करोड़ रुपये को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p> <p>चूंकि कंपनी उत्तर रेलवे को इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, कंपनी को 1.32 करोड़ रुपये की बजाय 1.61 करोड़ रुपये की पूरी राशि दर्ज करनी चाहिए थी। इसके परिणामतः अमूर्त परिसंपत्तियों (भूमि का उपयोग करने के अधिकार) और चालू देयताओं में 0.29 करोड़ रुपये का कम अंकन किया गया है।</p>	<p>उत्तर रेलवे रेलवे की भूमि के लाइसेंसिंग पर रेलवे बोर्ड नीति पत्र सं. 2005 / एलएमएल / 18 / 8 दिनांक 10.02.2005 के मद्देनजर 12 / 2005 में डीएम / लखनऊ द्वारा जारी सर्किल रेट को 7% प्रति वर्ष बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पैरा 5.2 (अनुलग्नक-क)।</p> <p>रेलवे बोर्ड के उक्त परिपत्र के पैरा 5.3 में कहा गया है कि भूमि का मौजूदा मूल्य जानने के बाद लाइसेंस शुल्क तय किया जाना चाहिए। उप पंजीयक के पत्र सं. 198 / सब रजिस्ट्रार (ii) / 2019 दिनांक 21.06.2019 (अनुलग्नक ख) के अनुसार, भूमि की दर अब भी 12 / 2015 के समान है। साथ ही इसमें कोई वृद्धि निर्दिष्ट नहीं की गई है।</p> <p>इसलिए, भूमि की लागत की गणना करते समय, एलएमआरसी 7% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि का लेखांकन नहीं कर रहा है।</p> <p>लेकिन चूंकि रेलवे एलएमआरसी के कथन से सहमत नहीं है, इसलिए राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।</p> <p>लेखापरीक्षा के ध्यान में यह बात लाई जाती है कि कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्ति (अनुमतियों) के रूप में 7.80 करोड़ रुपये का लेखांकन किया है। हालांकि, उत्तर रेलवे का दावा रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2005 / एलएमएल / 18 / 8 दिनांक 10.02.2005 के अनुरूप नहीं होना उपरोक्त बिंदु में भी स्पष्ट किया गया है। उत्तर रेलवे द्वारा 1.75 करोड़ रुपये की नाजायज मांग का कंपनी ने खंडन किया और निपटान के अधीन किया है, इसलिए आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकटन करना सही है। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा इसकी सराहना की जा सकती है कि कंपनी द्वारा उचित किया गया है क्योंकि उस पर सीएजी द्वारा पहले भी टिप्पणी की गई थी।</p>
<p>3</p>	<p>अन्य चालू परिसंपत्तियां: नोट सं. 11: 16.56 करोड़ रुपये</p> <p>उपरोक्त में कंपनी द्वारा आगरा मेट्रो, इलाहाबाद मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो की ओर से किया गया 8.86 करोड़ रुपये का व्यय शामिल है जिसे इन संस्थाओं के निगमन पर वसूल किया जाएगा। चूंकि, यह राशियां अन्य संस्थाओं से नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वसूली योग्य हैं, इसलिए, इंड एस 32 की अपेक्षा के अनुसार इन्हें अन्य चालू परिसंपत्तियों (नोट-11) की बजाय अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों (नोट-9) के तहत दर्शाया जाना चाहिए था।</p> <p>इसके परिणामतः अन्य चालू परिसंपत्तियों में 8.86 करोड़ रुपये का अधिक अंकन किया गया है।</p>	<p>कंपनी द्वारा अन्य मेट्रो की ओर से व्यय की गई 8.86 करोड़ रुपये की राशि को वित्तीय परिसंपत्ति नहीं माना गया है क्योंकि यह समझौते की रूपरेखा में मौजूदा बदलावों के अनुसार वसूली योग्य नहीं है। चूंकि एलएमआरसी अब यूपी मेट्रो में परिवर्तित हो जाएगा, यह राशि परिसंपत्ति का भाग होगी और वसूली योग्य नहीं है। चूंकि यह राशि नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में वसूली योग्य नहीं है, इसलिए इसे अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के बजाय अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत दर्शाया गया है।</p>



	<p>वर्ष 2017-18 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इंगित किए जाने के बावजूद कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	
4	<p>(ख) प्रकटन पर टिप्पणियां वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां (नोट सं. 30) आकस्मिक देयता</p> <p>उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAEVP) ने उ.प्र. सरकार/परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में निगम को कास्टिंग यार्ड के लिए चार वर्ष के लिए सेक्टर 9 और सेक्टर 19 में क्रमशः पांच हेक्टेयर और 38.268 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है। निगम को यह भूमि 4.04 लाख रुपये और 6.18 लाख रुपये मासिक किराये पर क्रमशः 15.01.2016 और 01.07.2016 को आवंटित की गई थी। यूपीईवीपी ने समझौता निष्पादित करने और देयकों के भुगतान की लगातार मांग की, लेकिन निगम ने न तो समझौता निष्पादित किया और न ही अब तक कोई राशि का भुगतान किया। कंपनी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किराए के निर्धारण का मामला उठाया है जो उसके लिए निर्णायक प्राधिकरण है।</p> <p>चूंकि कंपनी की यूपीईवीपी को किराए के भुगतान का मौजूदा दायित्व है, इसलिए इसे एएस 37 के पैराग्राफ 10 के संदर्भ में आकस्मिक देयता के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए।</p>	<p>यह मामला उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को देय 2.52 करोड़ रुपये के किराए के गैर प्रावधान के संबंध में है जैसा लेखापरीक्षा में पाया गया है।</p> <p>लेखापरीक्षक, प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों पर इंड एएस 37 के अनुसार देयता को परिभाषित किए जाने की सलाहना कर सकते हैं</p> <p>कोई देयता संस्था का पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक वर्तमान दायित्व है, जिसके निपटान से आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों की इकाई से बहिर्वाह होने की उम्मीद है।</p> <p>यह ध्यान देने योग्य है कि उत्तर प्रदेश आवास एवम विकास परिषद द्वारा की गई किराए की मांग किसी औपचारिक किराये के समझौते के बिना और पूरी तरह से एकतरफा थी।</p> <p>इसके विपरीत, एलएमआरसी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (पत्र सं. 377/एलएमआरसी-एल-6/ 2014 दिनांक 07-03-2018 द्वारा) के माध्यम से किराए के निर्धारण का मामला बढ़ा दिया है, जो कंपनी द्वारा देय किराए के लिए निर्णायक प्राधिकारी के रूप में पृष्ठांकित होने से केवल क्रिस्टलीकरण करते हैं। इसके अलावा, यह मामला सेक्टर 9 और सेक्टर 19 में भूमि के देय किराए के निर्धारण के लिए उचित प्राधिकारी के पास लंबित है।</p> <p>एडीएम द्वारा किराया तय किए जाने पर कंपनी उसका लेखांकन करेगी।</p>
5	<p>वित्तीय विवरण पर टिप्पणियां अन्य इक्विटी (नोट सं. 13): 92 करोड़ रुपये</p> <p>उपरोक्त में कंपनी के इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए शेयर पूंजी अंशदान के लिए कंपनी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) से प्राप्त 16.00 करोड़ रुपए (फरवरी 2018) शामिल हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये के 20 करोड़ शेयरों में विभाजित की गई है, जिन्हें कंपनी द्वारा पहले ही पूरी तरह से आवंटित कर दिया गया है। इस प्रकार, कंपनी तब तक शेयर जारी नहीं कर पाएगी जब तक कंपनी की अधिकृत पूंजी को संशोधित नहीं किया जाता। कंपनी द्वारा लेखाओं पर टिप्पणियों में इस तथ्य का प्रकटन किया जाना चाहिए था।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा इसकी सलाहना की जा सकती है कि प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि से धारा 61 और धारा 64 और अन्य लागू नियमों का अनुपालन होगा, जिसमें संस्था के नियमों में परिवर्तन/संशोधन अपेक्षित होता है जो ईजीएम/ एजीएम का एक कामकाज है जिसे कंपनी आगामी एजीएम/ईजीएम में संपादित किए जाने के लिए एक कामकाज के रूप में आगे रखती है। अतएव, सदस्यों की सहमति प्राप्त किए बिना वित्तीय विवरणों में उसे प्रतिबिंबित करने से कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रावधान विफल होगा। चूंकि निदेशक मंडल कंपनी की सामान्य बैठक में उसके अनुमोदन के लिए उसी विषय पर सहमत हुए हैं, यह तथ्य निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट किया गया है।</p> <p>इसके अलावा निदेशकों की रिपोर्ट कंपनी के वार्षिक खातों का एक अभिन्न अंग है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(7) द्वारा अधिदेश दिया गया है कि वित्तीय विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ जारी, प्रसारित या प्रकाशित किया जाएगा।</p>



लखनऊ मेट्रो
रेल कॉर्पोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट

A series of horizontal dotted lines for writing.



नोट

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



लखनऊ मेट्रो
रेल कॉर्पोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रशासनिक भवन

निकट डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल

विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

फोन : 0522- 2304014, 2304015; फैक्स : 0522-2304012

वेबसाइट : www.lmrcl.com